PERFECT 7
साप्ताहिक
समसामयिकी

अप्रैल–2019 | अंक–2

मिशन शक्ति

भारत का अंतरिक्ष में शक्ति प्रदर्शन

- अन्तर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस
- बदलती भूमि उपयोग प्रवृत्ति और जलवायु परिवर्तन
- शहरी रोजगार गारण्टी योजना की बढ़ती आवश्यकता
- द्वीप संरक्षण क्षेत्र : द्वीपों के समग्र विकास की ओर एक कदम
- वर्तमान समाज में भगत सिंह के विचारों की प्रासंगिकता
- विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट–2019 : एक अवलोकन

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

DHYEYA BOOK LIST
IAS & PCS (Prelims-cum-Mains) Study Material

INTERNAL SECURITY

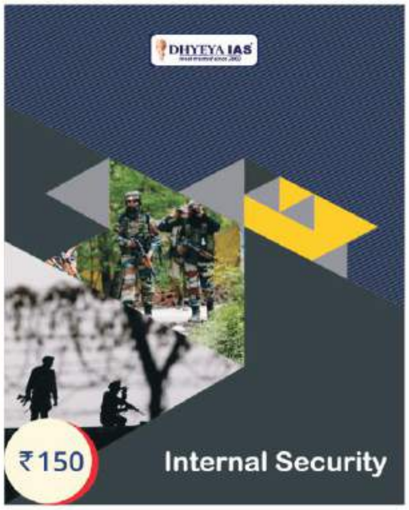

DISASTER MANAGEMENT

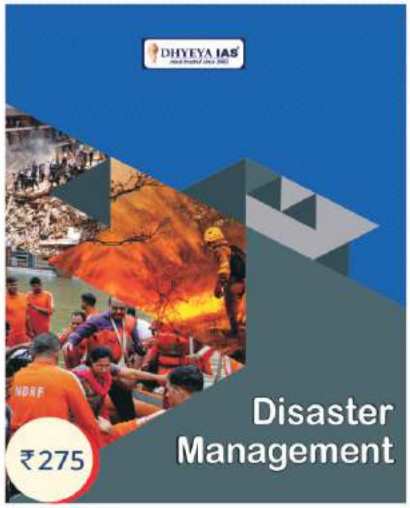

INDIAN ART & CULTURE

SCIENCE & TECHNOLOGY
(Fundamentals)

ECOLOGY & ENVIRONMENT
(Conventions, Treaties & Laws)

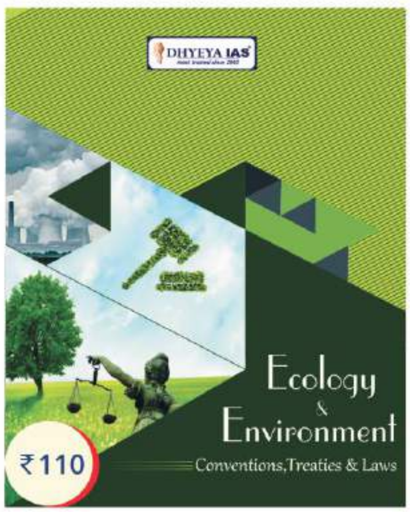

आपदा प्रबंधन

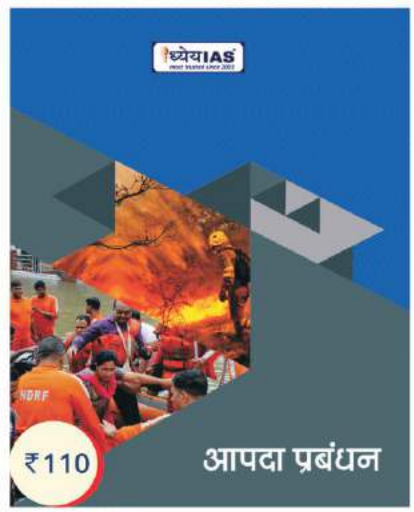

भारतीय अर्थव्यवस्था
एक मौलिक अध्ययन

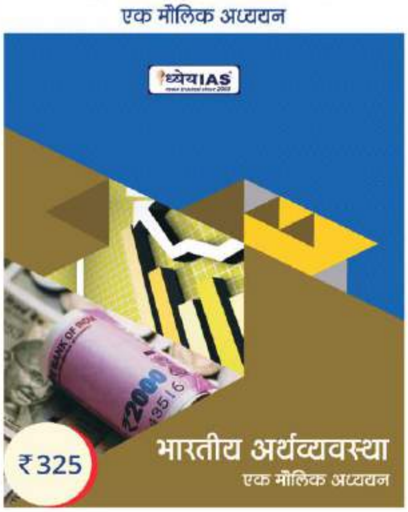

DOOR TO DOOR
DHYEYA BOOKS

**IAS & PCS (Prelims-cum-Mains) Study Material
Available at**

rankerssite.com

ध्येय IAS : एक परिचय

हम इस मंत्र में विश्वास रखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है; प्रत्येक व्यक्ति निपुण है एवं प्रत्येक व्यक्ति में असीमित क्षमता है। ध्येय IAS हमेशा से आत्मप्रेरणादायक मार्गदर्शन को प्रोत्साहित करता रहा है जिससे कि छात्रों के भीतर ज्ञान का सृजन हो सके। शिक्षा प्रदान करने का उद्देश्य ज्ञान के सृजन, प्रसार एवं अनुप्रयोग को एकीकृत रूप में पिरोकर एक सह-क्रियाशील प्रभाव उत्पन्न करना है। ध्येय IAS हमेशा से ही छात्रों के भीतर मानवीय मूल्यों एवं सत्यनिष्ठा को विकसित करने का पक्षधर रहा है जिससे कि उनमें निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो और वे एक ऐसी परिस्थिति का सृजन करें जो न सिर्फ उनके लिए बल्कि समाज, राष्ट्र और विश्व के लिए भी बेहतर हो। ध्येय IAS नये और प्रभावशाली तरीकों से अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए प्रत्येक छात्र को हर प्रयास में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसके लिए हम निरंतर और निर्बाध रूप से अपने अध्ययन कार्यक्रम और शिक्षण पद्धति में परिवर्तन एवं परिमार्जन करते रहते हैं।

सिविल सेवा परीक्षा का पाठ्यक्रम प्रतियोगी छात्रों में केवल ज्ञान के प्रति जुनून ही नहीं उत्पन्न करता है बल्कि यथार्थ जीवन में उसका प्रयोग भी सिखाता है। ध्येय IAS प्रतियोगी छात्रों के सम्पूर्ण व्यक्तित्व का विकास करता है। साथ ही उनमें ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा जैसे मूल्यों का भी सृजन करता है।

विनय कुमार सिंह
संस्थापक एवं सीईओ
ध्येय IAS

ध्येय IAS एक ऐसा संस्थान है जिसका लक्ष्य हमेशा से ही छात्रों के समग्र विकास का रहा है। हमारे संस्थान के शिक्षक अपने-अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं जिससे कि छात्रों को प्रत्येक विषय में अधिकतम मदद प्राप्त हो सके। यह एक ऐसा बहुमुखी संस्थान है जहाँ छात्रों को उच्चस्तरीय कक्षाओं और समृद्धशाली अध्ययन सामग्री के साथ-साथ हरसंभव सहायता उपलब्ध करायी जाती है।

आज ध्येय IAS सिविल सेवा परीक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी पहचान रखता है, क्योंकि हम उच्चस्तरीय एवं गुणवत्तापूर्ण प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। हम छात्रों को ज्ञान की परिधि बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहते हैं ताकि वे पाठ्यक्रम के दायरे से सदैव दो कदम आगे रहें। हमारा मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनकी आन्तरिक क्षमता का बोध कराना होता है जिससे कि वे अपनी एक अलग पहचान बनाकर कल के समाज का कीर्तिमान बन सकें।

क्यू. एच. खान
प्रबंध निदेशक
ध्येय IAS

Perfect 7 : एक परिचय

मैं उत्साहपूर्वक यह बताना चाहता हूँ कि 'Perfect 7' का नया स्वरूप छात्रों एवं पाठकों के लिए और अधिक जानकारियों को एक अत्यंत आकर्षक स्वरूप में लेकर सामने आ रहा है। इस कार्य के लिए संपादकीय दल को मेरी सुभेच्छा। शुरूआत से ही ध्येय IAS द्वारा रचित 'Perfect 7' को पाठकों का बेहद प्रेम और स्नेह मिलता रहा है। किसी भी संस्था का नाम एवं प्रसिद्धि उसके छात्रों एवं शिक्षकों की दक्षता एवं उपलब्धियों पर निर्भर करती है। एक शिक्षक का मुख्य कार्य उसके छात्रों की क्षमताओं का निर्माण कर उसे सफलता के मार्ग पर अग्रसर करना होता है, उसी क्रम में यह पत्रिका इस संस्थान की शक्तियों का प्रदर्शन करते हुए उसके छात्रों एवं पाठकों में समसामयिकी मुद्दों पर एक व्यापक दृष्टिकोण को विकसित करने के लक्ष्य को लेकर प्रकाशित की जा रही है जिसके द्वारा विभिन्न प्रबुद्ध शिक्षकों, लेखकों एवं छात्रों को एक मंच पर सम्मिलित किया जा रहा है, ताकि वे अपने नवाचार युक्त विचारों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकें।

इस क्रम में किये जा रहे कठिन परिश्रम को मेरी हार्दिक शुभकामनाएँ।

कुरबान अली
मुख्य सम्पादक
ध्येय IAS
(पूर्व संपादक - राज्य सभा टी.वी.)

हमने अपनी साप्ताहिक पत्रिका का ना केवल नाम 'Perfect 7' रखा है, बल्कि उसे 'परफेक्ट' बनाने के लिए हर संभव प्रयास भी किया है। यह सर्वविदित है कि किसी कार्य की शुरूआत सबसे चुनौतीपूर्ण होती है और सबसे महत्वपूर्ण भी। इसलिए यह स्थिति हमारे सामने भी आयी।

हमारे लिए यह चुनौती और भी बड़ी इसलिए साबित हुई क्योंकि हमने अपनी पत्रिका की गुणवत्ता के लिए अत्यधिक उच्च मानक तय किया। हमने शुरूआत में ही तय कर लिया था कि हम पत्रिका के नाम पर प्रतिभागियों को 'सूचनाओं का कचरा' नहीं प्रदान करेंगे। हमने यह निश्चय किया कि सिविल सेवा की परीक्षा को केंद्र में रखते हुए, हम उन्हें 'Perfect 7' के रूप में वह रामबाण देंगे जो सीधे लक्ष्य को भेदेगा। इसके लिए हमने 'मल्टी फिल्टर' और 'सिक्स सिगमा' प्रणाली को अपनाया जिसके तहत अलग-अलग स्तरों पर चर्चा कर अंततः उन विषयों और मुद्दों को इसमें समाहित किया जाता है जहाँ से परीक्षा में प्रश्नों का पूछा जाना अधिसंभाव्य है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक स्तर पर गलतियों को दूर कर 'Perfect 7' को त्रुटिहीन, प्रवाहपूर्ण और आकर्षित रूप में आपके सामने लाया जाता है।

गुणवत्तापूर्ण सामग्री देने के अतिरिक्त, समयबद्ध रूप से इसको आपके समक्ष लाना भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती थी, क्योंकि यह एक साप्ताहिक पत्रिका है। हमें इस बात का बेहद हर्ष एवं गर्व है कि पहले अंक से लेकर इस अंक तक कोई भी सप्ताह ऐसा नहीं रहा जब 'Perfect 7' अपने तय समय पर प्रकाशित न हुई हो।

'Perfect 7' का यह जो नया संस्करण हम आपके सामने ला रहे हैं, इसमें हमारे परिश्रम से कहीं ज्यादा आपके प्रेम और स्नेह की भूमिका है जिसकी वजह से अब तक हम लगभग 100 अंक सफलतापूर्वक प्रकाशित कर चुके हैं। आपकी शुभकामनाओं से यह क्रम आगे भी जारी रहेगा।

आशुतोष सिंह
प्रबंध सम्पादक
ध्येय IAS

प्रस्तावना

हमने 'Perfect 7' पत्रिका को सिविल सेवा परीक्षा के प्रतियोगी छात्रों को ध्यान में रखकर बनाया है। सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का चयन कर 'Perfect 7' में सात महत्वपूर्ण मुद्दों एवं खबरों का संकलन किया जाता है। इसके अतिरिक्त सात ब्रेन बूस्टर्स, सात महत्वपूर्ण तथ्य, पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं एवं सात महत्वपूर्ण ग्राफिक्स के माध्यम से संकल्पनाओं का समावेशन 'Perfect 7' को सिविल सेवा परीक्षा के लिए 'गागर में सागर' साबित करता है।

'Perfect 7' के सात महत्वपूर्ण मुद्दों का संकलन करते समय उन मुद्दों के पक्ष, विपक्ष, विशेषताओं तथा उनसे भारत एवं विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों की समीक्षा प्रस्तुत की जाती है, ताकि छात्र उन मुद्दों के बारे में एक समझ विकसित कर सकें। 'Perfect 7' के सात महत्वपूर्ण खबरों के जरिए छात्रों को सिविल सेवा की दृष्टि से महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी उपलब्ध करायी जाती है। इस पत्रिका के सात महत्वपूर्ण तथ्यों एवं पीआईबी के सात महत्वपूर्ण बिंदुओं के जरिए हम अपने छात्रों को अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य सिविल सेवा परीक्षा के सभी पहलुओं को समाहित करना है। 'Perfect 7' के सात ब्रेन बूस्टर्स के जरिए समसामयिक विषयों की जानकारी संक्षेप में एवं आकर्षक रूप में प्रस्तुत की जाती है जिससे कि छात्रों द्वारा इसे सरलता से आत्मसात किया जा सके। इसके अतिरिक्त इस पत्रिका में अभ्यास प्रश्नों का समावेशन छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा के लिए स्वयं का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करता है।

अन्य पत्रिकाओं की भांति हम छात्रों को केवल सतही जानकारी उपलब्ध कराने में विश्वास नहीं रखते बल्कि सारगर्भित बहुपक्षीय और त्रुटिरहित जानकारी प्रदान करने का अथक प्रयास करते हैं जिससे सिविल सेवा में हमारे छात्र सफलता अर्जित कर सकें, क्योंकि छात्रों की सफलता ही हमारी पत्रिका की कसौटी है। हमने अपने अथक प्रयास एवं परिश्रम के जरिए 'Perfect 7' पत्रिका को 'परफेक्ट' बनाने का कार्य किया है, फिर भी यदि कोई त्रुटि रह गयी हो तो उसे सुधारने में आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं।

जीत सिंह
सम्पादक
ध्येय IAS

Perfect 7

साप्ताहिक संस्करण

Perfect 7

ध्येय IAS के द्वारा की गई पहल (सिविल सेवाओं हेतु)

अप्रैल-2019 | अंक-2

संस्थापक एवं सी.ई.ओ.
विनय कुमार सिंह

प्रबंध निदेशक
क्यू.एच.खान

मुख्य संपादक
कुरबान अली

प्रबंध संपादक
आशुतोष सिंह

संपादक
जीत सिंह, ओमवीर सिंह चौधरी,
रजत झिंगन, शशिधर मिश्रा

संपादकीय सहयोग
प्रो. आर. कुमार, बाघेन्द्र प्रताप सिंह

मुख्य लेखक
अजय सिंह, अहमद अली,
अवनीश पाण्डेय, धर्मेन्द्र मिश्रा, रंजीत सिंह,
रमा शंकर निषाद

लेखक
अशरफ अली, विवेक शुक्ला, स्वाति यादव,
नितेश श्रीवास्तव

मुख्य समीक्षक
अनुज पटेल, प्रेरित कान्त, राजहंस सिंह

त्रुटि सुधारक
संजन गौतम, जीवन ज्योति

विज्ञापन एवं प्रोन्नति
जीवन ज्योति, शिवम सिंह

प्रारूपक
विपिन सिंह, रमेश कुमार,
कृष्णा कुमार, निखिल कुमार, सचिन कुमार

टंकण
कृष्णकान्त मण्डल, तरून कनौजिया

लेख सहयोग
रजनी तिवारी, मृत्युंजय त्रिपाठी, रजनी सिंह,
लोकेश शुक्ला, गौरव श्रीवास्तव, आयुषी जैन,
प्रीति मिश्रा, आदेश, अंकित मिश्रा, प्रभात

संवाददाता
मानषी द्विवेदी, राधिका अग्रवाल, सत्यम,
सौम्या त्रिपाठी, अनुराग सिंह, राशि श्रीवास्तव

कार्यालय सहायक
हरीराम, संदीप, राजू यादव, शुभम,
अरूण त्रिपाठी, चंदन

Content Office

DHYEYA IAS
302, A-10/11, Bhandari House,
Near Chawla Restaurants,
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009

विषय सूची

सात महत्वपूर्ण मुद्दे 01-18

- मिशन शक्ति : भारत का अंतरिक्ष में शक्ति प्रदर्शन
- अन्तर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस
- बदलती भूमि उपयोग प्रवृत्ति और जलवायु परिवर्तन
- शहरी रोजगार गारण्टी योजना की बढ़ती आवश्यकता
- द्वीप संरक्षण क्षेत्र : द्वीपों के समग्र विकास की ओर एक कदम
- वर्तमान समाज में भगत सिंह के विचारों की प्रासंगिकता
- विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट-2019 : एक अवलोकन

सात विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर 19-23

सात महत्वपूर्ण खबरें 24-27

सात ब्रेन बूस्टर्स तथा उन पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न 28-36

सात महत्वपूर्ण तथ्य 37

सात महत्वपूर्ण बिंदु : साभार पीआईबी 38-40

सात महत्वपूर्ण संकल्पनाएँ : ग्राफिक्स के माध्यम से 41-44

Our other initiative

UDAAN TIMES
Putting You Ahead of Time...

Hindi & English
Current Affairs
Monthly
News Paper

DHYEYA TV
Current Affairs Programmes hosted
by Mr. Qurban Ali
(Ex. Editor Rajya Sabha, TV) & by Team Dhyeya IAS
(Broadcasted on YouTube & Dhyeya-TV)

सात महत्वपूर्ण मुद्दे

1. मिशन शक्ति : भारत का अंतरिक्ष में शक्ति प्रदर्शन

चर्चा का कारण

हाल ही में अंतरिक्ष में लाइव (परंतु अप्रयोज्य) भारतीय सैटेलाइट को एंटी सैटेलाइट मिसाइल से निशाना बनाने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है। अभी तक यह उपलब्धि अमेरिका, रूस और चीन के नाम रही है लेकिन इस कामयाबी के बाद अब भारत भी इन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो गया है। भारत की यह उपलब्धि रणनीतिक एवं सामरिक रूप से काफी अहम है। ज्ञातव्य है कि 'मिशन शक्ति' का कार्यक्रम पूरी तरह से स्वदेशी है और इसने मात्र तीन मिनट में पृथ्वी से 300 किलोमीटर दूर पृथ्वी की निचली कक्षा (low earth orbit) में अप्रयोज्य उपग्रह को निशाना बनाया। इस उपग्रह को नष्ट करने के लिए तीन चरणों वाली इंटरसेप्टर मिसाइल को ओडिशा के तट पर स्थित ए.पी.जे. अब्दुल कलाम द्वीप से दागा गया था। इस मौके पर भारत ने कहा कि 'मिशन शक्ति' किसी देश के खिलाफ नहीं है बल्कि इसका इस्तेमाल शांति और मानव कल्याण के लिए होगा। भारत ने अंतरिक्ष में जो काम किया है उसका मूल उद्देश्य भारत की सुरक्षा, विकास एवं तकनीकी विकास पर केंद्रित है।

परिचय

एंटी-सैटेलाइट (A-SAT) मिसाइल एक ऐसा हथियार होता है जो किसी भी देश के सामरिक व सैन्य उद्देश्यों के लिए उपग्रहों को निष्क्रिय करने या नष्ट करने के लिए डिजाइन किया जाता है। आज तक किसी भी युद्ध में इस तरह के हथियारों का उपयोग नहीं किया गया है। लेकिन, कई देश अंतरिक्ष में अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन और अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम को निर्बाध गति से जारी रखने के लिए इस तरह की मिसाइल सिस्टम को जरूरी मानते हैं। भारत में इस मिसाइल का विकास डीआरडीओ और इसरो ने मिलकर किया है। एंटी-सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम, अग्नि मिसाइल और एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम का मिश्रण है। यह इंटरसेप्टर मिसाइल दो सॉलिड रॉकेट बूस्टरों सहित तीन चरणों वाली मिसाइलों से लैस है।

पृष्ठभूमि

भारत ने सन् 1975 में अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था, जिसके बाद से देश ने लगातार अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्रगति की है। इसके बाद 2013 में भारत ने अपना मंगलयान भेजा। दिसंबर, 2018 में भारत ने अंतरिक्ष में सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट भेजा, जिसका वजन करीब 5000 पाउंड था।

लो अर्थ ऑर्बिट

पृथ्वी की सतह से सबसे नजदीक होने की वजह से इस ऑर्बिट में किसी उपग्रह को स्थापित करने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। मौसम, निगरानी करने वाले उपग्रह और जासूसी उपग्रहों को इसी ऑर्बिट में स्थापित किया जाता है। पृथ्वी की सतह से 160 किलोमीटर और 2,000 किलोमीटर के बीच ऊँचाई पर स्थित लो अर्थ ऑर्बिट पृथ्वी की सबसे नजदीकी कक्षा है। लो अर्थ ऑर्बिट के बाद मिडियन अर्थ ऑर्बिट और उसके बाद पृथ्वी की सतह से 35,786 किलोमीटर पर हाई अर्थ ऑर्बिट है। लो अर्थ ऑर्बिट की खास बात यह भी है कि इसमें ज्यादा शक्ति वाली संचार प्रणाली को स्थापित किया जा सकता है। इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर (इसरो) के मुताबिक साल 2022 में भारत की ओर से जो तीन भारतीय अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे, वे भी इस लो अर्थ ऑर्बिट में रहेंगे। इस प्रोजेक्ट के दौरान इसरो की तरफ से इन तीन लोगों को महज 16 मिनट में स्पेस में पहुँचा दिया जाएगा और तीनों भारतीय स्पेस के 'लो अर्थ ऑर्बिट' में 6 से 7 दिन बिताएंगे। वहीं हाल ही में कुछ सैटेलाइट इस कक्षा में भेजे गए थे। इनमें से कुछ उपग्रह ऐसे हैं जिनकी सहायता से इंटरनेट की स्पीड में इजाफा करने का प्रयास भी किया गया है। हालांकि, लो अर्थ ऑर्बिट में किसी भी उपग्रह का काफी समय तक बने रहना काफी मुश्किल होता है।

एंटी-सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का विकास उस समय हुआ जब अमेरिका-रूस के बीच शीत युद्ध जारी था। इस तरह के हथियार विकसित करने की शुरूआत अमेरिका ने 1950 में की थी। 1960 में रूस (उस वक्त सोवियत यूनियन) ने भी इस पर काम शुरू कर दिया था। आज अमेरिका का 80% कम्युनिकेशन और नेविगेशन सिस्टम सैटेलाइट पर ही आधारित है। अमेरिका इन्हीं सैटेलाइट की मदद से पूरी दुनिया पर नजर रखता है।

काफी मुश्किल है अंतरिक्ष में किसी उपग्रह को नष्ट करना

पृथ्वी की सतह से किसी भी उपग्रह को निशाना बना कर ध्वस्त करना आसान नहीं होता, क्योंकि वे 300 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर स्थित होते हैं। फिर वे इतनी तेजी से पृथ्वी की कक्षा में भ्रमण कर रहे होते हैं कि उन पर निशाना साधने में थोड़ी-सी भी असावधानी या आकलन में गड़बड़ी से न सिर्फ वार खाली जा सकता है, बल्कि वह किसी अन्य उपग्रह के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। एक समय में विभिन्न देशों के अनेक उपग्रह कुछ अंतर पर पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगा रहे होते हैं। उदाहरण के लिए इस समय भारत के 48 उपग्रह स्थापित हैं। इसी तरह दूसरे देशों के उपग्रह भी हैं। चूंकि दुनिया में बहुत सारे काम सूचना तकनीक पर निर्भर होते हैं, इसलिए ऐसे उपग्रहों की जरूरतें भी बढ़ती गई हैं।

अंतरिक्ष में उपग्रह भी देशों की अपनी संपत्ति होती हैं। ऐसे में उनकी रक्षा की जरूरत हमेशा से महसूस की जाती रही है। हालाँकि अभी तक ऐसा कोई अवसर नहीं आया, जब किसी देश ने किसी अन्य देश के उपग्रह को निशाना बनाया या उसे निशाना बनाने की जरूरत पड़ी हो, किन्तु अंतरिक्ष में बढ़ती होड़ को देखते हुए इस आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता। इस लिहाज से देखा जाए तो मिशन शक्ति इस बात की पुष्टि करता है कि भारत अपने उपग्रह संपदा या उपग्रहों की रक्षा करने में सक्षम है। हालाँकि अंतरिक्ष में उपग्रहों को इस तरह नष्ट करने में मलबा जमा होने और फिर दूसरे उपग्रहों के लिए बाधा उत्पन्न होने का खतरा बना रहता है।

अंतरिक्ष में फैले कचरे के निपटारे के लिए प्रयास

दुनिया के विभिन्न देशों ने समय-समय पर अंतरिक्ष में कई उपग्रह भेजे हैं। इनमें कुछ ऐसे हैं जिनका कार्यकाल पूरा हो चुका है या कुछ खराब हो गए हैं। अंतरिक्ष विज्ञानियों के लिए बेकार हो चुके यह उपग्रह अब कचरे के बराबर हैं, मगर उनकी परेशानी यह है कि इन्हें अंतरिक्ष से वापस लाना संभव नहीं है। एक अन्य समस्या यह है कि अंतरिक्ष का यह कचरा भविष्य में छोड़े जाने वाले दूसरे उपग्रहों के लिए खतरा बन सकता है।

अंतरिक्ष विज्ञानियों का अनुमान है कि अंतरिक्ष में तकरीबन 20 हजार उपग्रहों के टुकड़े व उनके कचरे धरती के ऊपर मंडरा रहे हैं। विशेषज्ञों को डर है कि यह कचरा न केवल मौजूदा उपग्रहों को नुकसान पहुँचा सकता है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए गंभीर परेशानी खड़ी कर सकता है। ब्रिटिश इंजीनियरों ने एक ऐसी हार्पून मिसाइल बनाई है, जो अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहे बेकार हो चुके उपग्रहों को समेट कर नीचे धरती पर ले आएगी। विशेषज्ञों ने कहा कि हार्पून को केवल उसी कचरे के लिए तैनात किया जाएगा, जो मौजूदा उपग्रहों या धरती के लिए परेशानी का सबब हो सकता है।

अन्य देशों की स्थिति

अमेरिका: 1950 में अमेरिका ने डब्ल्यूएस-199ए नाम से रणनीतिक रूप से अहम मिसाइल परियोजनाओं की एक श्रृंखला को शुरू किया था। अमेरिका ने 26 मई, 1958 से 13 अक्टूबर, 1959 के बीच 12 परीक्षण किए, लेकिन ये सभी असफल रहे थे। 21 फरवरी, 2008 को अमेरिकी डिस्ट्रॉयर जहाज ने RIM-161 मिसाइल का प्रयोग कर अंतरिक्ष में यूएसए 153 नामक एक जासूसी उपग्रह को मार गिराया था।

रूस: रूसी एंटी सैटेलाइट कार्यक्रम के शुरू होने का कोई निश्चित तिथि नहीं है, फिर भी यह माना जाता है कि शीत युद्ध के दौरान अमेरिकी बढ़त को कम करने के लिए सन् 1956 में सर्गेई कोरोलेव ने ओकेबी-1 नाम की मिसाइल पर काम करना शुरू किया था।

इसके बाद रूस के इस मिसाइल कार्यक्रम को ख्रुश्चेव ने आगे बढ़ाया। इस दौरान रूस ने यूआर 200 रॉकेट के निर्माण का कार्य शुरू किया। रूस ने मार्च 1961 में इस्ट्रेबिटेल स्पूतनिक के रूप में अपने फाइटर सैटेलाइट कार्यक्रम की शुरूआत की थी। रूस ने फरवरी 1970 में दुनिया का पहला सफल इंटरसेप्ट मिसाइल का सफल परीक्षण किया, बाद में रूस ने इस कार्यक्रम को बंद कर दिया था। लेकिन अमेरिका द्वारा फिर से परीक्षण शुरू करने के बाद 1976 में रूस ने अपनी बंद परियोजना को फिर से शुरू कर दिया।

चीन: चीन ने 2007 में एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण किया था जिसके बाद पूरी दुनिया को अंतरिक्ष में हथियारों की दौड़ शुरू होने की चिंता सताने लगी थी। दिसंबर 2018 में चीन ने हॉन्गयुन प्रोजेक्ट के तहत लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट लॉन्च किया था, जिसके तहत चीन 2025 तक 156 सैटेलाइट भेजने की योजना बना रहा है। इस परीक्षण का मकसद बड़े पैमाने पर पाकिस्तान समेत कई देशों को इंटरनेट, नेविगेशन और कम्युनिकेशन सर्विस मुहैया कराना है।

बाह्य अंतरिक्ष संधि-1967

1963 में अमेरिका ने अंतरिक्ष में जमीन से छोड़े गए एक परमाणु बम का परीक्षण किया। इस विस्फोट से अंतरिक्ष में मौजूद अमेरिका और रूस के सैटेलाइट नष्ट हो गए। इसके बाद 1967 में 'आउटर स्पेस ट्रीटी' नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई। इसमें तय हुआ कि अंतरिक्ष में किसी भी तरह के विस्फोटक हथियार को तैनात नहीं किया जाएगा। हालांकि, इस संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद भी अमेरिका और रूस एंटी सैटेलाइट हथियारों पर काम करते रहे हैं। बाह्य अंतरिक्ष संधि को निम्नलिखित बिन्दुओं के माध्यम से समझा जा सकता है-

- यह संधि 27 जनवरी, 1967 को अमेरिका, सोवियत संघ और ब्रिटेन ने बाह्य अंतरिक्ष में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को रोकने के लिए की थी। फरवरी 2019 तक इस समझौते पर 108 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं।
- दिसंबर, 1966 में यूएन महासभा द्वारा अनुमोदित संधि की शर्तों के अनुसार बाहरी अंतरिक्ष पर किसी भी देश का अधिकार नहीं है और सभी देशों को अंतरिक्ष अनुसंधान की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है।
- इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाले सभी देश बाह्य अंतरिक्ष का केवल शांतिपूर्ण उपयोग के लिए प्रयोग कर सकते हैं और चांद तथा दूसरे ग्रहों पर किसी भी तरह के सैनिक केंद्रों की स्थापना निषिद्ध है।
- इसके साथ ही चाँद तथा दूसरे ग्रहों पर किसी भी तरह के प्रतिष्ठान स्थापित करने वाले देश समुचित समय की सूचना के बाद दूसरे देशों को उनका निरीक्षण करने देंगे।
- इसके मुताबिक अंतरिक्ष में परमाणु हथियार और सामूहिक विनाश के दूसरे हथियार या Weapons of Mass Destruction साधनों से सुसज्जित उपग्रहों, अंतरिक्ष यानों आदि का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। इसके तहत अगर किसी देश का अंतरिक्ष यात्री गलती से किसी दूसरे देश की सीमा में उतर जाए, तो उसे उसके देश को सौंप दिया जाएगा।

विश्लेषण

भारत ने A-SAT का परीक्षण कर यह साबित कर दिया है कि उसके पास अब अंतरिक्ष में चीन के समान ही तकनीक प्राप्त है। चीन ने लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट भेजने की योजना A-SAT परीक्षण करने के बाद ही बनाई है। यूएस की आपत्ति के बावजूद चीन अंतरिक्ष में A-SAT हथियारों का जखीरा जमा करने में लगा हुआ है। 2014 में यूएन कॉन्फ्रेंस में चीन, रूस के साथ मिलकर अंतरिक्ष में हथियारों की दौड़ शुरू होने से रोकने के लिए पीपीडब्ल्यूटी (Treaty on the Prevention of the Placement of Weapons in Outer Space) को लागू कराने के लिए आगे आया था लेकिन अमेरिका ने इसका यह कहकर विरोध किया था कि इसमें A-SAT परीक्षण को शामिल नहीं किया गया।

चीन अपनी जरूरत खत्म होने के बाद किसी भी वक्त A-SAT परीक्षण पर बैन लगाने के लिए राजी हो सकता है। अगर भारत परीक्षण नहीं करता तो चीन बिना किसी चुनौती के लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट लॉन्च करके व्यावसायिक लाभ उठाता। परमाणु हथियारों की तरह कई देशों के पास A-SAT तकनीक उपलब्ध है लेकिन भारत द्वारा परीक्षण करने से यह साबित हो जाता है कि उसके पास विश्वसनीय रक्षातंत्र मौजूद है। भारत के परीक्षण में दूसरा फैक्टर पड़ोसी देश पाकिस्तान भी है। पिछले साल चीन ने पाकिस्तान की रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च करने में मदद की थी। भारत ने संकेत दे दिया है कि वह अंतरिक्ष में पाकिस्तान की आँख छीन सकता है और उसके सैटेलाइट को कचरे में तब्दील कर सकता है। इस परीक्षण के साथ पाकिस्तान से संघर्ष की स्थिति में भारत का पलड़ा भारी हो गया है।

कुछ विश्लेषकों का मानना है कि युद्ध की स्थिति में भारत अब दुश्मन के सक्रिय होने से पहले ही उसकी सैटेलाइट पर हमला कर सकता है।

इससे भारत की परमाणु हमले को लेकर रणनीति भी बदल सकती है। भारत ने हमेशा वादा किया है कि वह कभी भी किसी देश के खिलाफ पहले परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन अब अगर भारत अपनी नई एंटी सैटेलाइट तकनीक को एंटी मिसाइल डिफेंस में इस्तेमाल करने में सक्षम होता है तो रणनीतिक संतुलन की स्थिति बिल्कुल बदल जाएगी। विश्लेषकों के अनुसार, अब कोई चाहे या ना चाहे, अंतरिक्ष का सैन्यीकरण शुरू हो चुका है। आज के समय में सैटेलाइट तकनीक पूरी दुनिया के कम्युनिकेशन नेटवर्क की रीढ़ की हड्डी बन चुकी है।

कई विश्लेषकों का कहना है कि चीन, यूएस और रूस अंतरिक्ष में नि:शस्त्रीकरण संधि पर चर्चा कर रहे हैं और मिशन शक्ति के बाद इसमें भारत की भी निर्णायक भूमिका होगी।

चिंताएँ

अंतरिक्ष मलबे की समस्या: अंतरिक्ष में लॉन्च की गई कोई भी चीज तब तक अंतरिक्ष में रहती है, जब तक कि इसे विशेष रूप से नीचे गिराया या विघटित नहीं किया जाता है। एक उपग्रह जो एक मिसाइल द्वारा नष्ट हो जाता है, वह छोटे टुकड़ों में बिखर जाता है और अंतरिक्ष में मलबा का रूप ले लेता है। अंतरिक्ष मलबे से खतरा यह है कि यह परिचालन उपग्रहों से टकरा सकता है और उन्हें निष्क्रिय कर सकता है।

उच्च कक्षाओं में उपग्रहों को लक्षित करना: अधिकांश सामरिक उपग्रहों को उन कक्षाओं में रखा जाता है जो पृथ्वी की सतह से 30,000 किमी या उससे भी ऊँचे हैं। भारत को 30,000 किलोमीटर से अधिक दूर तक निशाना साधने की अपनी क्षमता में सुधार करना है। इसके लिए उन्नत तकनीक फिलहाल भारत के पास मौजूद नहीं है।

बाहरी अंतरिक्ष में हथियारों की होड़: कई विश्लेषकों का मानना है कि बाहरी अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ लगेगी। यद्यपि भारत स्पष्ट करता है कि उसके अंतरिक्ष कार्यक्रमों से किसी देश को खतरा नहीं है और न ही उसने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया है फिर भी विभिन्न देशों द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा है कि भारत का परीक्षण बाहरी अंतरिक्ष संधि के खिलाफ है, जिसमें भारत एक हस्ताक्षरकर्त्ता भी है। बाह्य अंतरिक्ष संधि बाहरी अंतरिक्ष में केवल सामूहिक विनाश के हथियारों को प्रतिबंधित करती है। इस संबंध में भारत का कहना है कि अंतरिक्ष-आधारित परिसंपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत ने इस परीक्षण को अंजाम दिया है।

निष्कर्ष

अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत ने निरंतर प्रगति की है और कई मामलों में साबित कर दिखाया है कि दुनिया के किसी भी विकसित देश से वह पीछे नहीं है। बहुत कम समय में भारत के अंतरिक्ष विज्ञानियों ने अपनी तकनीक विकसित की और उपग्रह प्रक्षेपण के क्षेत्र में अग्रणी देश की कतार में भारत को खड़ा कर दिया है। अब बहुत सारे देश, जिनके पास उपग्रह प्रक्षेपण की उन्नत तकनीक है, फिर भी भारत के उपग्रह प्रक्षेपण यानों की मदद लेने लगे हैं। इस तरह उपग्रह प्रक्षेपण कारोबार में भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी प्रगति की उल्लेखनीय उपलब्धि 'मिशन शक्ति' है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा पृथ्वी की निचली कक्षा में भ्रमण कर रहे इस उपग्रह को निशान बना कर यह संदेश दिया है कि भारत अपनी उपग्रह संपदा की रक्षा करने में सक्षम है और अगर कोई दूसरा उपग्रह उसके उपग्रहों पर घात लगाता है तो उसे पृथ्वी की सतह से निशाना बनाया जा सकता है। इससे भारत की अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में ताकत और बढ़ गई है। इस प्रकार जिस देश के पास यह तकनीक होती है, माना जाता है कि युद्ध होने की स्थिति में वह अतिरिक्त फायदे में होता है। ऐसी तकनीक दुश्मन के किसी भी सैटेलाइट को जाम कर सकती है या नष्ट कर सकती है। ऐसा करने पर दुश्मन को अपने सैनिकों के मूवमेंट या परमाणु मिसाइलों की पोजिशनिंग करने में परेशानी आ सकती है। भारत के इस तकनीक को हासिल करने के बाद चीन या पाकिस्तान से युद्ध होने की स्थिति में यह मिसाइल देश का सबसे बड़ा हथियार साबित होगी।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी-विकास एवं अनुप्रयोग और रोजमर्रा के जीवन पर इसका प्रभाव।
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारतीयों की उपलब्धियां; देशज रूप से प्रौद्योगिकी का विकास और नई प्रौद्योगिकी का विकास।

■

2. अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस

चर्चा का कारण

21 मार्च को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस मनाया गया। इस दिवस पर यूएन अधिकारियों और मानवाधिकार विशेषज्ञों ने नफरत और भेदभाव की उफनती लहरों और उभरते उग्र राष्ट्रवाद पर लगाम कसने के लिए तत्काल कदम उठाने की अपील की है। इस वर्ष इसकी थीम ''मिटीगेटिंग एंड काउंटरिंग राइजिंग नेशनलिस्ट पोपुलिज्म एंड एक्सट्रीम सुपरमेसिस्ट आईडियोलॉजी'' है।

पृष्ठभूमि

21 मार्च, 1960 को दक्षिण अफ्रीका के शार्पविले नामक स्थान पर एक रंगभेदी कानून के विरोध में शांति से प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने फायरिंग कर दी, जिसमें 69 लोग मारे गये। इस नरसंहार की याद में, यूनेस्को ने 21 मार्च को नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में चिह्नित किया है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सर्वप्रथम वर्ष 1966 में नस्लीय भेदभाव के सभी रूपों को समाप्त करने के लिए किये जा रहे प्रयासों को बढ़ावा देने हेतु आह्वान किया। 1979 में इसी दिन महासभा ने जातिवाद और नस्लीय भेदभाव के प्रति कारवाई के लिये कुछ कार्यक्रम अपनाए। इसके बाद डरबन घोषणा पत्र एवं कार्य योजना को वर्ष 2001 में आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से नस्लवाद, नस्लीय भेदभाव, संबंधित असहिष्णुता के खिलाफ कुछ प्रमुख कार्यक्रमों को अपनाया गया, जो विश्व समुदाय द्वारा भेदभाव एवं असहिष्णुता के खिलाफ लिए गये संकल्प को दर्शाती है।

इसके मेनिफेस्टो में नस्लवाद का मुकाबला करने के उद्देश्य से एक विस्तृत श्रृंखला शामिल की गयी है, जिसमें सभी समुदायों के खिलाफ हो रहे नस्लीय भेदभाव को रोकने के उपाय शामिल हैं। इस दस्तावेज में पीड़ितों को राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में स्वतंत्रता और समानता के अधिकार पर जोर दिया गया है।

संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति भेदभाव के बिना मानव अधिकार का हकदार है। समानता और गैर-भेदभाव के अधिकार मानव अधिकार कानून के मुख्य स्तंभ हैं। फिर भी दुनिया के कई हिस्सों में भेदभावपूर्ण व्यवहार अभी भी जारी है, जिनमें नस्लीय, जातीय, धार्मिक और राष्ट्रीयता आधारित नफरत को उकसाया जाता है।

परिचय

किसी व्यक्ति या समुदाय से जाति, रंग या नस्ल इत्यादि के आधार पर घृणा करना या उसे सामान्य

मानवीय अधिकारों से वंचित करना नस्लीय भेदभाव कहलाता है। नस्लवाद को वर्तमान समाज की सबसे बड़ी चुनौती माना जाता है। इसे आतंकवाद से भी ऊपर रखा जाता है। डेली स्टार के हालिया रिपोर्ट के अनुसार आज के समाज में सात सबसे घृणित अपराधों में नस्लवाद मुख्य है। यद्यपि अन्य अपराधों में आतंकवाद, कट्टरता, टैक्स चोरी तथा घरेलू हिंसा आदि भी आते हैं।

संयुक्त राष्ट्र ने भी इस बात की पुष्टि की है कि नस्लीय भेदभाव के आधार पर श्रेष्ठता वैज्ञानिक एवं नैतिक दृष्टि से निंदनीय है। इसके अतिरिक्त यह सामाजिक न्याय के सिद्धांत का विरोधी भी है।

गौरतलब है कि उन्नीसवीं सदी और बीसवीं सदी के शुरूआती दशको में नस्लीय सिद्धांत नरसंहार के राजनीतिक और वैचारिक आधार का एक हिस्सा था। उदाहरणार्थ यहूदियों के साथ किया गया नरसंहार, अमेरिका के ऊपर यूरोपीय विजय, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के औपनिवेशीकरण के बाद की स्थिति आदि। वर्तमान में ऐसे हालात तो नहीं हैं लेकिन नस्लीय भेदभाव की अभिव्यक्ति होती रहती है। इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि हाल ही में 70 माइग्रेशन वॉच यूके और you Gov के एक पोल में पाया गया कि ब्रिटेन के 70 फिसदी लोग चाहते हैं कि वहां पढ़ने वाले भारतीय और दूसरे गैर ईयू (यूरोपीय छात्र) स्टूडेंट्स की संख्या निर्धारित की जाए। ठीक इसी तरह की माँग यदा-कदा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व अन्य देशों में भी देखने को मिलती है।

नस्लीय भेदभाव के कारण

सामान्यत: नस्लवादी भेदभाव के मूल में ऊँच-नीच की भावना को जिम्मेदार माना जाता है, जिसके निम्नलिखित कारण हैं-

- नस्लवाद का सर्वप्रथम कारण प्रजातीय भावना का विकास है। कुछ प्रजातियाँ अपने को दूसरे प्रजातियों से श्रेष्ठ मानती हैं। उदाहरणार्थ अमेरिकी गोरे व्यक्ति द्वारा नीग्रो जाति के लोगों को हेय मानना।
- धर्म में पवित्रता एवं शुद्धी का महत्वपूर्ण स्थान है, अत: निम्न व्यवसाय वालों को हीन और निम्न नस्ल का माना जाता है। भारतीय समाज में इन्हीं कारणों से सफाई का काम करने वालों तथा चर्मकारों आदि को निम्न नस्ल का समझा जाता है।
- प्रजातीय एवं धार्मिक कारणों के अतिरिक्त नस्लवाद के सामाजिक कारण भी हैं। समाज में प्रचलित रूढ़ियों और कुप्रथाओं के कारण भी समाज में वर्गभेद उत्पन्न होते हैं। यह वर्गभेद नस्लवाद के विकास में सहायक सिद्ध होते हैं।

नस्लीय भेदभाव के लक्षण

- जाति, रंग, नस्ल के आधार पर ऊँच-नीच की भावना का मौजूद होना।
- जन्म के आधार पर सामाजिक हैसियत का निर्धारण होना।
- नस्लीय भेदभाव के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति के व्यवसाय का निर्धारण जाति, रंग नस्ल इत्यादि के आधार पर किया जाता है।
- अंतर्विवाह की नीति जिसके अंतर्गत प्रत्येक जाति, अपनी ही जाति में विवाह करती है।
- खान-पान एवं अंत: क्रिया का अपने जाति या नस्ल के बाहर न होना।

भारत की स्थिति

जहाँ तक भारत में नस्लीय भेदभाव का प्रश्न है तो हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद 15 का प्रावधान किया है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव करने पर रोक लगाता है। उल्लेखनीय है कि संविधान में ऐसे प्रावधानों के बावजूद भी देश में कई स्थानों से जाति या फिर रंग के आधार पर भेदभाव करने की घटनाएँ सामने आती रहती हैं।

ज्ञातव्य हो कि विगत एक वर्ष में नस्लीय भेदभाव के खिलाफ विभिन्न थानों में बड़ी संख्या में मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें जहाँ हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण जैसे गंभीर आपराधिक मामले बड़ी संख्या में हैं, वहीं महिलाओं के खिलाफ दुष्कर्म, दुष्कर्म के प्रयास, छेड़छाड़ जैसी घटनाओं को लेकर दर्ज किए गए मामलों की संख्या भी कम नहीं हैं। यही नहीं, पुलिस की साइबर सेल के पास सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर नस्लीय टिप्पणी किए जाने संबंधी मामले भी सामने आ रहे हैं। इस तरह की बढ़ती नस्लीय घटनाएँ लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा करती हैं, जो गंभीर चिंता का विषय है।

जब तक अपरिचय के कारण इस तरह का भेदभाव होता है, तब तक कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन जब नस्लीय आधार पर कोई पूर्वाग्रह

के साथ इस तरह का व्यवहार सामने आ जाये तो स्थिति अलोकतांत्रिक हो जाती है।

गौरतलब है कि पूर्वोत्तर के लोगों के साथ जिस तरह से दिल्ली, बंगलुरू व अन्य राज्यों में नस्लीय भेदभाव की घटनाएँ बढ़ी हैं उसको लेकर पूर्वोत्तर सेल का गठन किया गया है, जो विशेष तौर पर पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों से संबंधित मामलों को देखता है।

उपरोक्त संदर्भ में कहा जा सकता है कि नस्लीय भेदभाव आधुनिक परिवर्तनों के साथ अभी भी अपनी निरंतरता को बनाये हुए है।

नस्लीय भेदभाव के प्रभाव

- नस्लवाद राष्ट्रीय एकीकरण के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है।
- इसके कारण राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो सकता है।
- यह आर्थिक विकास एवं आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में बाधक होता है।
- यह समाज की एकता में बाधक है। जाति, रंग, नस्ल इत्यादि के आधार पर भेदभाव से सामुदायिक शत्रुता एवं घृणा पैदा होती है। दरअसल इस तरह की मानसिक प्रवृत्ति वाले लोग न सिर्फ आम जन को हताहत करते हैं, बल्कि व्यक्तिगत संपत्ति व सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को भी नुकसान पहुँचाते हैं।
- नस्लवाद के परिणामस्वरूप न केवल आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है बल्कि राजनीतिक उथल-पुथल भी होता है जिससे सरकारों के प्रति जनता का विश्वास भी डगमगाने लगता है। इससे अन्य विरोधी तत्त्वों को सरकार पर दुष्प्रचार करने का मौका मिलता है। ऐसे में सरकार को इन हालातों से निपटने के लिए अनावश्यक व्यय करना पड़ता है।
- नस्लवादी संघर्षों के दौरान असामाजिक तत्त्वों के विचलित व्यवहारों में वृद्धि होती है। ऐसे समय में संदिग्ध (अराजक) लोगों को लूटपाट करने, हिंसा व आगजनी का मौका मिल जाता है।
- नस्लवादी हिंसा के शिकार प्रायः बच्चे, वृद्ध एवं महिलाएँ होती हैं, जिनका आर्थिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रभाव कई पीढ़ियों तक बना रहता है।
- नस्लीय भेदभाव के चलते सरकार द्वारा चलाये जा रहे सांस्कृतिक कार्यक्रम धूमिल पड़ जाते हैं तथा विकास की गति अवरुद्ध हो जाती है, जो सांस्कृतिक एकता के लिए बड़ी बाधा को जन्म देती है।
- इससे औद्योगिक विकास धीमा हो जाता है।

नस्लीय भेदभाव की चुनौती कायम

- नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि, 1969 में लागू होने के 50 साल बाद भी यह चुनौती बनी हुई है।
- कई बार राजनीतिक वजहों से इसे जल्द समाप्त किए जाने की अहमियत को नहीं समझा गया है। इसके बजाए राजनीतिक लाभ के लिए ऐसे भाषणों का इस्तेमाल किया जाता है जिससे प्रभुत्ववादियों के हौसले बुलंद होते हैं।
- नस्लीय भेदभाव, विदेशियों की नापसंदगी और वर्चस्ववादी विचारधाराओं को भड़काने में इंटरनेट एक उर्वर भूमि की तरह काम करता है। कई बार इसके निशाने पर प्रवासी, शरणार्थी और अफ्रीकी मूल के लोग होते हैं।
- नस्लीय भेदभाव लोगों को रोजगार, आवास और सामाजिक जीवन में उनके आधारभूत अधिकारों से वंचित कर देता है।

आगे की राह

वर्तमान में नस्लीय भेदभाव की समस्या की विकरालता को देखते हुए इससे निपटने के लिए यूनेस्को ने जागरूकता के प्रसार पर बल दिया है। इन्हीं प्रयासों के तहत यूनेस्को ने विश्व में कायम भेदभाव से मुकाबले और इंटरनेट इस्तेमाल को सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से मीडिया एवं सूचना साक्षरता के लिए नए औजार विकसित किए हैं। इससे आपसी समझ, विवेचनात्मक सोच और अंतर्सांस्कृतिक संवाद को बढ़ावा मिला है जो एक सराहनीय कदम है। इस दिशा में यहाँ जरूरत कुछ ऐसी ही नयी पहलों को अमल में लाने की है। इस संदर्भ में निम्न सुझावों को अपनाया जा सकता है-

- संविधान ने सभी को बराबरी का हक दिया है। ऐसे में यह जरूरत है कि प्रशासनिक स्तर पर इस समस्या के प्रति लोगों को जागरूक बनाने तथा उनमें चेतना पैदा करने की कोशिश की जाय। इसके अलावा वे किसी भी ऐसी घटना को बेहद गंभीरता से लें और तुरंत सख्त और प्रभावी कार्रवाई करें।
- सामाजिक सहिष्णुता से कतई समझौता नहीं किया जाना चाहिए और हर स्तर पर यह सीधा संदेश दिया जाना चाहिए कि पूर्वोत्तर राज्यों व अन्य राज्यों के लोगों के प्रति नस्लीय टिप्पणी किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पुलिस ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें।
- असहिष्णुता और भेदभाव से निपटना सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों की ही जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति को इसमें अपनी भूमिका अदा करनी होगी।
- पूर्वोत्तर सेल को अत्याधुनिक संसाधनों से लैस कर इसे और प्रभावी बनाए जाने की आवश्यकता है।
- सभी लोगों को यह समझना चाहिए कि हर राज्यों के निवासी विशेषकर पूर्वोत्तर के लोग भी भारतीय नागरिक हैं और उनका उतना ही हक है जितना किसी अन्य भारतीयों का। इस बात की पुष्टि के लिए पूर्वोत्तर के महत्त्व को बताने के साथ ही वहाँ के लोगों द्वारा देश के लिए किए जा रहे कार्यों की उपलब्धि को संचार माध्यमों से लोगों को अवगत कराया जाना चाहिए।
- नस्लवाद की समस्या से लड़ने में शिक्षा एक महत्वपूर्ण हथियार साबित हो सकती है। शिक्षा द्वारा मानव के दृष्टिकोण में परिवर्तन करके उच्च व निम्न के मध्य का अंतर समाप्त किया जा सकता है।
- संयुक्त राष्ट्र ने सदस्य देशों से अपील किया है कि नस्लवाद का अंत किया जाना चाहिए तथा समानता और मानव गरिमा सुनिश्चित करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए।
- समाज में विद्यमान जाति/उपजाति प्रथा को समाप्त कर काफी हद तक इस चुनौती से निजात पाया जा सकता है।
- समाज में नस्लीय भेदभाव को समाप्त करने में जागरूकता कार्यक्रम काफी कारगर साबित हो सकता है। इस कार्यक्रम से लोगों में मानवीय अधिकारों के प्रति जागरूकता आयेगी, जिससे शोषित होने पर वे अपने हक के लिए आवाज उठा सकेंगे।
- नस्लवाद से पीड़ित लोगों को राज्य की ओर से मदद दिया जाना चाहिए जिससे वे समाज की मुख्य धारा में लौट सके।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-1

- भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएं, भारत की विविधता।
- सामाजिक सशक्तीकरण, सम्प्रदायवाद, क्षेत्रवाद और धर्म-निरपेक्षता।

■

3. बदलती भूमि उपयोग प्रवृत्ति और जलवायु परिवर्तन

चर्चा का कारण

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण असेम्बली (UNEA-4) के चौथे सत्र में ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक-2019 के द्वारा प्राकृतिक संसाधन उपयोग और प्रबंधन की स्थिति और रूझानों पर एक वैश्विक रिपोर्ट जारी की गई। रिपोर्ट से पता चलता है कि वर्ष 2010 तक, भूमि उपयोग में बदलाव के कारण लगभग 11 प्रतिशत वैश्विक प्रजातियों का नुकसान हुआ था। रिपोर्ट में बेहतर संसाधन उपयोग के लिए एक प्रणालीगत सुधार पर बल देने की बात कही गई है।

परिचय

मानव विकास के रूप में भूमि और मानव के बीच का संबंध काफी पुराना है। लगभग 11500 वर्ष पहले होलोसिन युग में मानव ने कृषि करना प्रारंभ किया। इस सामाजिक और तकनीकी परिवर्तनों के कारण मानव बस्तियों का निर्माण हुआ, जो समय पर समय शहरों के गठन की ओर आगे बढ़े। मानव द्वारा प्रकृति में हस्तक्षेप की घटनायें लगातार बढ़ती चली गईं, जो आज भी अनवरत रूप से जारी हैं। मानव का पर्यावरण में बढ़ता हस्तक्षेप भूमि, जल और स्थानीय पारिस्थितिकी को लगातार प्रभावित कर रहा है। उदाहरण के लिए इंडोनेशिया में प्रत्येक वर्ष लगभग 500 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र को साफ किया जाता है जिसमें से अधिकांश स्थानों पर ताड़ के वृक्ष लगाये जाते हैं। भारत सहित कई देशों में अपनी शहरी औपचारिक सीमाओं का तेज गति से विस्तार किया जा रहा है। विभिन्न कारणों ने शहरीकरण के इस बदलते स्वरूप को आकार दिया है जिससे कि कृषि और जंगलों से उद्योग, आवासीय और वाणिज्यिक भवनों तथा संबंधित बुनियादी ढ़ाँचे एवं बागवानी में भूमि उपयोग में बदलाव आया है।

इस तरह के भूमि बदलाव से शहरों की सीमा के बाहर एक रिक्त स्थान की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जहाँ से भू-जल को पंप करके शहर में पहुंचाया जाता है। इस क्षेत्र में नये औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जाते हैं, जहाँ शहरी कचरे को डंप किया जाता है। इसके साथ ही इन स्थानों पर सब्जियाँ एवं अन्य उच्च मूल्य वाली फसलों को उगाया जाता है जिससे नजदीकी शहरों की आवश्यकता को पूरा किया जाता है।

मानव ने अपनी आवास की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कृषि भूमि को, तालाबों को भरकर उसके उपर निर्माण कार्य करने, झीलों के उपर भी निर्माण कार्य करने जैसे कार्यों को अंजाम दिया है जिससे पारिस्थितिकीय तंत्र पर बुरा प्रभाव पड़ा है। यह विशेष रूप से उन लोगों को प्रभावित करता है जो अपनी आजीविका के लिए पारिस्थितिकी तंत्र पर काफी हद तक निर्भर रहते हैं।

भारत में भूमि पैटर्न में बदलाव

किसी भी क्षेत्र में भूमि उपयोग काफी हद तक उस क्षेत्र में किए गये आर्थिक गतिविधियों की प्रकृति से प्रभावित होता है। हालांकि आर्थिक गतिविधियाँ समय के साथ बदलती रहती हैं लेकिन भूमि कई अन्य संसाधनों की तरह स्थिर है।

भारत में पिछले चार या पाँच दशकों में अर्थव्यवस्था में बड़े बदलाव देखे गये हैं, जिसने देश की भूमि उपयोग की संरचना को भी प्रभावित किया है। 1960-61 और 2008-09 के बीच इन परिवर्तनों को मुख्यत: दो आँकड़ों के तहत देखा जा सकता है। आँकड़ों में दिखाए गये प्रतिशत को भूमि परिवर्तित क्षेत्र के आधार पर बाँटा गया है। ऐसा देखा गया है कि भूमि परिवर्तन की दर में जहाँ एक तरफ श्रेणीगत गिरावट देखी गई है वहीं दूसरी तरफ कुछ श्रेणियों में वृद्धि हुई है।

जिन श्रेणियों वृद्धि हुई है उनमें वन क्षेत्र का हिस्सा, गैर-कृषि उपयोग क्षेत्र, शुद्ध बोया गया क्षेत्र तथा परती 'भूमि' शामिल है। इन वृद्धि के बारे में निम्नलिखित टिप्पणियाँ की जा सकती है:

1. गैर कृषि उपयोग के क्षेत्र के मामले में वृद्धि की दर सबसे अधिक है। यह भारतीय अर्थव्यवस्था की बदलती संरचना के कारण है, जो औद्योगिक और सेवा क्षेत्र के योगदान और संबंधित बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के आधार पर बढ़ती जा रही है। साथ ही साथ शहरी और ग्रामीण दोनों बस्तियों के अंतर्गत क्षेत्र का विस्तार बढ़ा है। इस तरह कृषि भूमि की कीमत पर गैर कृषि उपयोग के तहत आने वाले भूमि क्षेत्र में तीव्र वृद्धि हो रही है।
2. वर्तमान परती भूमि में वृद्धि को केवल दो बिन्दुओं से प्राप्त जानकारी से नहीं समझा जा सकता है। वर्षा और फसल चक्रों की परिवर्तनशीलता के कारण परती भूमि में वृद्धि देखी जा रही है।

हालाँकि जिन श्रेणियों में गिरावट दर्ज की गई है उनमें खेती भूमि, चारागाह भूमि, वृक्षों से आच्छादित भूमि, फसली योग्य भूमि शामिल हैं। जैसे-जैसे भूमि पर दबाव बढ़ता गया, कृषि एवं चारागाह क्षेत्र में गिरावट देखी गई। आम चारागाह भूमि पर खेती के विस्तार के कारण भूमि पैटर्न में तेजी से बदलाव देखा जा रहा है।

भूमि उपयोग में बदलाव और जलवायु परिवर्तन में सहभागिता

भूमि उपयोग में होने वाला परिवर्तन जलवायु परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारक है। वनस्पति

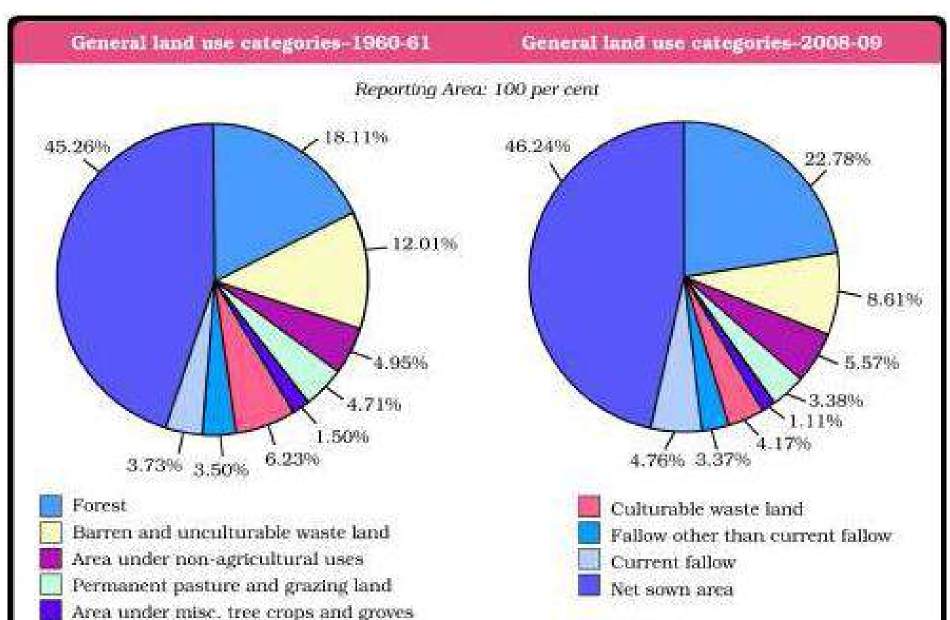

और मिट्टी आम तौर पर कार्बन सिंक के रूप में कार्य करती हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड को संग्रहित करती हैं और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से उसे अवशोषित करती हैं। जब भूमि उपयोग में बदलाव होता है तो संग्रहित कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड के साथ उत्सर्जित होता है और फिर से वायुमण्डल में प्रवेश कर जाता है।

कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीनहाउस गैस हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देती हैं। भूमि के समाशोधन से मिट्टी का क्षरण और पोषक तत्वों की कमी हो सकती है जो संभवत: कार्बन सिंक के रूप में कार्य करने की अपनी क्षमता को भी कम कर सकता है। कार्बन को संग्रहित करने की क्षमता में कमी से वातावरण में अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा शेष रह जाती है जिससे ग्रीनहाउस गैसों की कुल मात्रा बढ़ जाती है।

सामान्यत: भूमि उपयोग परिवर्तन को दो भागों में बाटा गया है, प्रत्यक्ष मानव जनित (मानवीय कारण द्वारा) परिवर्तन और अप्रत्यक्ष परिवर्तन। मानवजनित परिवर्तन के उदाहरणों में वनों की कटाई, वनीकरण, कृषि और शहरीकरण शामिल है। अप्रत्यक्ष परिवर्तनों में जलवायु परिवर्तन एवं कार्बन डाइऑक्साइड की सान्द्रंता में वृद्धि शामिल है जिससे कि वनस्पति परिवर्तन को बल मिलता है।

2002 में नासा के एक अध्ययन से पता चलता है कि उत्तरी अमेरिका, यूरोप और दक्षिण-पूर्व एशिया जैसे क्षेत्रों में भूमि उपयोग में परिवर्तन से क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर धरती के ऊपर गर्मी की सान्द्रता और बढ़ी है। वैश्विक स्तर पर भूमि उपयोग परिवर्तन से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कुल वार्षिक उत्सर्जन का 18% अनुमानित है जिसमें की एक तिहाई विकासशील देशों से तथा 60% से अधिक कम विकासशील देशों से उत्सर्जित होता है।

जलवायु पर भूमि उपयोग का प्रभाव मुख्य रूप से एक क्षेत्र के भीतर मौजूद भूमि के प्रकार पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए यदि वर्षावन की जगह छोटे-छोटे पौधों या फसलों को उगाया जाता है तो उस क्षेत्र में कार्बन सिंक की दर घट जाती है जिससे कि तापमान में वृद्धि होती है क्योंकि पत्तियों के द्वारा वाष्पीकरण की मात्रा कम हो जाती है। दूसरी ओर यदि कृषि योग्य भूमि को बढ़ाकर सिंचाई की जाये तो नम मिट्टी के कारण वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है जो वातावरण को ठण्डा एवं नम बनाये रखने में सहायक होती है। हालांकि अतिरिक्त वाष्पोत्सर्जन एक क्षेत्र में वर्षा और बादल के स्तर को भी प्रभावित करता है।

भारी बर्फबारी वाले क्षेत्रों में पुनर्वनीकरण या नवीकरण के कारण भूमि प्रकाश को कम परावर्तित कर पाती है जिसके परिणामस्वरूप भूमि पर प्रकाश का अवशोषण अधिक होगा जिससे कि उस क्षेत्र का तापमान बढ़ जाएगा। अतिरिक्त पुनर्वनीकरण वाष्पोत्सर्जन को बढ़ा सकता है जिससे जलवाष्प की मात्रा बढ़ सकती है। क्षोभमंडल में जलवाष्प को ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे बड़ा कारण माना जाता है।

बढ़ता शहरीकरण भूमि उपयोग में बदलाव के लिए एक जिम्मेदार कारक है। ऐसा देखा जाता है कि जिस क्षेत्र में आबादी का घनत्व अधिक है वहाँ पर तापमान अधिक होता है जिससे कि स्थानीय जलवायु गर्म हो जाती है। शहरों में बढ़ते निर्माण कार्य के कारण तापमान में तेजी से वृद्धि हो रही है क्योंकि आस-पास के पेड़ पौधे कटते जा रहे हैं और भूमि का मूल स्वरूप परिवर्तित होता जा रहा है। इसी कारण ग्रामीण इलाकों में कम तापमान की तुलना में शहरों के उच्च तापमान की घटना को शहरी गर्म द्वीप (Urban Heat Island) के रूप में जाना जाता है।

सरकार की प्राथमिकता

दिसम्बर 2018 में पोलैण्ड के कॉटोविस (Katowice) में जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान पर्यावरण मंत्री ने घोषणा की थी कि भारत समय-सीमा से पहले अपने जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में सरकार द्वारा किये जा रहे है। साथ ही साथ सरकार पर्यावरण संरक्षण को कम करने के लिए विद्यमान कानूनों को भी बदल रही है। उदाहरण के लिए केन्द्र सरकार भारतीय वन अधिनियम, 1927 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है जो इस कानून को और भी कठोर बना देगा।

कैंपेन और सर्वाइकल एण्ड डिग्निटी के अनुसार, ये संशोधन वन अधिकारियों को बिना किसी दायित्व के लोगों को गोली मारने की शक्ति देता है। वन अधिकारियों को लोगों को उनकी इच्छा के विरूद्ध स्थानांतरित करने के लिए तथा वनीकरण करने के लिए निजी कंपनियों को अधिकार की शक्ति प्रदान करता है। इसके अलावा कार्बन प्राच्छादन (Carbon Sequestration) के नाम पर अन्य वनों को हथियाने की अनुमति देता है। अत: यह संशोधन वनवासियों पर एक तरह का अत्याचार ही है। यदि यह अधिनियम पारित हो जाता है, तो स्थानीय संस्कृतियों पर निजी कंपनियों का उनका प्रभाव बढ़ जाएगा।

सरकार की प्राथमिकता शहरीकरण पर जरूर है लेकिन उसके दुष्परिणामों पर सरकार द्वारा कम ध्यान दिया जा रहा है। शहरों एवं गाँवों में बनने वाली पक्की नालियों से जल प्रवाह का स्वरूप बदल गया है तथा भू-जल पुनर्भरण में कमी आई है। इस तरह की स्थिति से प्राकृतिक आपदा की बारंबारता बढ़ गई है।

उदाहरणस्वरूप चेन्नई में 2015 में आई विनाशकारी बाढ़ को देखा जा सकता है। चेन्नई स्थित अनुसंधान समूह केयर अर्थ द्वारा एक अध्ययन के अनुसार 1980 में 47 वर्गकिलोमीटर से बढकर 2010 में 402 वर्गकिलोमीटर पक्की नालियों का निर्माण हुआ। इस तरह की घटनायें पूरे विश्व भर में घटित हुईं। जापान में 2018 की बाढ़ और अमेरिका में आई मिसौरी की बाढ़ भूमि उपयोग परिवर्तन से बदले जलवायु परिवर्तन की ओर इंगित करता है, जो मानव की कमजोरियों को परिलक्षित करता है।

सरकार द्वारा अपनी प्राथमिकता को सही तरीके से नहीं रख पाने के कारण देशभर में लोग अनियोजित विकास के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। जैसे कि मुम्बई तटीय एक्सप्रेस वे एन्नोर बंदरगाह तथा कन्याकुमारी में प्रस्तावित बंदरगाह आदि। यही नहीं बुलेट ट्रेन के खिलाफ भी लोग आवाज उठा रहे हैं। कुल मिलाकर लोगों की चिंता यह है कि सरकार प्रकृति के विनाश पर विकास का सपना देख रही है जो न सिर्फ भूमि उपयोग के स्वरूप बल्कि जलवायु को व्यापक रूप से प्रभावित करेगा।

यदि वैश्विक स्तर पर देखें तो अक्टूबर 2018 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के इंटर-गवर्नमेंटल पैनल ने चेतावनी दी है कि बिना जरूरी सुधार किये विश्व के सभी देश 2030 तक वैश्विक तापमान को 1.5°C से नीचे रखने के अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएंगे। पैनल का कहना है कि यदि यह लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया तो पूरी दुनिया में भूमि उपयोग के दुष्परिणाम सामने आएंगे और जलवायु परिवर्तन के कारण बड़ी मात्रा में लोगों का प्रवासन होगा क्योंकि भूमि बंजर की तरफ तेज गति से बढ़ रही है। यह सब दिखाता है कि न सिर्फ भारत बल्कि विश्व स्तर पर भी सरकार की प्राथमिकता में कहीं न कहीं कमी है।

आगे की राह

यह सही है कि भूमि उपयोग में परिवर्तन ने जलवायु को काफी हद तक प्रभावित किया है

लेकिन मानव की मूलभूत आवश्यकता को भी कम करके नहीं आंका जा सकता है लेकिन यदि भूमि उपयोग को सही तरीके से लागू किया जाये और वनीकरण को अधिक से अधिक बढ़ाया जाये तो विकास और प्रकृति दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है।

- वानिकी और भूमि उपयोग प्रथाओं में जलवायु परिवर्तन को रोकने तथा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के प्रभाव से मुकाबले करने के लिए काफी संभावनाएँ हैं। अतः वृक्षारोपण करके, वनों का संरक्षण करके, मिट्टी सरण को रोक करके तथा कार्बन संग्रहण के लिए खेती के तौर-तरीको में बदलाव करके भूमि उपयोग परिवर्तन तथा जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से बचा जा सकता है। इसलिए इस दिशा में न सिर्फ सरकार बल्कि आम नागरिकों को भी आगे आना होगा।
- वर्षावन का विकास अधिक से अधिक करना होगा जिससे कि वे कार्बन सिंक की प्रवृत्ति को बढ़ा सके।
- वैज्ञानिकों का कहना है कि पारिस्थितिकी तंत्र के पतन और जलवायु परिवर्तन के अधिक विनाशकारी मामलों को रोकने में अभी भी देर नहीं हुई है। लेकिन इसके लिए दुनिया को जलवायु परिवर्तन के साथ अपने जुड़ाव को फिर से पारिभाषित करना होगा और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन तथा कार्बन बजट के साथ अपनी अदूरदर्शी पूर्वाग्रह को छोड़ना होगा।
- अतः अब समय आ गया है कि जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न दुष्परिणामों पर गहन चिंतन किया जाये और इसके निवारण के लिए ठोस उपाय किये जायें चाहे वह राष्ट्रीय स्तर पर हों या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-1

- महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन, जनसंख्या एवं सम्बद्ध मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक मुद्दे, शहरीकरण, उनकी समस्याएं और उनके उपचार।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन।

■

4. शहरी रोजगार गारंटी योजना की बढ़ती आवश्यकता

चर्चा का कारण

हाल ही में अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय स्थित सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट ने अपने प्रकाशन में कहा है कि सतत रोजगार के माध्यम से शहरों की बुनियादी ढाँचे में सुधार किया जा सकता है साथ ही राष्ट्रीय शहरी रोजगार गारंटी कार्यक्रम चलाने से शहरी अकुशल युवाओं को रोजगार प्रदान किया जा सकता है।

परिचय

शहरी बेरोजगारी शहर में विकट परिस्थितियों का संकेतक है जहां शहरी बेरोजगारों के लिए सुरक्षित आजीविका एक वास्तविक चिंता बनी हुई है। अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिक, जो शहरों में काम करने वाले लोगों के 80 प्रतिशत हैं, सबसे अधिक प्रभावित और हाशिये पर हैं। रोजमर्रा की कमाई पर आश्रित श्रमिक और उनके परिवार, श्रम बाजार की अनिश्चितताओं या उनके नियंत्रण से परे व्यक्तिगत नुकसान के मामलों में उलझ कर रह जाते हैं और फलतः ऋण चक्रों में फंसकर इससे उबर नहीं पाते हैं। इनको किसी भी तरह की सामाजिक सुरक्षा नहीं मिलती है और आमतौर पर प्रति घंटा आधे डॉलर (लगभग 35 रुपये है) से भी कम भुगतान किया जाता है। यह जानते हुए कि शहरी अनौपचारिक क्षेत्र में महिला श्रमिकों के पास काम करने के लिए ज्यादा विकल्प नहीं हैं। पितृसत्तात्मक ताकतें समाज में उनका शोषण करती हैं। ज्यादातर घरेलू श्रमिकों को मजदूरी की दरों के लिए पूरी तरह से नौकरी देने वालों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है साथ ही किसी भी छोटी बीमारी या अन्य आपात स्थिति में रोजगार खोने के डर से उन्हें जूझना पड़ता है। इनकी संख्या शहरी भारत में लगभग 5 करोड़ से अधिक है और बहुत कम मजदूरी पर ये काम करते हैं। कई बार तो महीने में केवल 10 से 15 दिन ही इन्हें रोजगार मिल पाता है। यह सभी शहरों में हाशिये पर रह रहे अनौपचारिक क्षेत्र के ज्यादातर श्रमिकों की रोजमर्रा की कहानी है, जो आबादी में 30 करोड़ से भी अधिक की संख्या में हैं, जो बिना किसी सामाजिक सुरक्षा के गुजारा कर रहे हैं और जब भी उन्हें काम मिलता है तो कम मजदूरी पर काम करने के लिए मजबूर होते हैं।

आवश्यकता क्यों?

नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस (NSSO) की आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट (PLFS) के अनुसार भारत में बेरोजगारी की समस्या विशेष रूप से शहरों और कस्बों में बढ़ गई है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि शहरी क्षेत्रों में रोजगार गारंटी कार्यक्रम देशव्यापी स्तर पर शुरू किये जाएं स्मार्ट सिटी मिशन और जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन (JNNURM) जैसे कार्यक्रमों ने शहरी अकुशल युवाओं को रोजगार प्रदान तो किया है किन्तु यह रोजगार शहरी जनसंख्या के मुकाबले काफी कम है।

बिजनेस स्टैंडर्ड अखबार के अनुसार 2017-18 में बेरोजगारी दर बढ़कर 45 साल में सबसे अधिक 6.1 प्रतिशत हो गयी है। शहरों में यह और अधिक 7.8 हो चुकी है। उच्च शिक्षितों में यह दर बढ़कर 20 प्रतिशत हो गयी है। हर पांच शिक्षित युवा में एक बेरोजगार है। अगर यह आँकड़े सही है तो भारत के लिए यह बहुत चिंताजनक विषय है।

सरकारी पहल

ऐसा नहीं है कि अभी तक केन्द्र और राज्य सरकारों ने शहरी गरीबों के लिए कोई भी कार्य नहीं किया है बल्कि इससे पहले भी सरकार द्वारा शहरी गरीबी दूर करने के लिए कई कदम उठाये गये हैं जो निम्नलिखित है-

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (SJSRY): भारत में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना एक केन्द्र प्रायोजित योजना है, जो 1 दिसम्बर 1997 को लागू हुई। इस योजना का मुख्य उद्देश्य स्व-रोजगार उद्यमों की स्थापना अथवा मजदूरी रोजगार की व्यवस्था करके शहरी बेरोजगार अथवा अल्प रोजगारों को लाभप्रद रोजगार मुहैया कराना था। इस योजना के अंतर्गत निवेशों की आपूर्ति शहरी स्थानीय निकायों और समुदाय संरचनाओं के माध्यम से की जाएगी। अतः स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का उद्देश्य इन स्थानीय निकायों और सामुदायिक संगठनों को सुदृढ़ करना है ताकि वे शहरी गरीबों द्वारा सामना किये जा रहे रोजगार और आय अर्जन के मुद्दों को देख सकें। 2013 में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का नाम बदलकर राष्ट्रीय नगरीय आजीविका मिशन कर दिया गया है।

इस योजना का उद्देश्य कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि कर शहरी गरीबी को कम करना है। इस योजना को आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के तहत शुरू किया गया है। इसका लक्ष्य शहरी गरीब परिवारों की गरीबी और जोखिम को कम करने के लिए उन्हें लाभकारी स्वरोजगार और कुशल मजदूरी रोजगार का अवसर प्रदान करना है।

अय्यनकाली शहरी रोजगार गारंटी योजना (AUEGS): केरल सरकार की यह योजना मनरेगा के ही समान है। अर्थव्यवस्था में पर्याप्त रोजगार के अभाव के चलते शहरी क्षेत्रों में सबसे गरीब तबकों के लिए न्यूनतम आजीविका सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस योजना को लागू किया गया है। इस योजना के तहत एक वर्ष में 100 दिनों का रोजगार दिया जाता है। इसका उद्देश्य केरल के शहरी क्षेत्रों में लोगों के लिए एक अधिकार-आधारित सामाजिक सुरक्षा के जाल को मजबूत करना है। शहरी क्षेत्रों में रहने वाले और अकुशल मैनुअल काम करने के इच्छुक हर घर के वयस्क सदस्य नगर निगम/नगर पालिका के साथ अपना नाम पंजीकृत कर सकते हैं। अय्यनकाली शहरी रोजगार गारंटी योजना में महिलाओं को भी प्राथमिकता दी जाएगी। इस योजना के अनुसार लाभार्थियों में कम से कम 50 प्रतिशत महिलाएँ होंगी।

युवा-स्वाभिमान योजना: मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य के शहरी गरीब युवाओं के लिए 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने हेतु इस योजना की शुरूआत की है। इस योजना के तहत सरकार शहरी बेरोजगार युवा-युवतियों को वर्ष में 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित करेगी, जिसमें प्रशिक्षण भी शामिल होगा। इस योजना में 21 से 30 वर्ष आयु समूह के वे शहरी नौजवान लाभान्वित होंगे, जिनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम है। इन्हें 100 दिन में 4,000 रुपये महीने के हिसाब से कुल 13,500 रुपये मानदेय भी मिलेगा।

ग्रीन न्यू डील: संयुक्त राज्य अमेरिका ग्रीन न्यू डील के तहत अपने नागरिकों को काम प्राप्त करने का कानूनी अधिकार प्रदान करता है। इसके अंतर्गत वहाँ के अकुशल युवा दैनिक वेतन पर विकास कार्यों में संलग्न रहते हैं।

लाभ

राष्ट्रीय शहरी रोजगार गारंटी कार्यक्रम को लागू करने से निम्नलिखित लाभ प्राप्त होंगे-

- इस तरह के कार्यक्रम से शहरी निवासियों को काम करने का वैधानिक अधिकार मिलेगा और इस तरह से संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत जीवन की गारंटी का अधिकार सुनिश्चित होगा।
- यह कार्यक्रम प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अनौपचारिक क्षेत्र में, श्रमिकों की आय को बढ़ाकर उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार कर सकता है।
- यह कार्यक्रम शहरी अनौपचारिक क्षेत्र में कम मजदूरी और कार्यबल में बेरोजगारी की समस्या को दूर कर सकता है।
- इस तरह के कार्यक्रम से शहरी बुनियादी ढाँचे और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए शहरों में अत्यधिक जरूरी सार्वजनिक निवेश को बढ़ाया जा सकता है।
- एक शहरी रोजगार गारंटी कार्यक्रम न केवल श्रमिकों की आय में सुधार करता है, बल्कि अर्थव्यवस्था पर भी अत्यधिक प्रभाव डालता है। यह छोटे शहरों में स्थानीय मांग को बढ़ावा देगा, सार्वजनिक बुनियादी ढाँचे और सेवाओं में सुधार करेगा, उद्यमिता को बढ़ावा देगा, श्रमिकों के कौशल का निर्माण करेगा। इसलिए, शहरी भारत में रोजगार गारंटी कार्यक्रम को चलाया जाना अति आवश्यक है।

सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट के सुझाव

एक तरफ जहाँ बेरोजगारी और असुरक्षित, असंगठित रोजगार की समस्या तीव्र रूप ले रही है, वहीं दूसरी तरफ शहरों में सार्वजनिक सेवाओं का सख्त अभाव दिखता है क्या इन समस्याओं का एक साथ कोई हल निकल सकता है? संभव है कि शहरी रोजगार गारंटी योजना के जरिये यह मुमकिन है।

करीब एक दशक पहले पूरे देश में मनरेगा लागू करने के बाद भारत ने सीमित रूप में ही सही रोजगार की गारंटी का सिद्धांत स्वीकार कर लिया।

पिछले कुछ सालों में मनरेगा में बजट की कमी और तीव्र केंद्रीकरण के चलते मजदूरों को लगातार लंबित भुगतान और कम मजदूरी जैसी परेशानियों को झेलना पड़ा है। फिर भी, मनरेगा ने गरीबों की आय बढ़ाने, गाँवों में लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने, लैंगिक व जाति-आधारित गैर-बराबरी घटाने, पर्यावरण सुधारने तथा कुआँ-तालाब जैसे सामूहिक संसाधनों को सुदृढ़ करने में सफलता पायी है। साथ ही, ग्रामसभा को सक्षम करके अति गरीब नागरिकों की लोकतांत्रिक ढांचे में उम्मीद जगाने में मनरेगा का बड़ा योगदान हो सकता है।

शहरी रोजगार गारंटी योजना कुछ हद तक मनरेगा से प्रेरित हो सकती है, लेकिन इसे शहर के अनुकूल एक अलग रूप लेना होगा।

भारत में तकरीबन 4,000 ऐसे छोटे शहर हैं। जहाँ कई प्रकार के कार्य इस योजना के अंतर्गत किये जा सकते हैं। जैसे, साधारण लोक-निर्माण कार्य यानी सड़क, फुटपाथ, पुल अदि का निर्माण और मरम्मत, शहरी पर्यावरण सुधार यानी नदी, तालाब, जंगल, बंजर जमीन और अन्य सार्वजनिक जगहों का कायाकल्प, देखभाल, सफाई, वृक्षारोपण, पार्क और अन्य हरित जगहों का निर्माण, शहरी कृषि और ऐसे कई अन्य काम इस योजना में सुझाये गये हैं।

गाँवों के मुकाबले शहरों में भिन्न-भिन्न हुनर वाले और उच्च शिक्षा प्राप्त लोग अधिक होते हैं, इसलिए योजना में इसका ख्याल रखा गया है।

इसके अंतर्गत दिहाड़ी मजदूरों से लेकर मिस्त्री, इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर, पेंटर, कारपेंटर और अन्य कई कुशल कारीगरों के लिए काम का प्रावधान है। शहर का कोई भी नागरिक साल में सौ दिन का काम पा सकता है, जिसके लिए 500 रुपये प्रतिदिन की दर सुझायी गयी है। इसे हर साल महंगाई के हिसाब से बढ़ाया जायेगा।

उच्च शिक्षित बेरोजगार युवा सार्वजनिक अस्पताल, विद्यालय, दफ्तर आदि में अप्रेंटिस (हेल्पर या इंटर्नशिप) का काम पा सकते हैं। साथ ही पर्यावरण और सार्वजनिक सेवाओं की स्थिति का सर्वेक्षण करना, इससे संबंधित लिखा-पढ़ी का काम और अन्य निगरानी तथा प्रशासनिक कामों में भी उनकी भागीदारी हो सकती है। हर बेरोजगार उच्च शिक्षित युवा को साल में करीब पांच महीने यह काम मिल सकता है।

इन कामों के लिए प्रति माह 13,000 रुपये वेतन मिलेगा। इस तरह शहरी बेरोजगार युवाओं को काम का अनुभव मिलेगा, कौशल बढ़ाने का मौका मिलेगा, योजना में भागीदारी का सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जिसके आधार पर निजी क्षेत्र में नौकरी मिलने में भी आसानी हो सकती है।

छोटे शहरों में नगर पंचायतें और नगर पालिका आदि आर्थिक व अन्य संसाधनों के अभाव का सामना करती रहती हैं। इस योजना के जरिये इन संस्थाओं में भी जान फूंकी जा सकती है। शहरी रोजगार गारंटी के तहत जो लोग काम करेंगे, वे नगर पालिका के नियमित स्टाफ की जगह नहीं ले सकते और न ही रिक्त स्थान भर सकते हैं, लेकिन उनके काम में मदद जरूर कर सकते हैं। प्रस्तावित योजना लगभग तीन से पांच करोड़ लोगों को लाभ पहुंचा सकती है। इस योजना में कुल खर्च सकल घरेलू उत्पाद का 1.7 से 2.7 प्रतिशत तक होगा, ऐसा अनुमान है।

चुनौतियाँ

इस कार्यक्रम के अनेक लाभ होने के साथ ही साथ इसमें कई चुनौतियाँ भी विद्यमान हैं-

- शहरी क्षेत्रों के लिए रोजगार गारंटी कार्यक्रम के साथ एक संभावित समस्या यह है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर प्रवासन बढ़ सकता है।
- राज्य के कानूनों के अनुसार वास्तविक लाभार्थी की पहचान के लिए अधिवास की स्थिति (Domicile Status) को साबित करना बहुत मुश्किल होगा।
- कार्यक्रमों के सफल कार्यान्वयन के लिए बहुत ज्यादा निधि की आवश्यकता होती है। यह राज्यों और केन्द्र पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डाल सकता है। इसका असर केन्द्र और राज्यों द्वारा दी जा रही कई सब्सिडियों पर भी पड़ सकता है।
- जिस तरह से बार-बार यह बात सामने आती है कि मनरेगा के तहत दी गई मजदूरी में पारदर्शिता का अभाव है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है, उसी तरह से इस कार्यक्रम की सही से निगरानी नहीं हुई तो यह भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ सकता है।
- भारत में शहरी विस्तार बहुत तेज गति से बढ़ रहा है साथ ही भारत की शहरी आबादी में इजाफा हुआ है। इन शहरी जनसंख्या में शहरी गरीबों का प्रतिशत भी तेज गति से बढ़ा है। इन सब शहरी गरीबों को रोजगार उपलब्ध कराना सरकार के लिए काफी चुनौती भरा होगा।

आगे की राह

पूरे देश में सरकार को राष्ट्रीय शहरी रोजगार योजना को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अधिक से अधिक ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। केरल जैसे अय्यनकाली योजना को पूरे देश में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अपनाना चाहिए। जब शहरी बेरोजगारी बढ़ रही है, तो यह न केवल खाद्य सुरक्षा और आजीविका के लिए सुरक्षा प्रदान करेगी बल्कि इससे बेरोजगारी भी कम होगी।

भारत में सभी राज्यों में इस तरह की योजना की आवश्यकता तब बढ़ जाती है जब ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में कम मजदूरी पर काम करने वाले लोगों की कमी नहीं है। लेकिन इसे आवश्यक राजनीतिक इच्छाशक्ति के बिना महसूस नहीं किया जा सकता है और आगे नव निर्वाचित केंद्र सरकार को प्राथमिकता के आधार पर इस तरह के कार्यक्रम को लागू करना होगा। राजनीतिक दलों को अपने चुनाव घोषणा पत्र में शहरी रोजगार गारंटी योजना रखने की मांग को शामिल करना चाहिए।

यह योजना यदि शुरू की गई तो एक पथप्रवर्तक पहल होगी यह समझते हुए कि हमारी आर्थिक वृद्धि अभी भी हाशिए पर नहीं गई है और पर्याप्त संख्या में परिश्रमी लोग शहर में हैं जो इससे लाभान्वित होंगे और सुरक्षित और गरिमा के साथ जीवन जीने के लिए समर्थन के हकदार हैं। इसके अलावा, इस योजना के शुरू होने से शहरी क्षेत्र में बेहतर बदलाव आएंगे।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- केन्द्र एवं राज्यों द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्गों के लिए कल्याणकारी योजनाएँ और इन योजनाओं का कार्य-निष्पादन, इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, विधि, संस्थान एवं निकाय।

■

5. द्वीप संरक्षण क्षेत्र : द्वीपों के समग्र विकास की ओर एक कदम

चर्चा का कारण

हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने अंडमान और निकोबार के लिए 'द्वीप संरक्षण क्षेत्र' (island protection zone- 2019) को अधिसूचित किया है। इस अधिसूचना के अंतर्गत बाराटांग, हैवलॉक और कार निकोबार जैसे छोटे द्वीपों में उच्च ज्वार रेखा (High Tide Line -HTL) से 20 मीटर की दूरी पर इको-पर्यटन परियोजनाओं को अनुमति प्रदान किया गया है। ज्ञातव्य है कि इस अधिसूचना की पिछली समीक्षा वर्ष 2011 में की गई थी।

पृष्ठभूमि

तटीय क्षेत्रों के संरक्षण एवं द्वीपों की सुरक्षा के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वर्ष 1991 में तटीय विनियमन जोन अधिसूचना जारी की थी, जिसे वर्ष 2011 में संशोधित किया गया था।

इसके बाद पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने डॉ. शैलेश नायक (पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में सचिव) की अध्यक्षता में जून 2014 में एक समिति गठित की थी, जिसे सीआरजेड अधिसूचना, 2011 में उपयुक्त बदलावों की सिफारिश करने के लिए तटीय राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों और अन्य हितधारकों की चिंताओं के साथ-साथ विभिन्न मुद्दों पर भी गौर करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। शैलेश नायक समिति

ने राज्य सरकारों एवं अन्य हितधारकों के साथ व्यापक सलाह-मशविरा करने के बाद वर्ष 2015 में अपनी सिफारिशें पेश कर दी थीं।

तटीय क्षेत्रों एवं द्वीपों के सतत विकास की समग्र अनिवार्यता और तटीय परिवेश के संरक्षण की आवश्यकता के आधार पर सरकार ने तटीय विनियमन जोन अधिसूचना 2018 को मंजूरी दी है, जिससे तटीय समुदायों की आकांक्षाएँ पूरी करने और समाज के गरीब एवं कमजोर तबकों का कल्याण सुनिश्चित करने में काफी मददगार साबित होने की आशा है।

सीआरजेड और आईपीजेड भारत की 7500 किलोमीटर तटीय सीमा और द्वीप समूहों को ध्यान में रखते हुए एक अहम कदम है। तटीय पारिस्थितिकी का संरक्षण हमें प्राकृतिक आपदाओं जैसे सुनामी या बाढ़ से बचाव के लिए महत्वपूर्ण है।

द्वीप संरक्षण क्षेत्र-2019

- यह अधिसूचना बाराटांग, हैवलॉक और कार निकोबार जैसे छोटे द्वीपों में उच्च ज्वार रेखा से 20 मीटर की दूरी तक और बड़े क्षेत्रों में 50 मीटर की दूरी तक इको-टूरिज्म की अनुमति देती है।
- यह द्वीप तटीय विनियमन क्षेत्र 1ए में (यह पर्यावरणीय दृष्टि से सबसे संवेदनशील क्षेत्र है जिसमें दलदल, प्रवाल भित्तियाँ, कछुओं के प्रजनन स्थल शामिल हैं) इको-टूरिज्म गतिविधियों के लिए अनुमति देती है।
- नई अधिसूचना में द्वीपों पर बुनियादी ढाँचे के विकास और निर्माण की सुविधा के लिये कई प्रावधानों में बदलाव किया गया है।
- पर्यावरण की दृष्टि से सर्वाधिक संकटमय (Critical) तटीय विनियमन क्षेत्र को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है।
- तटीय विनियमन क्षेत्र-1ए में शामिल पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र हैं- मैंग्रोव, मूंगा एवं मूंगा चट्टानें, रेत के टीले, कछुआ वास स्थल, पक्षी वास स्थल आदि।
- तटीय विनियमन क्षेत्र-1बी में निम्न ज्वार रेखा और उच्च ज्वार रेखा के मध्य आने वाले क्षेत्र शामिल होंगे।
- अधिसूचना में इको सेंसिटिव जोन में रक्षा प्रतिष्ठानों, सार्वजनिक उपयोगिता या रणनीतिक उद्देश्यों से संबंधित भूमि का पुनर्ग्रहण कर सड़कों के निर्माण की अनुमति दी गई है।
- नई अधिसूचना कम ज्वार रेखा (Low Tide Line) और उच्च ज्वार रेखा (HTL) के बीच अंतर-ज्वारीय क्षेत्र (Inter-Tidal Zone) में कई नई गतिविधियों की भी अनुमति देती है जिसमें शामिल हैं- बंदरगाह, जेटी (Jetties), घाट, क्वाइल, समुद्री लिंक आदि के लिये भूमि की मरम्मत और फोरशोर (Foreshore) सुविधाओं के लिये बांध का निर्माण।
- द्वीपीय क्षेत्र में नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना और मौजूदा औद्योगिक इकाइयों का विस्तार, खतरनाक पदार्थों का भंडारण, नई मत्स्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना आदि गतिविधियाँ प्रतिबंधित होंगी।
- द्वीपीय क्षेत्र में इको-पर्यटन, बंदरगाह आदि का निर्माण, आवासीय भवन, विद्यालय आदि का निर्माण इत्यादि गतिविधियों की अनुमति होगी।
- नीली अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना और समुद्री संसाधनों का स्थायी दोहन करना।
- पारंपरिक मछुआरा समुदायों के आजीविकाओं की सुरक्षा, तटीय पारितंत्र का संरक्षण और तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए आवश्यक आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना इत्यादि।

एकीकृत द्वीप प्रबंधन योजना

- एकीकृत द्वीप प्रबंधन योजना के अंतर्गत द्वीपों में विकास, स्थानीय पौधों, जीव-जन्तुओं का संरक्षण आदि शामिल है।
- द्वीपों में बुनियादी अवसंरचना जैसे बिजली, सड़क, पानी को सुदृढ़ करना तथा इसके साथ ही संचार, प्राकृतिक आपदा के समय राहत एवं बचाव तथा लोगों की निकासी जैसे उपाय किये जाने पर यह योजना बल देती है।
- एकीकृत द्वीप प्रबंधन योजना के तहत स्थानीय वनस्पतियों का संरक्षण तथा मैंग्रोव वनों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाता है।
- स्थानीय वन उत्पादों जैसे बाँस का इस्तेमाल निर्माण सामग्री के रूप में प्रयोग करना।
- पवन, सौर, ज्वार ऊर्जा एवं विलवणीकरण तथा जल पुनर्चक्रण पर विशेष ध्यान देना।
- चक्रवात, सुनामी तथा अन्य प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए चेतावनी प्रणाली को सुदृढ़ करना ताकि आपदा के समय लोगों की निकासी समय से हो सके।
- एकीकृत द्वीप प्रबंधन योजना के अंतर्गत आरक्षित वनों, संरक्षित वनों, राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में कोई विकासात्मक गतिविधियों को अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- प्राकृतिक आपदाओं के कारण विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास हेतु कार्य करना।

द्वीप विकास एजेंसी

द्वीप विकास एजेंसी (Island Development Agency) का गठन केन्द्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में जून 2017 में किया गया था। ज्ञातव्य है कि नीति आयोग को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वह द्वीप समूह के समग्र विकास को चलाने के लिए राज्य सरकारों/केन्द्रशासित प्रदेशों के साथ मिलकर कार्य करेगी। द्वीपों का सतत् विकास तथा समग्र समुद्री विकास को भारत सरकार द्वारा उच्च प्राथमिकता दी गई है। इस कार्यक्रम के तहत प्रथम चरण में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में 10 द्वीपों के समग्र विकास के लिए कदम उठाये गये हैं। आइडीए ने 11 पर्यटन परियोजनाओं (अंडमान एवं निकोबार में 6 और लक्षद्वीप में 5) और कई अन्य बुनियादी

ढाँचा परियोजनाओं की समीक्षा की है। इन 11 परियोजनाओं में से 7 (अंडमान एवं निकोबार में 4 तथा लक्षद्वीप में 3) 'रेडी टू लॉन्च' स्टेज पर हैं।

द्वीप तटीय विनियमन क्षेत्र

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 3 द्वारा द्वीपों के संरक्षण हेतु केन्द्र सरकार अंडमान एवं निकोबार में आठ बड़े महासागरीय द्वीपों- मध्य अंडमान, उत्तरी अंडमान, दक्षिण अंडमान, ग्रेट निकोबार, बाराटांग, हेवलॉक, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, नील और लाँग द्वीप तथा देश के तटीय क्षेत्रों और देश की क्षेत्रीय जल सीमा तक के जल क्षेत्र को द्वीप तटीय विनियमन क्षेत्र घोषित करती है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित समूह आते हैं-

- समूह-I द्वीप समूहों के अंतर्गत उच्च रेखा से लेकर समुद्र तट के समानांतर भूमि की ओर 200 मीटर का भू-क्षेत्र शामिल है।
- समूह-II द्वीप समूहों के अंतर्गत समुद्र तट के समानांतर भूमि की ओर अभिमुख 100 मीटर का भू-क्षेत्र शामिल है।
- समूह-I: 1000 वर्ग किमी. से अधिक भौगोलिक क्षेत्रफल वाले द्वीप जैसे दक्षिण अंडमान, मध्य अंडमान, उत्तरी अंडमान और ग्रेट निकोबार।
- समूह-II: 100 वर्ग किमी. से अधिक किंतु 1000 वर्ग किमी. से कम भौगोलिक क्षेत्रफल वाले द्वीप जैसे बाराटांग, लिटिल अंडमान, हैवलॉक और कार-निकोबार।
- आइसीआरजेड समुद्र से जुड़े उन भू-क्षेत्रों पर लागू होता है जो ज्वारीय प्रभाव वाले जल निकायों के किनारे भूमि की ओर अभिमुख भाग पर एचटीएल से 20 मीटर या संकरी खाड़ी (क्रीक) की चौड़ाई, जो भी कम हो, के बीच स्थित भू-क्षेत्र है।

आइसीआरजेड का वर्गीकरण

- आइसीआरजेड-1क में पारिस्थितिकी की दृष्टि से संवेदनशील (ईएसए) और भू-आकृति की विशेषताओं वाले निम्नलिखित क्षेत्र शामिल होंगे, जो तट की अखंडता को बरकरार रखने में भूमिका निभाते हैं।
  - कच्छ वनस्पति: यदि कच्छ वनस्पति क्षेत्र 1000 वर्ग मीटर से अधिक है तो कच्छ वनस्पति के किनारे 20 मीटर के क्षेत्र को बफर क्षेत्र के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा।
  - प्रवाल और प्रवाल भित्ति,
  - बालू के टीले,
  - जैविक रूप से सक्रिय नमभूमि,
  - राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री पार्क, अभयारण्य, रिजर्व वन, वन्यजीव पर्यावास और अन्य संरक्षित क्षेत्र,
  - लवणीय दलदल,
  - कछुआ प्रजनन स्थल,
  - हॉर्स-शू केकड़े का पर्यावास,
  - समुद्री घास का मैदान,
  - समुद्री शैवाल,
  - पक्षियों के प्रजनन का स्थान,
  - पुरातात्विक महत्त्व के क्षेत्र या संरचनाएँ और धरोहर स्थल।
- समूह-I द्वीप समूहों के लिए: भूमि की ओर वाले भाग पर एचटीएल से 100 मीटर तक के क्षेत्र को 'नो डेवलपमेंट जोन (एनडीजेड)' के रूप में निर्धारित किया जाएगा। किन्तु पारिस्थितिकीय-पर्यटन कार्यकलाप के विकास के लिए एनडीजेड 50 मीटर होगा और अंडमान निकोबार प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि मछुआरा समुदाय के हितों की पूर्णतः रक्षा हो।
- समूह-II द्वीप समूहों के लिए: भूमि की ओर वाले भाग पर एचटीएल से 50 मीटर तक के क्षेत्र को 'नो डेवलपमेंट जोन (एनडीजेड)' के रूप में निर्धारित किया जाएगा।
- आईसीआरजेड III में स्थित एचटीएल से 20 मीटर तक या क्रीक की चौड़ाई जो भी कम हो, के भू-क्षेत्र को भी एनडीजेड के रूप में चिह्नित किया जाएगा।

नोट: एनडीजेड अधिसूचित बंदरगाह की सीमाओं के अंदर वाले क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा।

लाभ

- द्वीप संरक्षण क्षेत्र (Island Protection Zone-IPZ- 2019) के अधिसूचना से द्वीपीय क्षेत्रों में गतिविधियां काफी बढ़ जाएंगी जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक विकास की रफ्तार भी तेज हो जाएगी। इसके साथ ही तटीय क्षेत्रों के संरक्षण संबंधी सिद्धांतों को भी ध्यान में रखा जाएगा।
- इससे न केवल बड़ी संख्या में रोजगारों का सृजन होगा, बल्कि बेहतर जीवन के साथ-साथ भारत की अर्थव्यवस्था में मूल्यवर्द्धन भी सुनिश्चित होगा। नई अधिसूचना से द्वीपों की अतिसंवेदनशीलता में कमी आने के साथ-साथ उनका जीर्णोद्धार भी होने की आशा है।
- नई अधिसूचना आर्थिक गतिविधियों, बुनियादी ढांचागत सुविधाओं और अवसरों की दृष्टि से पर्यटन को बढ़ावा देगी और इसके साथ ही यह पर्यटन के विभिन्न पहलुओं में रोजगार का अवसर सृजित करने में निश्चित तौर पर काफी मददगार साबित होगी।
- इससे उन लोगों का उत्साह भी काफी बढ़ जाएगा, जो समुद्र का अवलोकन करने और उसके सौंदर्य का आनंद उठाने के इच्छुक हैं।

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह बंगाल की खाड़ी में स्थित भारत का एक संघ राज्य क्षेत्र है, जिसमें छोटे बड़े लगभग 576 द्वीप शामिल हैं। इन द्वीपों को दो प्रमुख द्वीपसमूहों में बाँटा गया है अर्थात् उत्तर में अंडमान द्वीप समूह और दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के पूर्व में स्थित अंडमान सागर इसे थाईलैंड और म्यांमार देशों से अलग करता है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी 'बैरन द्वीप' यहीं स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पारिस्थितिकी तंत्र में कठोर या चट्टानी प्रवाल की 555 प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जो पर्यावरणीय दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हैं। इसके अतिरिक्त लंबे समय तक मुख्य भूमि से अलगाव के कारण ये द्वीप कई प्रजातियों के उद्‌भव के लिए हॉटस्पॉट बने जिसके परिणामस्वरूप सैकड़ों स्थानिक प्रजातियाँ और उपप्रजातियाँ यहाँ विकसित हुई। निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि किसी भी पर्यावरणीय संकट या मानव जनित संकट का द्वीपों की जैवविविधता पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकता है, जो किसी भी स्थानिक जीव को आबादी के आकार को नष्ट करते हुए आने वाले वर्षों में उसे विलुप्तता तक पहुँचा सकता है।

द्वीप संरक्षण क्षेत्र-2019 से संबंधित चिंताएँ

- नई अधिसूचना से पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र जैसे - मैंग्रोव, मूंगा एवं मूंगा चट्टानें, रेत के टीले, कछुआ वास स्थल, पक्षी वास स्थल आदि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
- तटीय क्षेत्र में इको-पर्यटन, बंदरगाह का निर्माण, आवासीय भवन, विद्यालय आदि का निर्माण जैव विविधता और वहाँ के आदिवासी समुदाय के लिए अनुचित साबित हो सकता है।
- इस अधिसूचना में इको सेंसिटिव जोन में रक्षा प्रतिष्ठानों, सार्वजनिक उपयोगिता या रणनीतिक उद्देश्यों से संबंधित भूमि का पुनर्ग्रहण कर सड़कों के निर्माण की अनुमति दी गई है, अतः यह पर्यावरण के प्रतिकूल हो सकता है।
- पर्यटन, अवैध निर्माण और खनन द्वीपों की

जैव विविधता के लिए खतरा पैदा कर रहे हैं, जो अस्थिर जलवायु कारकों के प्रति पहले से ही सुभेद्य है।

- इस अधिसूचना के बाद स्मिथ आइलैंड, एव्स आइलैंड और अन्य द्वीपों पर पर्यटन से जुड़ी परियोजनाओं को तेज गति मिलेगी जिससे इस क्षेत्र में नाजुक पारिस्थितिकी क्षेत्र विशेषकर समुद्री जैव विविधता पर प्रभाव पड़ेगा।

आगे की राह

- अंडमान और निकोबार को सुरक्षित करने के लिए सरकार को हर स्तर पर सतत् प्रयास करने की आवश्यकता है
- द्वीपों व तटीय क्षेत्रों की गुणवत्ता व उसके संरक्षण हेतु सभी आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिये।
- द्वीपों एवं तटीय क्षेत्रों में प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और उपशमन हेतु राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना बनाना तथा उसे क्रियान्वित करना चाहिए।
- द्वीपों एवं तटीय क्षेत्रों की गुणवत्ता के मानक निर्धारित करना।
- पर्यावरण सुरक्षा से सम्बन्धित अधिनियमों के अन्तर्गत अंडमान और निकोबार के अधिकारियों और संबंधित कर्मचारियों के माध्यम से आपस में समन्वय स्थापित करना चाहिए।
- अंडमान और निकोबार के लिए विशेष परिसीमन करना और कानून बनाना, जहाँ किसी भी उद्योग की स्थापना अथवा औद्योगिक गतिविधियाँ संचालित न की जा सकें। उक्त-अधिनियम का उल्लंघन करने वालों के लिये कठोर दंड का प्रावधान करना चाहिए।
- इन क्षेत्रों में जैसे- मैंग्रोव, मूंगा चट्टानें, रेत के टीले, कछुआ वास स्थल, पक्षी वास स्थल आदि को सुरक्षा प्रदान करना चाहिए।
- तटीय क्षेत्रों में इको-पर्यटन, बंदरगाह का निर्माण, आवासीय भवन, विद्यालय आदि का निर्माण जैव विविधता और पर्यावरण को ध्यान में रख कर इनका विकास करना चाहिए।
- अंडमान एवं निकोबार तथा अन्य द्वीपों के आदिवासी समुदाय के लिए उपयुक्त वातावरण और आर्थिक गतिविधियों का संचालन किया जाना चाहिए।
- इस क्षेत्र के इको सेंसिटिव जोन में मानवीय हस्तक्षेप को नियंत्रित करना चाहिए।
- सार्वजनिक उपयोगिता या रणनीतिक उद्देश्यों से संबंधित भूमि का पुनर्ग्रहण सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए।
- वहाँ के समुदाय तथा पर्यावरण के प्रतिकूल कोई भी औद्योगिक गतिविधियाँ प्रतिबंधित की जानी चाहिए।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- संरक्षण, पर्यावरण प्रदूषण और क्षरण, पर्यावरण प्रभाव का आकलन।

■

6. वर्तमान समाज में भगत सिंह के विचारों की प्रासंगिकता

चर्चा का कारण

23 मार्च, 2019 को पूरे देश में शहीद दिवस मनाया गया। उल्लेखनीय है कि आज से 87 वर्ष पूर्व भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरू की देशभक्ति को अपराध की संज्ञा देकर अंग्रेजों द्वारा फाँसी पर लटका दिया गया था। उसी दिन से हर वर्ष उनकी शहादत के याद में यह दिवस मनाया जाता है।

परिचय

भगत सिंह महज क्रांतिकारी देशभक्त ही नहीं बल्कि एक अध्ययनशील विचारक, दार्शनिक, चिंतक, लेखक, पत्रकार भी थे। उनका जन्म 27 सितंबर 1907 को लायलपुर जिले के बंगा में हुआ था, जो वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है। उस समय उनके चाचा अजीत सिंह और खान सिंह भारत की आजादी में अपना सहयोग दे रहे थे। ये दोनों करतार सिंह सराभा द्वारा संचालित गदर पार्टी के सदस्य थे। भगत सिंह पर इन दोनों का गहरा प्रभाव पड़ा था।

ज्ञातव्य है कि 23 वर्ष की छोटी-सी आयु में ही उन्होंने फ्रांस, आयरलैंड और रूस की क्रांति का विशद अध्ययन करके क्रांतिकारी विचार और सिद्धांत प्रस्तुत किये तथा भारत में समाजवाद के प्रखर व्याख्याता बने। उन्होंने 'अकाली' और 'कीर्ति' दो अखबारों का संपादन भी किया।

वर्तमान समय में प्रासंगिकता

भगत सिंह की शहादत को कई वर्ष बीत चुके हैं। इन वर्षों में दुनिया की तस्वीर आश्चर्यजनक रूप से बदली है। बावजूद इसके आज भी उनके विचारों को पढ़ते हुए लगता है कि उनके विचार हमारे समाज के लिए बहुत जरूरी और प्रेरणादायक हैं। खासकर समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार, धार्मिक अंधविश्वास व साम्प्रदायिकता, जातीय उत्पीड़न, आतंकवाद आदि के संदर्भ में। यहाँ उनके विचारों की वर्तमान प्रासंगिकता को निम्न शीषकों के अंतर्गत समझा जा सकता है-

समानता: भगत सिंह ने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की थी, जहाँ सभी व्यक्ति को एक समान समझा जाए। उन्होंने दृढ़ता से माना कि जब तक काले और गोरे, सभ्य और असभ्य, अमीर और गरीब, छूत-अछूत आदि जैसे शब्द प्रचलित हैं, तब तक सार्वभौमिक भाईचारे की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा कि ''हमें समानता के लिए अभियान चलाना होगा साथ ही साथ समानता पर आधारित दुनिया का विरोध करने वालों को दंडित करना होगा।'' उल्लेखनीय है कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम के नायकों में, वह शायद एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास इतनी कम उम्र में यह दृष्टिकोण था।

इस दृष्टिकोण की प्रासंगिकता वर्तमान समय में और बढ़ जाती है। दरअसल विश्व स्तर पर असमानता की घटना जिस तरीके से बढ़ी है वह एक चिंता का विषय है। उदाहरण के तौर पर आज भी लिंग, जाति, रंग, नस्ल, वर्ग आदि के आधार पर भेदभाव कायम है। कई देशों में आज भी महिलाओं को संपत्ति, शिक्षा, वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया है। इसके अतिरिक्त नस्लीय आधार पर हिंसा की घटनाएँ भी बढ़ी हैं जिसकी पुष्टि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका तथा अन्य यूरोपीय देशों में नस्लीय आधार पर छात्रों पर हुए आत्मघाती हमलों से होती है।

साम्राज्यवाद: भगत सिंह ने अपने अनेक लेखों व वक्तव्यों में साम्राज्यवाद के दमनकारी चरित्र के बारे में चर्चा की है। उनके अनुसार साम्राज्यवाद मनुष्य के हाथों मनुष्य के और राष्ट्र के हाथों राष्ट्र के शोषण का आधार है। साम्राज्यवादी अपने हितों को पूरा करने के लिए न सिर्फ न्यायालयों एवं कानूनों की अनदेखी करते

हैं, बल्कि युद्ध तक की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो कुछ ऐसी ही स्थिति वैश्वीकरण के इस युग में देखी जा सकती है, जहाँ बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ, अंतर्राष्ट्रीय संस्था व शक्तिशाली देश विउपनिवेशीकरण की नीति के तहत कमजोर राष्ट्रों के व्यापार, संस्कृति, राजनीतिक, आर्थिक व वित्तीय मामलों में हस्तक्षेप कर उनका शोषण कर रहे हैं।

जातीय उत्पीड़नः जातीय उत्पीड़न के संबंध में भगत सिंह ने अपना विचार मुख्य तौर पर 'अछूत समस्या' शीर्षक लेख में व्यक्त किया। यह लेख 1928 में 'किरती' में प्रकाशित हुआ था।

इस लेख में उन्होंने लिखा कि वास्तव में हमारा देश खराब स्थिति में है, यहाँ सबसे अजीब सवाल पूछे जाते हैं। उदाहरण के तौर पर क्या अछूतों के प्रवेश से मंदिरों के देवता नाराज हो जायेंगे? यदि अछूत उच्च जाति के कुएँ से पानी निकालते हैं तो कुएँ का पेयजल प्रदूषित होगा या नहीं आदि। उल्लेखनीय है कि यह प्रश्न बीसवीं सदी में पूछे जा रहे थे। स्वतंत्रता के पश्चात् इस जातीय उत्पीड़न से निपटने के लिए जहाँ संवैधानिक प्रावधान के तहत अनुच्छेद 17 (अस्पृश्यता का अंत) का प्रावधान किया गया वहीं कई वैधानिक प्रावधान भी किए गए। बावजूद इसके जातीय उत्पीड़न की घटनाएँ अपनी निरंतरता बनायी हुई है। उदाहरण के तौर पर हाल ही में हुई मॉब लीचिंग की घटनाएँ, जिसके तहत भीड़ द्वारा दलितों पर कई आत्मघाती हमले हुए इसके अतिरिक्त यदा-कदा दलित शोषण व उनके साथ उच्च वर्ण के लोगों द्वारा अमानवीय प्रताड़ना की खबरें आती रहती हैं, जिससे आहत होकर कई दलितों द्वारा बौद्ध धर्म को अपना लिया गया है। इन हालातों में भगत सिंह के जातीय संबंधित विचार प्रसांगिक हो जाते है। दरअसल उनके सपनों के भारत में इस तरह की व्यवस्था के लिए कोई स्थान नहीं था।

धार्मिक अंधविश्वासः धर्म को लेकर उनका मानना था कि धार्मिक अंधविश्वास व कट्टरपंथ विकास में एक बड़ी बाधा उत्पन्न की है। उन्होंने एक लेख ''मैं नास्तिक क्यों हूँ'' को लिखकर धर्म और ईश्वर के बारे में अपने विचार प्रकट करते हुए लिखा कि ''अधिक विश्वास और अधिक अंधविश्वास खतरनाक होता है। यह मस्तिष्क को मूर्ख और मनुष्य को प्रतिक्रियावादी बना देता है, जो मनुष्य यथार्थवादी होने का दावा करते हैं, उन्हें समस्त प्राचीन विश्वासों को चुनौती देनी होगी। यदि वो तर्क का प्रहार न सहन कर सकें तो टुकड़े-टुकड़े होकर गिर पड़ेंगे। तब उस व्यक्ति का पहला काम होगा तमाम पुराने विश्वासों को धाराशायी करें और नए दर्शन की स्थापना के लिए जगह साफ करें। इसके बाद सही कार्य शुरू होगा, जिसमें पुनः निर्माण के लिए पुराने विश्वासों की कुछ बातों का प्रयोग किया जा सकता है।''

गौरतलब है कि धर्म के संदर्भ में उनके यह विचार व्यक्ति के तार्किक होने पर बल देते हैं दरअसल वैश्वीकरण के इस दौर में जहाँ आधुनिकता ने अपने पाँव पसारे हैं, वही धार्मिक अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, कर्म-काण्ड भी बढ़े हैं, जिसकी अभिव्यक्ति समय-समय पर अखबारों में होती रहती है। भारत में तो स्थिति और भी गंभीर है जहाँ लोगों को धर्म के नाम पर बहकाया जाता है। इसके लिए सोशल मीडिया से लेकर अखबार व टीवी चैनल्स तक का सहारा लिया जाता है। इस संदर्भ में उनका धर्म को तर्क की कसौटियों पर परखने का विचार नए भारत के निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है।

राजनीति में धर्म के स्थान को लेकर जहाँ तक उनके विचार की बात है तो इसको लेकर उनका मत गाँधी से बिल्कुल भिन्न था जहाँ गाँधी राजनीति में धर्म की अनिवार्यता पर बल देते थे, वहीं वे धर्म को राजनीति से अलग करने की बात पर बल देते थे। उनका मानना था कि यदि धर्म राजनीति से अलग कर दिया जाए तो हम सभी संयुक्त होकर राजनीतिक गतिविधियों की शुरूआत कर सकते हैं। भले ही धर्म के मामले में हमारे बीच कई मतभेद हों परंतु उनका दृढ़ मत था कि ''धर्म जब राजनीति के साथ घुल-मिल जाता है, तो वह एक घातक विष बन जाता है जो राष्ट्र के जीवित अंगों को धीरे-धीरे नष्ट करता रहता है, भाई को भाई से लड़ाता है, जनता के हौसले पस्त करता है, उसकी दृष्टि को धुंधला बनाता है। वे असली दुश्मन की पहचान कर पाना मुश्किल कर देता है।''

आज जब राजनीतिक दलों द्वारा धर्म को आधार बनाकर देश के लोगों को बाँटने का प्रयास किया जा रहा है व युवाओं की मानसिकता में धार्मिक कट्टरता का प्रसार किया जा रहा है, तब भगत सिंह की इस उक्ति की प्रासंगिकता बढ़ जाती है।

साम्प्रदायिकताः भगत सिंह ने सांप्रदायिक भावनाओं की कड़ी आलोचना की, उन्होंने धार्मिक गुरुओं व राजनीतिज्ञों पर आरोप लगाया कि वे अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए साम्प्रदायिक दंगे करवाते हैं। उन्होंने अखबारों पर भी आरोप लगाया कि वे उत्तेजनापूर्ण लेख छापकर साम्प्रदायिक भावनाओं को भड़काने का काम करते हैं।

उनके अनुसार अखबारों का असली कर्तव्य शिक्षा देना, लोगों का संकीर्ण सोच से बाहर निकालना, सांप्रदायिक भावनाएँ मिटाना, परस्पर मेल-मिलाप बढ़ाना और भारत की साझी राष्ट्रीयता को बढ़ाना चाहिए। लेकिन ऐसा उन्हें अपने समय में नहीं दिखा जिसको लेकर उन्होंने कुछ समाचार पत्रों की खूब निंदा की। उल्लेखनीय है कि वर्तमान संदर्भ में देखा जाए तो पत्रकारिता के यह आदर्श आज तक प्राप्त नहीं किए जा सके हैं। इसके विपरीत आज भी कुछ समाचार पत्रों द्वारा अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर एकतरफा लेख लिखे जा रहे हैं।

इसके साथ ही कई समाचार पत्र आज के समय में राजनीतिक पार्टियों की घोषणापत्र बन गई है, जिसमें संबंधित राजनीतिक पार्टियों की उपलब्धियों का बखान व आरोपों से बचाव के लिए लेख लिखे जाते हैं, जबकि हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में मीडिया को चौथा स्तंभ माना जाता है।

समावेशी समाज का निर्माणः भगत सिंह ने एक ऐसे भारत का सपना देखा था, जो दमन,

अत्याचार और अन्याय से सर्वथा मुक्त हो, जहाँ सबको विकास के समान अवसर प्राप्त हों व सभी समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें।

ध्यान देने योग्य बात यह है कि वे लगातार एक समावेशी भारत के विचार के लिए प्रतिबद्ध रहे। उन्होंने 1926 में लाहौर में नौजवान भारत सभा की स्थापना की, जिसके घोषणा पत्र में समावेशी समाज के निर्माण पर बल दिया गया था साथ ही उन्होंने कहा कि ''धार्मिक अंधविश्वास और कट्टरता हमारी प्रगति में बहुत बड़ी बाधा है। हमें इससे दूर रहना चाहिए।''

वर्तमान में उनके समावेशी समाज के प्रति प्रतिबद्धता का महत्व और भी बढ़ जाता है। दरअसल आर्थिक विकास के मोर्चे पर तेजी से उभरते भारत में आर्थिक असमानता बढ़ रही है साथ ही भारत में संसाधनों का बड़ा भाग कुछ लोगों के हाथ में केन्द्रित हो कर रह गया है जिससे देश में रोजगार के मौके घट रहे हैं। वही वर्तमान समावेशी विकास सूचकांक के मामले में भारत 62वें नंबर पर है। उल्लेखनीय है कि इस मामले में भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे अपनी पड़ोसियों से भी पीछे हैं।

साहस और दृढ़ विश्वासः भगत सिंह आज भी आधुनिक भारत के नवयुवकों के साहस के प्रेरणास्त्रोत बने हुए हैं। उनके साहस और दृढ़ विश्वास इस बात से प्रमाणित होती है कि उन्होंने समाजवादी विचारों में आस्था रखते हुए उसकी कमियों को नकार दिया। वहीं लाला लाजपत राय जैसे वरिष्ठ नेताओं की राजनीति पर गंभीर टिप्पणी भी की।

गौरतलब है की उन्होंने लाला लाजपत राय की राजनीति से अपनी असहमति व्यक्त करते हुए 1920 के दशक के दौरान हिन्दू और अन्य सांप्रदायिक ताकतों के साथ लालाजी की बढ़ती निकटता पर प्रश्न चिह्न खड़े किए। जबकि वह लालाजी के राजनीतिक कद के करीब भी नहीं थे, फिर भी उनके पास सार्वजनिक रूप से असहमत होने का साहस और दृढ़ विश्वास था। वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ऐसी साहस और दृढ़ता की आवश्यकता बढ़ जाती है। चूँकि वर्तमान राजनीति में राजनीतिक चाटुकारिता बढ़ी है। जिस नेता का कद जितना ऊँचा होता है उसकी बातों का महत्त्व भी उतना होता है, जिसके विरोध में जाने की हिम्मत अन्य नेता नहीं उठा पाते हैं।

क्रान्ति व हिंसाः क्रांति के संबंध में भगत सिंह मानते थे कि ''क्रांति के लिए खूनी संघर्ष अनिवार्य नहीं है और न ही उसमें व्यक्तिगत प्रतिहिंसा के लिए कोई स्थान है। यह बम और पिस्तौल का संप्रदाय नहीं है। क्रांति से उनका अभिप्राय अन्याय पर आधारित समाज व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन था।" उन्होंने क्रान्तिकारी आन्दोलन में हिंसात्मक तरीका अपनाये जाने का विरोध किया। उनके अनुसार हिंसा तभी न्यायोचित है जब किसी विकट परिस्थिति में उसका सहारा लिया जाये। अहिंसा सभी जन आन्दोलनों का अनिवार्य सिद्धान्त होना चाहिए।

उनके क्रांति संबंधित विचार आज के समय में काफी प्रासंगिक हैं। दरअसल विश्व स्तर पर जिस तरह अन्याय के खिलाफ लोग अहिंसक रूप से अपना विरोध जता रहे हैं, वह उनके विचारों के महत्त्व को प्रकट करता है।

कानून एवं न्यायपालिकाः भगत सिंह के अनुसार ''अमन और कानून मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य अमन और कानून के लिए। कानून की पवित्रता तभी तक रखी जा सकती है जब तक कि वह जनता के भावनाओं को प्रकट करता है, जब यह शोषणकारी समूह के हाथों का एक हथियार बन जाता है तब अपनी पवित्रता और महत्व खो बैठता है। न्याय प्रदान करने के लिए मूल बात यह है कि हर तरह के लाभ या हित का खात्मा होना। जैसे ही कानून सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करना बंद कर देता है वैसे ही जुल्म और अन्याय को बढ़ाने का हथियार बन जाता है।''

गौरतलब है कि भगत सिंह ने कानून एवं न्यायपालिका को लेकर जिस भारत का सपना देखा था, वर्तमान भारत की न्यायपालिका उससे अभी-भी दूर है। दरअसल कानून एवं न्यायपालिका में मौजूद भ्रष्टाचार और न्याय को लेकर पक्षपाती रवैया का होना इसका कारण है। हालांकि इस संदर्भ में जनहित याचिका की पहल सराहनीय कदम है, जो भगत सिंह के विचारों की ही अभिव्यक्ति है, जिसके तहत पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए कोई भी व्यक्ति पहल कर सकता है। यह सिद्धांत सामाजिक न्याय की धारणा को पुख्ता करना है।

निष्कर्ष

भगत सिंह के विचारों को जानने के बाद स्पष्ट है कि उनकी प्रासंगिकता न केवल उस समय थी बल्कि वर्तमान में यह और महत्वपूर्ण हो गयी है। ऐसे में जरूरत निम्न बातों पर बल देने की है-

- भगत सिंह के विचारों व उनकी महत्ता से भावी पीढ़ी को अवगत कराया जाए।
- नए भारत के निर्माण के लिए उनके बौद्धिक योग्यता को अपनाया जाए।
- स्कूलों एवं विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में उनकी दार्शनिक बातों को केस स्टडी के रूप में विद्यार्थियों को अपनाना चाहिए।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-1

- स्वतंत्रता संग्राम-इसके विभिन्न चरण और देश के विभिन्न भागों से इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति/ उनका योगदान।
- सामाजिक सशक्तीकरण, सम्प्रदायवाद, क्षेत्रवाद और धर्म-निरपेक्षता।

■

7. विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट–2019 : एक अवलोकन

चर्चा का कारण

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क ने विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट, 2019 जारी की है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट के मुताबिक भारत खुशहाल देशों की सूची में पिछले साल के मुकाबले 7 स्थान नीचे गिरकर 140वें पायदान पर पहुंच गया है, जबकि फिनलैंड लगातार दूसरी बार शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। इस सूचकांक में 156 देशों को रैंकिंग प्रदान की गयी है। विश्व प्रसन्नता सूचकांक में एशिया का कोई भी देश पहले दस देशों की सूची में शामिल नहीं है। विशेष रूप से दक्षिण एशिया के देशों की स्थिति बहुत चिंताजनक है। इसके अलावा दक्षिण सूडान दुनिया का सबसे कम खुशहाल देश है।

पृष्ठभूमि

प्रसन्नता को मापने की अवधारणा सर्वप्रथम भूटान से शुरू हुई थी। भूटान के प्रस्ताव पर सतत् विकास समाधान नेटवर्क ने संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत साल 2012 में पहली विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट जारी की थी और 20 मार्च को विश्व प्रसन्नता दिवस घोषित किया गया था। पहली रिपोर्ट में भारत का स्थान 111वाँ था, जबकि डेनमार्क पहले स्थान पर था।

वैश्विक परिदृश्य

भारत की रैंकिंग में इस बार गिरावट हुई है, पिछले वर्ष भारत को 133वां स्थान प्राप्त हुआ था। विश्व प्रसन्नता सूचकांक में पाकिस्तान 67वाँ, बांग्लादेश 125वाँ और चीन 93वाँ स्थान पर रहा है। अन्य देशों की रैंकिंग निम्नलिखित है-

- इस रिपोर्ट में लगातार दूसरी बार फिनलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। फिनलैंड के बाद क्रमशः डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड तथा नीदरलैंड को उच्च स्थान प्राप्त हुआ है।
- इस रिपोर्ट में यूनाइटेड किंगडम को 15वाँ स्थान (पिछली बार 18 वाँ स्थान), जर्मनी को 17वाँ (पिछली बार 17वाँ स्थान) और अमेरिका को 19वाँ स्थान (पिछली बार 18वाँ स्थान) प्राप्त हुआ है।
- इस रिपोर्ट में जापान को 58वाँ स्थान (पिछले वर्ष 54वाँ स्थान) और रूस को 68 वाँ स्थान (पिछले वर्ष 59वाँ स्थान) प्राप्त हुआ है।
- इस रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व भर में उदासी, चिंता तथा गुस्से जैसी नकारात्मक भावनाओं में वृद्धि हुई है। पिछले कुछ वर्षों के मुकाबले विश्व की औसत प्रसन्नता दर में भारी कमी आई है।

विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट का उद्देश्य

वर्ष 2012 से जारी की जाने वाली इस रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों को अपने नागरिकों की संतुष्टि एवं प्रसन्नता के स्तर को ध्यान में रखते हुए लोक-नीतियों के निर्माण हेतु प्रेरित करना है।

विश्व प्रसन्नता सूचकांक के प्रमुख घटक

- जीडीपी, प्रति व्यक्ति आय
- स्वस्थ जीवन प्रत्याशा
- सामाजिक स्वतंत्रता
- भ्रष्टाचार का अभाव
- सामाजिक अवलंबन
- उदारता

भारत के संदर्भ में प्रसन्नता सूचकांक के प्रमुख घटक

स्वस्थ जीवन प्रत्याशाः विश्व प्रसन्नता सूचकांक के प्रमुख घटक में स्वास्थ्य क्षेत्र महत्वपूर्ण माना जाता है। अतः किसी भी राष्ट्र को इस दिशा में सकारात्मक कार्य करना जरूरी है, ताकि वहाँ की जनता खुशहाल हो सके। किसी भी देश की तरक्की तभी संभव है जब वहाँ के नागरिक सेहतमंद और स्वस्थ हो। इसके लिए देश में चिकित्सा सुविधाएँ दुरुस्त होनी चाहिए, लेकिन भारत में स्वास्थ्य सेवा की स्थिति निराशाजनक है। भारत पर अपनी 130 करोड़ आबादी की सेहत का ख्याल रखने की बड़ी जिम्मेदारी है। अपने देश की अनेक बीमारियाँ जो गरीबी, अशिक्षा, जानकारी की कमी, साफ सफाई, स्वच्छता एवं सेहत के प्रति उदासीनता की वजह से फैलती हैं।

हालाँकि भारत में जीवन प्रत्याशा दोगुनी हुई है और शिशु मृत्यु दर महत्वपूर्ण रूप से घटी है। चेचक (स्मॉल पॉक्स), पोलियो और कुष्ठ रोग लगभग जड़ से खत्म हो गए हैं, इसके बावजूद भी स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याएँ मौजूद हैं। भारत की जनता कुपोषण, स्वच्छता और संक्रामक रोगों से अब भी जूझ रही है। पर्यावरण प्रदूषण, भाग-दौड़ की जीवन शैली, शराब का सेवन, धूम्रपान, उच्च वसायुक्त खान-पान तथा आलस्यपूर्ण जीवन के कारण मधुमेह, हृदय संबंधी रोगों एवं कैंसर जैसी बीमारियों की दर बढ़ी है।

इस प्रकार अनेक सामाजिक और आर्थिक कारणों से भारत लगातार बीमारियों का बोझ झेल रहा है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की समस्या भिन्न-भिन्न है। जहाँ शहरों में खराब जीवन शैली के चलते हृदय, यकृत व गुर्दा रोग आसानी से युवा वर्ग को अपनी गिरफ्त में ले रही हैं, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रामक बीमारियों का प्रभाव कायम है।

गरीबीः भारत में, गरीबी प्रसन्नता सूचकांक में प्रमुख बाधक है। वर्तमान में लगभग 28.5 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहती है। निरक्षरता, खराब स्वास्थ्य सुविधाएँ और वित्तीय संसाधनों की कमी भारत में गरीबी का मुख्य कारण है। इसके अलावा उच्च जनसंख्या दर से प्रति व्यक्ति आय भी प्रभावित होती है। एक अनुमान के मुताबिक भारत की आबादी सन् 2026 तक 1.5 बिलियन हो सकती है और भारत विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला राष्ट्र हो सकता है। आबादी के लिए लगभग 20 मिलियन नई नौकरियों की जरूरत होगी। यदि नौकरियों की संख्या नहीं बढ़ाई गई तो गरीबों की संख्या बढ़ती जाएगी।

बुनियादी वस्तुओं की लगातार बढ़ती कीमतें भी गरीबी का एक प्रमुख कारण है। भारत में गरीबी का एक अन्य कारण जाति व्यवस्था और आय के संसाधनों का असमान वितरण भी है।

ध्यातव्य है कि पिछले दो दशकों में अर्थव्यवस्था में प्रगति के कुछ स्पष्ट संकेत दिखायी देते हैं किंतु ये प्रगति पर असमान हैं। लगभग आधी जनसंख्या के पास रहने के लिये उपयुक्त आवास, स्वच्छता व्यवस्था, गाँवों में नजदीकी पानी का स्रोत, माध्यमिक स्कूल और उचित सड़कों आदि की कमी है।

भारत में गरीबी के अस्तित्व का एक और प्रमुख कारण है- देश के मौसम की दशायें। बाढ़, अकाल, भूकंप और चक्रवात उत्पादन को बाधित करते हैं, नतीजन अर्थव्यवस्था अत्यधिक प्रभावित होती है।

सकल घरेलू उत्पाद एवं प्रति व्यक्ति आयः वर्ष 2018-19 में वर्तमान मूल्यों पर जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) 188.41 लाख करोड़ रुपये के स्तर पर पहुँच जाने का अनुमान है, जो वर्ष 2017-18 में 167.73 लाख करोड़

रुपये आंकी गई थी। यह 12.3 फीसदी की वृद्धि दर दर्शाती है। विशाल जीडीपी होने के बावजूद भी भारत फिनलैंड और डेनमार्क से प्रसन्नता के मामले में काफी पीछे है।

वित्त वर्ष 2018-19 में प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय के 11.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्शा कर 1,25,397 रुपये हो जाने का अनुमान लगाया गया है, जबकि वर्ष 2017-18 में यह 8.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शा कर 1,12,835 रुपये के स्तर पर पहुंच गई थी। किन्तु भारत में प्रति व्यक्ति आय फिनलैंड और डेनमार्क के अपेक्षा बहुत ही कम है।

उदारता: एक सुखद स्वभाव वाले और दूसरों के लिए चिंता करने वाले व्यक्ति को उदार कहा जाता है। ऐसे लोग दूसरों के प्रति संवेदनशील होते हैं। जब भी लोगों को उनकी जरूरत होती है वे लोगों की मदद करते हैं और कभी भी दूसरे लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाने के लिए अपनी सीमा से बाहर जाने से भी संकोच नहीं करते हैं।

हमारे द्वारा किए गए अच्छे कृत्य और दयालु कृत्य न केवल मदद की आस लगाए बैठे लोगों के लिए वरदान हैं बल्कि हमारे लिए भी एक वरदान है। जब हम दूसरों को उनके कार्यों में सहायता करते हैं, उनके प्रति विनम्र होते हैं और ऐसे अच्छे कृत्य करते हैं तो हमें सिद्धि और खुशी का अहसास मिलता है।

सामाजिक अवलंबन: आरम्भ से ही मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसने जो कुछ उन्नति की है, उसका श्रेय उसकी सहयोग वृत्ति को ही है। मनुष्य ने इस पृथ्वी को जिसे अपने निवास योग्य बनाया है, इनमें बड़े-बड़े पर्वतों, जंगलों, सागरों में जीवन निर्वाह के साधन खोज निकाले, लाखों की आबादी वाले सुख-सुविधापूर्ण नगरों का निर्माण किया। सड़कें, रेल, तार, जहाज आदि का विस्तार करके सारी दुनिया को घर के समान बना दिया है। इन सबका मूल आधार सामाजिक सहयोग और आपसी विश्वास है, जो प्रसन्नता को प्रोत्साहित करने वाले प्रमुख कारक हैं। इसके अलावा व्यापार-व्यवसाय, उद्योग-धन्धे, शिक्षा-प्रचार, सुरक्षा की व्यवस्था और बड़ी-बड़ी योजनायें सफल होती दिखाई पड़ रही हैं, वे सहयोगमूलक प्रवृत्तियों का ही परिणाम है। इतना ही नही, ज्ञान-विज्ञान की आश्चर्यजनक उन्नति, समाज-सेवा करने वाली विशाल संस्थाएँ, लोक-कल्याण के लिये की जाने वाली युग परिवर्तनकारी योजनाएँ सभी की सफलता का आधार मनुष्यों का पारस्परिक सहयोग ही होता है। ये सभी तत्त्वों के बिना प्रसन्नता की कल्पना करना असंभव है।

आखिर भारतीय खुश क्यों नहीं रह पाते

प्रसन्नता के सूचकांकों और अर्थव्यवस्था के सूचकांकों के तुलनात्मक अध्ययन से एक दिलचस्प तस्वीर उभरती है। साथ ही गंभीर सवाल भी खड़ा होता है कि क्या तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का सीधा प्रभाव प्रसन्नता के सूचकांकों पर भी पड़ता है? भारत की स्थिति का आकलन इस अंतर्संबंध को समझने में मददगार होगा। कई कमजोर और छोटी अर्थव्यवस्था वाले देश प्रसन्नता की स्थिति में भारत से कई गुना आगे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में दावे किए जा रहे हैं कि जल्दी ही यह चीन के मुकाबले खड़ी हो जाएगी। तो क्या फिर हम भी चीन की तरह खुशहाल देश बन जायेंगे। यह कहना मुश्किल है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय प्रसन्नता सूचकांक की अवधारणा देने वाला भूटान भी पीछे है। प्रसन्नता की गणना में भारत पिछड़ता जा रहा है। भौगोलिक विशालता, सामाजिक और आर्थिक असमानता, शासन-प्रशासन की शैलियाँ, जनसंख्या का सामाजिक और शैक्षणिक स्तर, धार्मिक और आध्यात्मिक व्यवहार जैसे कुछ ऐसे कारण हैं जिन्हें प्रसन्नता मापने की प्रक्रिया में अनदेखा किया गया है। क्या सकल घरेलू उत्पाद की गणना में प्रसन्नता के सूचकांकों की गणना को शामिल किया जाना चाहिए। विशेषज्ञों में इस मामले पर मतभेद है क्योंकि तर्क यह है कि प्रसन्नता एक मन:स्थिति है। हर व्यक्ति और देश के लिए इसके अलग-अलग अर्थ हैं और अलग-अलग कारण भी हो सकते हैं। उदाहरणार्थ जिन बातों से भारत के लोग खुश होते हैं, वह स्थिति दुनिया के अन्य देशों में नहीं है। प्रसन्नता के संकेतकों को गढ़ने वाला भूटान प्रसन्नता के संकेतकों की गणना में काफी नीचे है। भूटान में प्रसन्नता की जो स्थितियाँ हैं, उस पर बुद्ध की शिक्षाओं का गहरा प्रभाव है। बुद्ध की शिक्षाओं को आत्मसात् करते हुए आम भूटानी नागरिक प्रसन्न रहने का कौशल स्वाभाविक रूप से समझता है। जिन देशों की रैंकिंग पहले 10 देशों में है, वहाँ यीशु की शिक्षाएँ ग्रहण की जाती हैं। इस दृष्टि से भारत के नागरिकों की दार्शनिक दृष्टि उच्च कोटि के होने चाहिए। आखिर हर क्षेत्र में विकास करने के बावजूद भारत के आम नागरिक खुश क्यों नहीं रह पाते? भारत को प्रसन्नता के अपने सूचकांक में सुधार करने की आवश्यकता है। प्रसन्नता के इस वैश्विक सूचकांक में भारतीय समाज की बनावट और इनमें रची-बसी विभिन्न धाराओं को गिना नहीं जा सकता। भारतीय समाज की बनावट ऐसी है कि यहाँ हर नागरिकों को परंपराएँ, रीति-रिवाज, उत्सव, कला-संस्कृति, तीज-त्योहार, खान-पान और विविधताओं से भरा समाज खुशियों के हजार मौके देता है। होली और दीपावली जैसे त्योहारों पर पूरा समाज खुश रहता है। प्रसन्नता की स्थिति का आकलन के जिन स्थितियों पर किया जाता है, वे सब विकास प्रक्रियाओं से जुड़ी हैं। दिलचस्प बात यह है कि सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला अमेरिका ताजा रिपोर्ट में 19वें स्थान पर है जो पिछले साल से एक पायदान नीचे है। चूंकि हर साल स्थितियाँ विश्व स्तर पर बदल जाती हैं। उदाहरण के लिए, 2017 की रिपोर्ट में रोजगार की स्थिति और प्रसन्नता के परस्पर संबंधों पर अध्ययन था। जब तक हर नागरिकों के पास गरिमापूर्ण रोजगार नहीं होता, वे खुश नहीं रह सकते। भारत में बेरोजगारी की भयावहता छुपी नहीं है। भ्रष्टाचार का बने रहना भी प्रसन्नता के लिए घातक है, जो कि सबसे बड़ी समस्या है। जहाँ तक समाज के ताने-बाने, आध्यात्मिक स्वभाव, शांति और आपसी भाईचारे जैसे मूल्यों के प्रति संवेदनशीलता का सवाल है तो भारत इस पर पहले से ही सुदृढ़ स्थिति में है।

चुनौतियाँ

विश्व प्रसन्नता सूचकांक रिपोर्ट का उद्देश्य विभिन्न देशों के शासकों का मार्गदर्शन करना है ताकि यह देखा जा सके कि उनकी नीतियाँ लोगों की जिंदगी को खुशहाल बनाने में किस हद तक कारगर है। जहाँ तक भारत का प्रश्न है तो पिछले कुछ समय से भारतीय अर्थव्यवस्था की तेजी को पूरी दुनिया ने स्वीकारा है। अनेक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठनों ने इस मामले में भारत की प्रशंसा की है। यही नहीं, खुद संयुक्त राष्ट्र ने मानव विकास के क्षेत्र में भारतीय उपलब्धियों को रेखांकित किया। इसके बावजूद खुशहाली में हमारा स्थान इतना नीचे होना चिंताजनक है। दरअसल पिछले दो-ढ़ाई दशकों से भारत में विकास प्रक्रिया अपने साथ बहुत ज्यादा विषमता लेकर आई है, जो पहले से समर्थ थे, वे इस प्रक्रिया में और ताकतवर हो गए हैं अर्थात् लखपति करोड़पति हो गए और करोड़पति अरबपति बन गए। एकदम साधारण आदमी का जीवन भी बदला है लेकिन कई तरह की नई समस्याएँ उसके सामने आ खड़ी हुई हैं।

आर्थिक प्रक्रिया में सरकार की भूमिका काफी कम हुई है। अपनी भूमिका को वह उतने

तक ही सीमित रखती है, जितनी अपने राजनीतिक अस्तित्व के लिए उसे जरूरी लगती है। जैसे-अत्यंत निर्धनों के लिए जो योजनाएँ बनी हैं, उनका जोर उस वर्ग को किसी तरह जिंदा रखने की है। उनको उत्पादन प्रक्रिया का हिस्सा बनाने की कोई कोशिश नहीं हो रही है। वह वर्ग भूखमरी से तो उबर गया, मगर शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय उसकी पहुँच से बाहर है। ऐसे लोगों के जीवन में खुशी भला कहाँ से आएगी। जाहिर है कि इस रिपोर्ट से जीडीपी ग्रोथ जैसे आँकड़े व्यर्थ लगने लगते हैं। इस संदर्भ में सकारात्मक बात यह है कि हैपिनेस इंडेक्स से सामाजिक प्रसन्नता विमर्श का हिस्सा बनी है और लोग 'प्रति व्यक्ति आय' की चकाचौंध से बाहर आ रहे हैं। विकास की सार्थकता इस बात में है कि देश का आम नागरिक खुद को संतुष्ट और आशावान महसूस करे।

आगे की राह

भारत गाँवों का देश माना जाता है। ग्रामीण विकास हमेशा से देश की प्राथमिकता रही है। अतः गाँवों में निम्नलिखित सुविधा उपलब्ध कराकर राष्ट्र को समृद्ध और खुशहाल बनाया जा सकता है-

- महिलाओं तथा अन्य अति दुर्बल वर्गों के साथ-साथ जरूरतमंदों को आजीविका के लिए रोजगार अवसर तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे परिवारों (बीपीएल) को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना।
- प्रत्येक परिवार को प्रत्येक वित्त वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटी युक्त मजदूरी रोजगार प्रदान कर ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों को संवर्द्धित आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करना।
- सड़क मार्गों से नहीं जुड़ी ग्रामीण बसावटों के लिए बारहमासी ग्रामीण सड़क-संपर्क का प्रावधान और मौजूदा सड़कों के उन्नयन करके बाजार तक पहुँच उपलब्ध कराना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों को मूल आवास और वासभूमि को उपलब्ध कराना।
- वृद्धजनों, विधवाओं तथा विकलांग व्यक्तियों को सामाजिक सहायता उपलब्ध करना।
- जीवन स्तर के सुधार हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएँ उपलब्ध कराना।
- ग्रामीण विकास कार्यकर्त्ताओं के क्षमता का निर्माण करना तथा उन्हें प्रशिक्षण देना।
- भूमि की खोई अथवा जर्जर उत्पादकता की पुनर्प्राप्ति करना, साथ ही वाटरशैड विकास कार्यक्रमों तथा भूमिहीन ग्रामीण निर्धनों को भूमि उपलब्ध कराने के लिए प्रभावी भूमि संबंधी उपायों की पहल करना।
- जाति प्रथा, भारतीय समाज के लिए अभिशाप है। यह प्रथा भारतीय समाज को साम्प्रदायिक समूहों एवं श्रेणियों में बाँटती है। संस्कृति एवं सभ्यता के विकास के बावजूद जाति प्रथा आज भी हमारे समाज में एक प्रबल भूमिका निभाती है। अतः ऐसी कुरीतियों को मिटाना होगा।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-2

- सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न मुद्दे।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-3

- भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित मुद्दे।

सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-4

- अभिवृत्ति: विषय-वस्तु, संरचना, प्रकार्य; विचार तथा आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव एवं संबंध; नैतिक और राजनीतिक अभिवृत्ति; सामाजिक प्रभाव और धारण।

■

स्रात विषयनिष्ठ प्रश्न और उनके मॉडल उत्तर

मिशन शक्ति : भारत का अंतरिक्ष में शक्ति प्रदर्शन

प्र. एंटी-सैटेलाइट मिसाइल का परिचय देते हुए मिशन शक्ति की उपलब्धियों का वर्णन करें। साथ ही बताएं कि अंतरिक्ष में किसी उपग्रह को ध्वस्त करना कितना चुनौतीपूर्ण है?

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- परिचय
- काफी मुश्किल है अंतरिक्ष में किसी उपग्रह को नष्ट करना
- अन्य देशों की स्थिति
- विश्लेषण
- चिंताएँ
- निष्कर्ष

चर्चा का कारण

- हाल ही में अंतरिक्ष में लाइव (परंतु अप्रयोज्य) भारतीय सैटेलाइट को एंटी सैटेलाइट मिसाइल से निशाना बनाने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है।

परिचय

- एंटी-सैटेलाइट (A-SAT) मिसाइल एक ऐसा हथियार होता है जो किसी भी देश के सामरिक व सैन्य उद्देश्यों के लिए उपग्रहों को निष्क्रिय करने या नष्ट करने के लिए डिजाइन किया जाता है। आज तक किसी भी युद्ध में इस तरह के हथियारों का उपयोग नहीं किया गया है। भारत में इस मिसाइल का विकास डीआरडीओ और इसरो ने मिलकर किया है।

काफी मुश्किल है अंतरिक्ष में किसी उपग्रह को नष्ट करना

- पृथ्वी की सतह से किसी भी उपग्रह को निशाना बना कर ध्वस्त करना आसान नहीं होता, क्योंकि वे 300 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर स्थित होते हैं। फिर वे इतनी तेजी से पृथ्वी की कक्षा में भ्रमण कर रहे होते हैं कि उन पर निशाना साधने में थोड़ी-सी भी असावधानी या आकलन में गड़बड़ी से न सिर्फ वार खाली जा सकता है, बल्कि वह किसी अन्य उपग्रह के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है।

अन्य देशों की स्थिति

- **अमेरिकाः** 1950 में अमेरिका ने डब्ल्यूएस-199ए नाम से रणनीतिक रूप से अहम मिसाइल परियोजनाओं की एक श्रृंखला को शुरू किया था।
- **रूसः** रूसी एंटी सैटेलाइट कार्यक्रम के शुरू होने का कोई निश्चित तिथि नहीं है, फिर भी यह माना जाता है कि शीत युद्ध के दौरान अमेरिकी बढ़त को कम करने के लिए सन् 1956 में सर्गेई कोरोलेव ने ओकेबी-1 नाम की मिसाइल पर काम करना शुरू किया था।
- **चीनः** चीन ने 2007 में एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण किया था जिसके बाद पूरी दुनिया को अंतरिक्ष में हथियारों की दौड़ शुरू होने की चिंता सताने लगी थी।

विश्लेषण

- भारत ने A-SAT का परीक्षण कर यह साबित कर दिया है कि उसके पास अब अंतरिक्ष में चीन के समान ही तकनीक प्राप्त है। चीन ने लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट भेजने की योजना A-SAT परीक्षण करने के बाद ही बनाई है। यूएस की आपत्ति के बावजूद चीन अंतरिक्ष में A-SAT हथियारों का जखीरा जमा करने में लगा हुआ है।

चिंताएँ

- अंतरिक्ष मलबे की समस्या।
- उच्च कक्षाओं में उपग्रहों को लक्षित करना।
- बाहरी अंतरिक्ष में हथियारों की होड।

निष्कर्ष

- अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत ने निरंतर प्रगति की है और कई मामलों में साबित कर दिखाया है कि दुनिया के किसी भी विकसित देश से वह पीछे नहीं है। बहुत कम समय में भारत के अंतरिक्ष विज्ञानियों ने अपनी तकनीक विकसित की और उपग्रह प्रक्षेपण के क्षेत्र में अग्रणी देश की कतार में भारत को खड़ा कर दिया है। ■

अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस

प्र. 'दुनिया के कई हिस्सों में भेदभावपूर्ण व्यवहार अभी भी जारी है, जिनमें नस्लीय, जातीय, धार्मिक और राष्ट्रीयता आधारित नफरत को उकसाया जाता है।' विवेचना कीजिए।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- पृष्ठभूमि
- परिचय
- नस्लीय भेदभाव के कारण
- नस्लीय भेदभाव के लक्षण

- भारत की स्थिति
- नस्लीय भेदभाव के प्रभाव
- नस्लीय भेदभाव की चुनौती कायम
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- 21 मार्च को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय नस्लीय भेदभाव उन्मूलन दिवस मनाया गया। इस दिवस पर यूएन अधिकारियों और मानवाधिकार विशेषज्ञों ने नफरत और भेदभाव की उफनती लहरों और उभरते उग्र राष्ट्रवाद पर लगाम कसने के लिए तत्काल कदम उठाने की अपील की है।

पृष्ठभूमि

- 21 मार्च, 1960 को दक्षिण अफ्रीका के शार्पविले नामक स्थान पर एक रंगभेदी कानून के विरोध में शांति से प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिस ने फायरिंग कर दी, जिसमें 69 लोग मारे गये। इस नरसंहार की याद में, यूनेस्को ने 21 मार्च को नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में चिह्नित किया है।

परिचय

- किसी व्यक्ति या समुदाय से जाति, रंग या नस्ल इत्यादि के आधार पर घृणा करना या उसे सामान्य मानवीय अधिकारों से वंचित करना नस्लीय भेदभाव कहलाता है। नस्लवाद को वर्तमान समाज की सबसे बड़ी चुनौती माना जाता है। इसे आतंकवाद से भी ऊपर रखा जाता है।

नस्लीय भेदभाव के कारण

- नस्लवाद का सर्वप्रथम कारण प्रजातीय भावना का विकास है। कुछ प्रजातियाँ अपने को दूसरे प्रजातियों से श्रेष्ठ मानती हैं। उदाहरणार्थ अमेरिकी गोरे व्यक्ति द्वारा नीग्रो जाति के लोगों को हेय मानना।

नस्लीय भेदभाव के लक्षण

- जाति, रंग, नस्ल के आधार पर ऊँच-नीच की भावना का मौजूद होना।
- जन्म के आधार पर सामाजिक हैसियत का निर्धारण होना।

भारत की स्थिति

- जहाँ तक भारत में नस्लीय भेदभाव का प्रश्न है तो हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात को ध्यान में रखते हुए अनुच्छेद 15 का प्रावधान किया है।

नस्लीय भेदभाव के प्रभाव

- नस्लवाद राष्ट्रीय एकीकरण के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है।
- इसके कारण राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो सकता है।
- यह आर्थिक विकास एवं आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में बाधक होता है।

नस्लीय भेदभाव की चुनौती कायम

- नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि, 1969 में लागू होने के 50 साल बाद भी यह चुनौती बनी हुई है।
- कई बार राजनीतिक वजहों से इसे जल्द समाप्त किए जाने की अहमियत को नहीं समझा गया है।

आगे की राह

- संविधान ने सभी को बराबरी का हक दिया है। ऐसे में यह जरूरत है कि प्रशासनिक स्तर पर इस समस्या के प्रति लोगों को जागरूक बनाने तथा उनमें चेतना पैदा करने की कोशिश की जाय। इसके अलावा वे किसी भी ऐसी घटना को बेहद गंभीरता से लें और तुरंत सख्त और प्रभावी कार्रवाई करें। ■

बदलती भूमि उपयोग प्रवृत्ति और जलवायु परिवर्तन

प्र. भूमि पैटर्न में बदलाव के पर्यावरणी प्रभाव एवं जलवायु परिवर्तन में इसके योगदान की समीक्षा कीजिए।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- परिचय
- भारत में भूमि पैटर्न में बदलाव
- भूमि उपयोग में बदलाव और जलवायु परिवर्तन में सहभागिता
- सरकार की प्राथमिकता
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण असेम्बली (UNEA-4) के चौथे सत्र में ग्लोबल रिसोर्सेज आउटलुक-2019 के द्वारा प्राकृतिक संसाधन उपयोग और प्रबंधन की स्थिति और रूझानों पर एक वैश्विक रिपोर्ट जारी की गई।

परिचय

- मानव का पर्यावरण में बढ़ता हस्तक्षेप भूमि, जल और स्थानीय पारिस्थितिकी को लगातार प्रभावित कर रहा है। उदाहरण के लिए इंडोनेशिया में प्रत्येक वर्ष लगभग 500 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र को साफ किया जाता है जिसमें से अधिकांश स्थानों पर ताड़ के वृक्ष लगाये जाते हैं।
- भारत सहित कई देशों में अपनी शहरी औपचारिक सीमाओं का तेज गति से विस्तार किया जा रहा है। विभिन्न कारणों ने शहरीकरण के इस बदलते स्वरूप को आकार दिया है जिससे कि कृषि और जंगलों से उद्योग, आवासीय और वाणिज्यिक भवनों तथा संबंधित बुनियादी ढ़ाँचे एवं बागवानी में भूमि उपयोग में बदलाव आया है।

भारत में भूमि पैटर्न में बदलाव

- किसी भी क्षेत्र में भूमि उपयोग काफी हद तक उस क्षेत्र में किए गये आर्थिक गतिविधियों की प्रकृति से प्रभावित होता है। हालांकि आर्थिक गतिविधियाँ समय के साथ बदलती रहती हैं लेकिन भूमि कई अन्य संसाधनों की तरह स्थिर है।

भूमि उपयोग में बदलाव और जलवायु परिवर्तन में सहभागिता

- भूमि उपयोग में होने वाला परिवर्तन जलवायु परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारक है। वनस्पति और मिट्टी आम तौर पर कार्बन सिंक के रूप में कार्य करती हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड को संग्रहित करती हैं और प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से उसे अवशोषित करती हैं।

सरकार की प्राथमिकता

- दिसम्बर 2018 में पोलैण्ड के कॉटोविस (Katowice) में जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान पर्यावरण मंत्री ने घोषणा की थी कि भारत समय-सीमा से पहले अपने जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में सरकार द्वारा किये जा रहे है। साथ ही साथ सरकार पर्यावरण संरक्षण को कम करने के लिए विद्यमान कानूनों को भी बदल रही है।

आगे की राह

- वर्षावन का विकास अधिक से अधिक करना होगा जिससे कि वे कार्बन सिंक की प्रवृत्ति को बढ़ा सके।
- अतः अब समय आ गया है कि जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न दुष्परिणामों पर गहन चिंतन किया जाये और इसके निवारण के लिए ठोस उपाय किये जायें चाहे वह राष्ट्रीय स्तर पर हों या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ■

शहरी रोजगार गारंटी योजना की बढ़ती आवश्यकता

प्र. क्या राष्ट्रीय शहरी रोजगार गारंटी योजना शहर से बेरोजगारी और गरीबी को दूर करने में सफल साबित होगी? विवेचना कीजिए।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- परिचय
- आवश्यकता क्यों?
- सरकारी पहल
- लाभ
- चुनौतियाँ
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय स्थित सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट ने अपने प्रकाशन में कहा है कि सतत रोजगार के माध्यम से शहरों की बुनियादी ढाँचे में सुधार किया जा सकता है साथ ही राष्ट्रीय शहरी रोजगार गारंटी कार्यक्रम चलाने से शहरी अकुशल युवाओं को रोजगार प्रदान किया जा सकता है।

परिचय

- शहरी बेरोजगारी शहर में विकट परिस्थितियों का संकेतक है जहां शहरी बेरोजगारों के लिए सुरक्षित आजीविका एक वास्तविक चिंता बनी हुई है। अनौपचारिक क्षेत्र के श्रमिक, जो शहरों में काम करने वाले लोगों के 80 प्रतिशत हैं, सबसे अधिक प्रभावित और हाशिये पर हैं।

आवश्यकता क्यों?

- नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस (NSSO) की आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण रिपोर्ट (PLFS) के अनुसार भारत में बेरोजगारी की समस्या विशेष रूप से शहरों और कस्बों में बढ़ गई है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि शहरी क्षेत्रों में रोजगार गारंटी कार्यक्रम देशव्यापी स्तर पर शुरू किये जाएं।

सरकारी पहल

- **स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (SJSRY):** भारत में स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना एक केन्द्र प्रायोजित योजना है, जो 1 दिसम्बर 1997 को लागू हुई।
- **अय्यनकाली शहरी रोजगार गारंटी योजना (AUEGS):** केरल सरकार की यह योजना मनरेगा के ही समान है।
- **युवा-स्वाभिमान योजनाः** मध्यप्रदेश सरकार ने राज्य के शहरी गरीब युवाओं के लिए 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने हेतु इस योजना की शुरूआत की है।

लाभ

- इस तरह के कार्यक्रम से शहरी निवासियों को काम करने का वैधानिक अधिकार मिलेगा और इस तरह से संविधान के अनुच्छेद-21 के तहत जीवन की गारंटी का अधिकार सुनिश्चित होगा।
- यह कार्यक्रम प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अनौपचारिक क्षेत्र में, श्रमिकों की आय को बढ़ाकर उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार कर सकता है।

चुनौतियाँ

- शहरी क्षेत्रों के लिए रोजगार गारंटी कार्यक्रम के साथ एक संभावित समस्या यह है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर प्रवासन बढ़ सकता है।
- राज्य के कानूनों के अनुसार वास्तविक लाभार्थी की पहचान के लिए अधिवास की स्थिति (Domicile Status) को साबित करना बहुत मुश्किल होगा।

आगे की राह

- पूरे देश में सरकार को राष्ट्रीय शहरी रोजगार योजना को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अधिक से अधिक ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। केरल जैसे अय्यनकाली योजना को पूरे देश में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अपनाना चाहिए। जब शहरी बेरोजगारी बढ़ रही है, तो यह न केवल खाद्य सुरक्षा और आजीविका के लिए सुरक्षा प्रदान करेगी बल्कि इससे बेरोजगारी भी कम होगी। ■

द्वीप संरक्षण क्षेत्र : द्वीपों के समग्र विकास की ओर एक कदम

प्र. द्वीप संरक्षण क्षेत्र-2019 के अधिसूचना से अंडमान एवं निकोबार द्वीप के पारिस्थितिकीय तंत्र पर किस प्रकार के प्रभाव पड़ेंगे?

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- पृष्ठभूमि
- द्वीप संरक्षण क्षेत्र-2019

- एकीकृत द्वीप प्रबंधन योजना
- द्वीप विकास एजेंसी
- द्वीप तटीय विनियमन क्षेत्र
- लाभ
- द्वीप संरक्षण क्षेत्र-2019 से संबंधित चिंताएँ
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने अंडमान और निकोबार के लिए 'द्वीप संरक्षण क्षेत्र' (island protection zone- 2019) को अधि सूचित किया है। इस अधिसूचना के अंतर्गत बाराटांग, हैवलॉक और कार निकोबार जैसे छोटे द्वीपों में उच्च ज्वार रेखा (High Tide Line -HTL) से 20 मीटर की दूरी पर इको-पर्यटन परियोजनाओं को अनुमति प्रदान किया गया है।

पृष्ठभूमि

- तटीय क्षेत्रों के संरक्षण एवं द्वीपों की सुरक्षा के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने वर्ष 1991 में तटीय विनियमन जोन अधिसूचना जारी की थी, जिसे वर्ष 2011 में संशोधित किया गया था।

द्वीप संरक्षण क्षेत्र-2019

- यह अधिसूचना बाराटांग, हैवलॉक और कार निकोबार जैसे छोटे द्वीपों में उच्च ज्वार रेखा से 20 मीटर की दूरी तक और बड़े क्षेत्रों में 50 मीटर की दूरी तक इको-टूरिज्म की अनुमति देती है।
- यह द्वीप तटीय विनियमन क्षेत्र 1ए में (यह पर्यावरणीय दृष्टि से सबसे संवेदनशील क्षेत्र है जिसमें दलदल, प्रवाल भित्तियाँ, कछुओं के प्रजनन स्थल शामिल हैं) इको-टूरिज्म गतिविधियों के लिए अनुमति देती है।

एकीकृत द्वीप प्रबंधन योजना

- एकीकृत द्वीप प्रबंधन योजना के अंतर्गत द्वीपों में विकास, स्थानीय पौधों, जीव-जन्तुओं का संरक्षण आदि शामिल है।
- द्वीपों में बुनियादी अवसंरचना जैसे बिजली, सड़क, पानी को सुदृढ़ करना तथा इसके साथ ही संचार, प्राकृतिक आपदा के समय राहत एवं बचाव तथा लोगों की निकासी जैसे उपाय किये जाने पर यह योजना बल देती है।

द्वीप विकास एजेंसी

- द्वीप विकास एजेंसी (Island Development Agency) का गठन केन्द्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में जून 2017 में किया गया था। ज्ञातव्य है कि नीति आयोग को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वह द्वीप समूह के समग्र विकास को चलाने के लिए राज्य सरकारों/केन्द्रशासित प्रदेशों के साथ मिलकर कार्य करेगी।

द्वीप तटीय विनियमन क्षेत्र

- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 3 द्वारा द्वीपों के संरक्षण हेतु केन्द्र सरकार अंडमान एवं निकोबार में आठ बड़े महासागरीय द्वीपों- मध्य अंडमान, उत्तरी अंडमान, दक्षिण अंडमान, ग्रेट निकोबार, बाराटांग, हेवलॉक, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, नील और लाँग द्वीप तथा देश के तटीय क्षेत्रों और देश की क्षेत्रीय जल सीमा तक के जल क्षेत्र को द्वीप तटीय विनियमन क्षेत्र घोषित करती है।

लाभ

- द्वीप संरक्षण क्षेत्र (Island Protection Zone–IPZ- 2019) के अधिसूचना से द्वीपीय क्षेत्रों में गतिविधियां काफी बढ़ जाएंगी जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक विकास की रफ्तार भी तेज हो जाएगी। इसके साथ ही तटीय क्षेत्रों के संरक्षण संबंधी सिद्धांतों को भी ध्यान में रखा जाएगा।

द्वीप संरक्षण क्षेत्र-2019 से संबंधित चिंताएँ

- नई अधिसूचना से पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र जैसे - मैंग्रोव, मूंगा एवं मूंगा चट्टानें, रेत के टीले, कछुआ वास स्थल, पक्षी वास स्थल आदि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
- तटीय क्षेत्र में इको-पर्यटन, बंदरगाह का निर्माण, आवासीय भवन, विद्यालय आदि का निर्माण जैव विविधता और वहाँ के आदिवासी समुदाय के लिए अनुचित साबित हो सकता है।

आगे की राह

- अंडमान और निकोबार को सुरक्षित करने के लिए सरकार को हर स्तर पर सतत् प्रयास करने की आवश्यकता है
- द्वीपों व तटीय क्षेत्रों की गुणवत्ता व उसके संरक्षण हेतु सभी आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिये। ■

वर्तमान समाज में भगत सिंह के विचारों की प्रासंगिकता

प्र. भारतीय समाज में भगत सिंह की प्रासंगिकता को दर्शाते हुए उनके विभिन्न विचारों की चर्चा करें।

उत्तरः

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- परिचय
- वर्तमान समय में प्रासंगिकता
- निष्कर्ष

चर्चा का कारण

- 23 मार्च, 2019 को पूरे देश में शहीद दिवस मनाया गया। उल्लेखनीय है कि आज से 87 वर्ष पूर्व भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरू की देशभक्ति को अपराध की संज्ञा देकर अंग्रेजों द्वारा फाँसी पर लटका दिया गया था। उसी दिन से हर वर्ष उनकी शहादत के याद में यह दिवस मनाया जाता है।

परिचय

- भगत सिंह महज क्रांतिकारी देशभक्त ही नहीं बल्कि एक अध्ययनशील विचारक, दार्शनिक, चिंतक, लेखक, पत्रकार भी थे। उनका जन्म 27 सितंबर 1907 को लायलपुर जिले के बंगा में हुआ था, जो वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित है।

वर्तमान समय में प्रासंगिकता

- **समानता:** भगत सिंह ने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की थी, जहाँ सभी व्यक्ति को एक समान समझा जाए।
- **जातीय उत्पीड़न:** जातीय उत्पीड़न के संबंध में भगत सिंह ने अपना विचार मुख्य तौर पर 'अछूत समस्या' शीर्षक लेख में व्यक्त किया। यह लेख 1928 में 'किरती' में प्रकाशित हुआ था।
- **धार्मिक अंधविश्वास:** धर्म को लेकर उनका मानना था कि धार्मिक अंधविश्वास व कट्टरपंथ विकास में एक बड़ी बाधा उत्पन्न की है।
- **साम्प्रदायिकता:** भगत सिंह ने सांप्रदायिक भावनाओं की कड़ी आलोचना की, उन्होंने धार्मिक गुरुओं व राजनीतिज्ञों पर आरोप लगाया कि वे अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए साम्प्रदायिक दंगे करवाते हैं।
- **समावेशी समाज का निर्माण:** भगत सिंह ने एक ऐसे भारत का सपना देखा था, जो दमन, अत्याचार और अन्याय से सर्वथा मुक्त हो, जहाँ सबको विकास के समान अवसर प्राप्त हों व सभी समावेशी विकास के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें।
- **साहस और दृढ़ विश्वास:** भगत सिंह आज भी आधुनिक भारत के नवयुवकों के साहस के प्रेरणास्त्रोत बने हुए हैं। उनके साहस और दृढ़ विश्वास इस बात से प्रमाणित होती है कि उन्होंने समाजवादी विचारों में आस्था रखते हुए उसकी कमियों को नकार दिया।
- **क्रान्ति व हिंसा:** क्रांति के संबंध में भगत सिंह मानते थे कि ''क्रांति के लिए खूनी संघर्ष अनिवार्य नहीं है और न ही उसमें व्यक्तिगत प्रतिहिंसा के लिए कोई स्थान है। यह बम और पिस्तौल का संप्रदाय नहीं है।

निष्कर्ष

- भगत सिंह के विचारों व उनकी महत्ता से भावी पीढ़ी को अवगत कराया जाए।
- नए भारत के निर्माण के लिए उनके बौद्धिक योग्यता को अपनाया जाए।
- स्कूलों एवं विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में उनकी दार्शनिक बातों को केस स्टडी के रूप में विद्यार्थियों को अपनाना चाहिए। ■

विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट–2019 : एक अवलोकन

प्र. क्या तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का सीधा प्रभाव प्रसन्नता के सूचकांको पर भी पड़ता है? चर्चा कीजिए।

उत्तर:

दृष्टिकोण

- चर्चा का कारण
- पृष्ठभूमि
- विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट का उद्देश्य
- भारत के संदर्भ में प्रसन्नता सूचकांक के प्रमुख घटक
- चुनौतियाँ
- आगे की राह

चर्चा का कारण

- हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क ने विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट, 2019 जारी की है। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट के मुताबिक भारत खुशहाल देशों की सूची में पिछले साल के मुकाबले 7 स्थान नीचे गिरकर 140वें पायदान पर पहुंच गया है।

पृष्ठभूमि

- प्रसन्नता को मापने की अवधारणा सर्वप्रथम भूटान से शुरू हुई थी।

विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट का उद्देश्य

- वर्ष 2012 से जारी की जाने वाली इस रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य सदस्य देशों को अपने नागरिकों की संतुष्टि एवं प्रसन्नता के स्तर को ध्यान में रखते हुए लोक-नीतियों के निर्माण हेतु प्रेरित करना है।

भारत के संदर्भ में प्रसन्नता सूचकांक के प्रमुख घटक

- जीडीपी, प्रति व्यक्ति आय, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, सामाजिक स्वतंत्रता, भ्रष्टाचार का अभाव, सामाजिक अवलंबन, उदारता आदि।

चुनौतियाँ

- विश्व प्रसन्नता सूचकांक रिपोर्ट का उद्देश्य विभिन्न देशों के शासकों का मार्गदर्शन करना है ताकि यह देखा जा सके कि उनकी नीतियाँ लोगों की जिंदगी को खुशहाल बनाने में किस हद तक कारगर है। जहाँ तक भारत का प्रश्न है तो पिछले कुछ समय से भारतीय अर्थव्यवस्था की तेजी को पूरी दुनिया ने स्वीकारा है। अनेक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संगठनों ने इस मामले में भारत की प्रशंसा की है। यही नहीं, खुद संयुक्त राष्ट्र ने मानव विकास के क्षेत्र में भारतीय उपलब्धियों को रेखांकित किया।

आगे की राह

- महिलाओं तथा अन्य अति दुर्बल वर्गों के साथ-साथ जरूरतमंदों को आजीविका के लिए रोजगार अवसर तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे परिवारों (बीपीएल) को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना।
- सड़क मार्गो से नहीं जुड़ी ग्रामीण बसावटों के लिए बारहमासी ग्रामीण सड़क-संपर्क का प्रावधान और मौजूदा सड़कों के उन्नयन करके बाजार तक पहुँच उपलब्ध कराना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों को मूल आवास और वासभूमि को उपलब्ध कराना।
- वृद्धजनों, विधवाओं तथा विकलांग व्यक्तियों को सामाजिक सहायता उपलब्ध करना। ■

सात महत्वपूर्ण खबरें

1. नोट वर्बेल

हाल ही में भारत ने पाकिस्तान में दो नाबालिग हिन्दू लड़कियों के अपहरण और धर्म परिवर्तन का मामला उठाते हुए पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय को एक लिखित पत्र भेजा है।

स्मरणीय है कि 'नोट वर्बेल' एक सरकार से दूसरी सरकार के बीच कूटनीतिक लिखित संवाद को कहा जाता है। यह फ्रेंच भाषा की शब्दावली है। पहले इस प्रकार के नोट मौखिक हुआ करते थे, इसलिए आज भी इसका नाम वर्बेल है। नोट वर्बेल कूटनीतिक संवाद के सबसे अधिक प्रचलित औपचारिक पद्धति है।

नोट वर्बेल भेजने वाले के लेटर पैड पर लिखा होता है परन्तु उस पर उसका हस्ताक्षर नही होता है, बल्कि भेजने वाले की मुहर लगी होती है।

कूटनीतिक संवाद के अन्य औपचारिक रूप

डेमार्क (Demarche): यह संवाद का एक औपचारिक रूप होता है जिसमें किसी सरकार की विषय विशेष पर औपचारिक परिस्थिति, विचार अथवा इच्छा लिखी होती है जो दूसरी सरकार के उपयुक्त स्तर के अधिकारी को प्रेषित किया जाता है। सामान्यत: डेमार्क का उद्देश्य दूसरी सरकार को कुछ करने या कहने के लिए तथा सूचना देने के लिए अथवा सूचना लेने के लिए लिखा जाता है। किसी विदेश सरकार की कार्रवाई का विरोध करने और आपत्ति जताने के लिए भी डेमार्क भेजा जाता है।

डेमी ऑफिसियल पत्र (DO): यह संवाद प्रथम पुरुष (First Person) में लिखा जाता है। इसमें संवाद 'प्रिय' से शुरू होता है और अंत में इस पर लिखने वाले के हस्ताक्षर अंकित होते हैं। डेमी ऑफिसियल पत्र तभी लिखा जाता है जब लिखने वाला और पाने वाला दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हों। ■

2. जैव चिकित्सा अनुसंधान कैरियर कार्यक्रम

हाल ही में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने जैव चिकित्सा अनुसंधान कैरियर कार्यक्रम (BRCP) और वेलकम ट्रस्ट (WT/DBT) इंडिया एलायंस को इसकी आरम्भिक 10 वर्षीय अवधि (2008-09 से 2018-19 तक) से आगे बढ़ाकर नये पंचवर्षीय चरण (2019-20 से 2023-24 तक) में भी जारी रखने को मंजूरी दे दी है। ज्ञातव्य है कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) ने अपनी प्रतिबद्धता WT की तुलना में दोगुनी बढ़ा दी है।

उल्लेखनीय है कि इस निर्णय से कुल वित्तीय बोझ 1092 करोड़ रूपये का पड़ेगा जिसमें डीबीटी और डब्ल्यूटी क्रमश: 728 करोड़ एवं 364 करोड़ रुपये का योगदान करेंगे।

इस कार्यक्रम ने 1:1 साझेदारी में, अपने 10 वर्षीय वित्तपोषण के दौरान भारत में अत्याधुनिक जैव चिकित्सा (बायोमेडिक) अनुसंधान में उच्चतम वैश्विक मानकों वाली प्रतिभाओं के सृजन एवं शिक्षण से संबंधित अपने उद्देश्यों को पूरा कर लिया है, जिसके फलस्वरूप सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण वैज्ञानिक उपलब्धियाँ और अनुप्रयोग संभव हो पाए हैं।

बीआरसीपी से विदेश में काम कर रहे बेहतरीन भारतीय वैज्ञानिकों के लिए स्वदेश वापस आना आकर्षक बना दिया है। इसके साथ ही बीआरसीपी की बदौलत भारत में कई स्थानों पर ऐसे केन्द्रों की संख्या काफी बढ़ गई है, जहाँ विश्वस्तरीय जैव चिकित्सा अनुसंधान किए जाते हैं।

उल्लेखनीय है कि वेलकम ट्रस्ट (WT) इंग्लैण्ड का एक स्वतंत्र धर्मार्थ न्यास है जो मनुष्यों और पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए होने वाले शोधों हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी। उस समय इसके पास 15 बिलियन पौंड की पूँजी थी। वर्तमान में यह इंग्लैण्ड में जैव चिकित्सा अनुसंधान के लिए धन का सबसे बड़ा गैर-सरकारी स्रोत है। ■

3. विश्व खाद्य कार्यक्रम

हाल ही में जापान ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) को 69 मिलियन डॉलर का दान दिया है जिससे मध्य-पूर्व, अफ्रीका और एशिया के 28 देशों में खाद्य सामग्री दी जायेगी। इसके लिए सबसे अधिक धनराशि यमन और इराक के नाम होगी।

विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP) संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत आने वाला विश्व का सबसे बड़ा मानवीय कार्यक्रम है जिसका काम भूख का निवारण और

खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देना है। विश्व खाद्य कार्यक्रम भूख और कुपोषण को मिटाने के लिए प्रतिबद्ध है।

यह कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र विकास समूह और उसकी कार्यप्रणाली समिति के सदस्य द्वारा भी संचालित किया जाता है। विश्व खाद्य कार्यक्रम की शुरूआत 1961 में हुआ था। इसका प्रशासन एक कार्यकारी बोर्ड करता है जिसमें सदस्य देशों के प्रतिनिधि होते हैं।

विश्व खाद्य कार्यक्रम की गतिविधियों के लिए धनराशि विश्व की सरकारों, निगमों और निजी दाताओं से आती है। इस कार्यक्रम के अन्य आनुषंगिक कार्य हैं- सूक्ष्म पोषण तत्त्वों की कमी को दूर करना, बाल मृत्यु दर को घटाना, मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाना तथा एचआईवी और एड्स समेत कई रोगों से लड़ना।

लक्ष्य

इस कार्यक्रम का लक्ष्य खाद्य सुरक्षा और पोषण को सहारा देना तथा आपातकाल के पश्चात की परिस्थिति में लोगों की जीविका को फिर से सुदृढ़ करना है। लोगों, समुदायों और देशों को अपने भोजन और पोषण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समर्थ बनाना एवं कुपोषण को घटाना और पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली भूख के सिलसिले को बंद करना साथ ही 2030 तक कोई भूखा न रहे, ऐसा प्रबंध करना है। ■

4. ग्रैप्स – 3 (GRAPES-3)

दुनिया में ऐसा पहली बार हुआ है कि ऊटी में स्थित GRAPES-3 (गामा रे/किरणें एस्ट्रोनॉमी pev एनर्जी एस फेज-3) MOUN दूरबीन ने 1 दिसम्बर, 2014 को गुजरने वाले एक अंधड़ की विद्युतीय क्षमता, आकार और ऊँचाई का माप लिया है। इस अंधड़ के गुणधर्मों का पता लगाने से विमान के नेविगेशन/पथ प्रदर्शन और हवाई जहाज में शॉर्ट-सर्किट को रोकने में सहायता मिलेगी।

GRAPES-3 के बारे में

भारत के ऊटी में स्थित GRAPES-3 का प्रयोग, भारतीय टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च और जापानी ओसाका सिटी यूनिवर्सिटी के सहयोग से शुरू हुआ और अब इसमें जापानी नागोया महिला विश्वविद्यालय भी शामिल है। GRAPES-3 को एयर शॉवर सारणी और एक बड़े क्षेत्र म्यूऑन डिटेक्टर के साथ कॉस्मिक किरणों का अध्ययन

करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका उद्देश्य ब्रह्मांडीय किरणों के तवरण की जाँच करना है। यह ब्रह्मांडीय किरणों में वृद्धि की जांच करने के लिए चार प्रकार के अन्तरिक्ष भौतिक परिस्थितियों में काम करता है। जैसे- वायुमंडलीय विद्युत क्षेत्रों में 100 Mev, सौर प्रणाली में 10 GV, आकाशगंगा में 1 pev तथा आसपास के ब्रह्मांड में 100 Eev आदि।

MUON का उपयोग

जब ब्रह्मांडीय किरणें पृथ्वी के आस-पास के वायुकणों से टकराती हैं तो MUON और अन्य कण उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार उत्पन्न MUON में धनात्मक अथवा ऋणात्मक दोनों प्रकार के आवेश हो सकते हैं। जब एक धनात्मक रूप से आविष्ठ MUON किसी बादल से होकर गिरता है तो उसकी ऊर्जा समाप्त हो जाती है। यदि ऊर्जा की यह कमी एक Gev से नीचे चली जाती है तो GRAPES-3 MUON दूरबीन उसको पकड़ नहीं पाता है। वहीं दूसरी ओर, यदि कोई ऋणात्मक रूप से आविष्ठ MUON बादल से होकर गिरता है तो उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है और यह पकड़ में आ जाता है क्योंकि प्रकृति में ऋणात्मक की तुलना में धनात्मक MUON ज्यादा होता है। इसलिए ये दोनों प्रभाव एक दूसरे को खत्म नहीं करते और तीव्रता से एक शुद्ध अंतर दिख जाता है। ■

5. महसीर नामक कूबड़ मछली

कावेरी नदी में पाई जाने वाली महसीर नामक कूबड़ मछली को अब IUCN की लाल सूची में जोड़ कर उसे अत्यंत संकटग्रस्त स्थिति (Critically Endangered Status) का दर्जा दिया गया है। महसीर मीठे जल में पाई जाने वाली एक बड़ी मछली है जिसे जल का बाघ भी कहा जाता है। यह केवल कावेरी नदी घाटी में केरल की पम्बार, काबिनी और भवानी नदियों में मिलती है। संकटग्रस्त श्रेणी में पाँच अन्य प्रजातियाँ भी सम्मिलित हुई हैं। वे हैं- दो प्रकार के जंगली ओर्चिड, अरेबियन स्कैड नामक समुद्री मछली तथा पश्चिमी घाट के कुछ ही स्थानों में पाई जाने वाली जंगली कहवे की दो प्रजातियाँ।

IUCN की लाल सूची क्या है?

IUCN की लाल सूची संकटग्रस्त प्रजातियों की एक ऐसी सूची है जिसमें किसी भी पौधे अथवा प्राणी के वैश्विक संरक्षण की स्थिति दर्शायी जाती है। यह सूची हजारों प्रजातियों के विलुप्त होने के संकट का मूल्यांकन कतिपय मानदंडों के आधार पर करती है। ये मानदंड अधिकांश प्रजातियों और विश्व के समस्त क्षेत्रों के लिए प्रासंगिक होते हैं। इसका वैज्ञानिक आधार अत्यंत प्रबल होता है। अतः IUCN की लाल सूची को जैव विविधता की स्थिति से अवगत होने के लिए सर्वाधिक प्रमाणिक दस्तावेज माना जाता है।

लाल सूची की श्रेणियाँ

इसमें समस्त प्रजातियों की विलुप्ति से सम्बंधित 9 श्रेणियाँ होती हैं, जो NE (अमूल्यांकित) से

लेकर EX (विलुप्त) तक होती हैं। जिन प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा है, उन्हें अत्यंत संकटग्रस्त (Critically Endangered), संकटग्रस्त (Endangered) और संकटापन्न (Vulnerable) श्रेणियाँ दी जाती हैं।

विलुप्ति के खतरे की जाँच के आधार

1. प्रजाति विशेष की संख्या में गिरावट की दर
2. भौगोलिक प्रसार क्षेत्र
3. प्रजाति विशेष की संख्या पहले से भी कम है
4. प्रजाति बहुत छोटी है अथवा एक सीमित क्षेत्र में ही रहती है
5. क्या संख्यात्मक विश्लेषण यह इंगित करता है कि प्रजाति विशेष पर विलुप्ति का बड़ा खतरा है।

IUCN

- आईयूसीएन की स्थापना अक्टूबर, 1948 में फ्रांस के फॉन्टेनबेलाऊ शहर में आयोजित हुए एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रकृति के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संघ (International Union for the Protection of Nature or IUPN) के रूप में की गई थी।
- 1956 में इस संघ का नाम IUPN से बदलकर IUCN कर दिया गया अर्थात् अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (International Union for Conservation of Nature)।
- आईयूसीएन दुनिया का पहला वैश्विक पर्यावरण संगठन है और वर्तमान में यह सबसे बड़ा वैश्विक संरक्षण नेटवर्क है।
- इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में जेनेवा के निकट ग्लैंड (Gland) में है।
- IUCN मानव का प्रकृति के साथ जो व्यवहार है उसका अध्ययन करता है और दोनों के बीच संतुलन को संरक्षित करता है।
- यह जलवायु परिवर्तन के साथ-साथ टिकाऊ विकास और खाद्य सुरक्षा जैसी चुनौतियों पर विचार करता है। ■

6. वित्तीय परिषद्

केंद्र और राज्यों के वित्तीय समेकन (fiscal consolidation) के लिए एक समान नियमों की आवश्यकता पर बल देते हुए 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह ने वित्तीय परिषद् जैसे एक ऐसे संस्थागत तंत्र की स्थापना का आह्वान किया है जिससे वित्तीय नियमों को लागू किया जा सके और केंद्र के वित्तीय समेकन पर नियंत्रण रखा जा सके।

वित्तीय परिषद् की आवश्यकता क्यों?

- समग्र विभाज्य राजस्व में विभिन्न उपकरों और अधिभारों का अनुपात असंतुलित हो चला है। ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए जो यह सुनिश्चित करें कि धन के विभाजन की प्रक्रिया को क्लेवर फाइनेंशियल इंजीनियरिंग (Clever Financial Engineering) अथवा परम्पराओं का सहारा लेकर क्षति न पहुँचाई जाए।

- वित्त आयोग एवं GST परिषद् के बीच भी समन्वय की आवश्यकता है। GST परिषद् को यह पता नहीं रहता कि वित्त आयोग क्या कर रहा है और वित्त आयोग को और भी कम जानकारी होती है कि GST परिषद् क्या कर रही है।
- राज्य सरकार के लिए धारा 293(3) उधारी पर सांविधानिक नियंत्रण का प्रावधान करती है। किन्तु केंद्र के लिए ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है।
- इसलिए आज यह आवश्यकता है कि वित्तीय परिषद् जैसा एक वैकल्पिक संस्थागत तन्त्र हो जो वित्तीय नियमों को लागू करें और केंद्र के वित्तीय समेकन पर नजर रखें।

सुझाव

भारत का शासन तंत्र जटिल है और इसके सामने विकास की अनेक चुनौतियाँ हैं। अत: देश को उचित वित्तीय प्रथाओं के लिए संस्थागत तंत्र की आवश्यकता है।

यदि एक स्वतंत्र वित्तीय परिषद् का गठन होता है तो पूरे देश में वित्तीय प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व आएगा।

कई देशों के अनुभव से ज्ञात होता है कि वित्तीय परिषद् के होने से लोक वित्त पर होने वाले विचार-विमर्श की गुणवत्ता में सुधार होता है और वित्तीय अनुशासन के अनुकूल जनमत का निर्माण होता है। ■

7. बाल विवाह मामलों में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट

हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा किये गये एक अध्ययन के अनुसार भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों में से एक त्रिपुरा बाल-विवाह के मामलों में देश में दूसरे स्थान पर है। अध्ययन के अनुसार त्रिपुरा में 15 से 19 वर्ष की कन्याओं की शादी के मामले देखे गये हैं। उल्लेखनीय है कि बाल-विवाह के मामले में पश्चिम बंगाल का पूरे देश में प्रथम स्थान है।

इस अध्ययन का शीर्षक 'यंग लाइव्स-एन इंटरनेशनल स्टडी ऑन चाइल्डहुड पॉवर्टी' है जिसमें राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (2015-16) का हवाला दिया गया है।

इसमें कहा गया है कि राज्य में होने वाले सभी बाल-विवाह के मामलों में 80 प्रतिशत विवाह तीन जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं। यह अध्ययन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक टीम द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है।

मुख्य बिंदु

- अध्ययन के अनुसार 15 से 19 वर्ष के आयु

वर्ग की कन्याओं के बाल विवाह का राष्ट्रीय औसत 11.9 प्रतिशत है किंतु त्रिपुरा के लिए यही आँकड़ा 21.6 प्रतिशत का है।

- अध्ययन से यह बात भी सामने आई है कि देश के 100 जिलों में से त्रिपुरा के चार ऐसे जिले शामिल हैं, जहां बाल-विवाह अत्यधिक प्रचलन में है।
- रिपोर्ट में यह भी तथ्य सामने आया है कि त्रिपुरा के धलाई जिले में बाल विवाह की दर 24.7 प्रतिशत है, जो राज्य में सबसे अधिक है। बाल-विवाह के उच्च प्रसार वाले अन्य जिलों में दक्षिण त्रिपुरा, उत्तरी त्रिपुरा और पश्चिम त्रिपुरा शामिल हैं।
- किशोरावस्था में माँ बनने वाली लड़कियों से पैदा होने वाले बच्चों की संख्या के विश्लेषण पर यह देखा गया है कि कि 52 प्रतिशत विवाहित किशोर लड़कियों ने कम से कम एक बच्चे को जन्म दिया है।
- इनमें 5.5 प्रतिशत लड़कियों ने कम से कम 2 बच्चों को जन्म दिया था और एक प्रतिशत में 2 से अधिक बच्चे थे।

भारत में बाल-विवाह की स्थिति

नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-4 (2015-16) के अनुसार, देश में बाल-विवाह की औसत दर 11. 9% है। हिमाचल प्रदेश और मणिपुर में आँकड़ों में कुछ वृद्धि जरूर दर्ज की गई है।

एनएफएचएस 3 (2005-06) के आँकड़ों से एनएफएचएस-4 (2015-16) के आँकड़ों में उत्तर प्रदेश के आँकड़ों में काफी सुधार हुआ है। उत्तर प्रदेश में 29 फीसदी से दर कम होकर सिर्फ 6.4 फीसदी ही रह गया है।

पश्चिम बंगाल में भी सुधार हुआ है, लेकिन अपेक्षाकृत कम है। बंगाल में 34 फीसदी से यह दर कम होकर 25.6 फीसदी रह गई है।

बाल-विवाह कानूनी अपराध

बाल-विवाह निषेध अधिनियम, 2006 के तहत बाल-विवाह दंडनीय अपराध है। इसमें 18 वर्ष से कम आयु की बच्चियों का विवाह करने पर दो साल की जेल और एक लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है। ऐसे विवाह में हिस्सा लेने वाले लोगों पर भी कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। ■

सात ब्रेन बूस्टर्स

नियामक सैंडबॉक्स

चर्चा का कारण

1.1 भारतीय रिज़र्व बैंक दो महीने के अंदर फिनटेक (Fintech) कंपनियाँ अर्थात् वित्तीय तकनीक वाली कंपनियों के लिए मार्गनिर्देश निर्गत करने वाला है जिससे कि वे अपने नये उत्पाद का अनावरण करने के पहले उपभोक्ताओं के छोटे समूह के सामने परीक्षण कर सकें।

क्या है?

2.1 नियामक सैंडबॉक्स उस सुरक्षित स्थान को कहते हैं जहाँ व्यावसायिक शिथिल नियामक दशाओं में अपने नवाचारी उत्पादों की जाँच कर सकते हैं।

2.2 इसमें सम्मिलित होने वाली कंपनियाँ अपने नए उत्पादों का विमोचन एक नियंत्रित परिवेश के अन्दर गिने-चुने उपभोक्ताओं के समक्ष एक सीमित समय के लिए करती हैं।

महत्व

3.1 नियामक सैंडबॉक्स से फिनटेक कंपनियों की अपने नवाचारी उत्पादों को कम लागत पर और कम समय में अनावरण करने में सहायता मिलेगी।

3.2 सैंडबॉक्स व्यवस्था से यह लाभ भी है कि फिनटेक कंपनियाँ अपने नये उत्पादों और सेवाओं का परीक्षण प्रत्यक्ष रूप से अथवा आभासी रूप से कर सकती हैं।

3.3 नियामक सैंडबॉक्स का एक अतिरिक्त लाभ यह है कि फिनटेक कंपनियाँ अपने उत्पादों से संबंधित नए-नए प्रयोग कर पाएँगे और इसमें विफलता का खतरा कम होगा।

आवश्यकता क्यों?

4.1 नीति आयोग के अनुसार भारत का फिनटेक बाजार विश्व में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला बाजार है।

4.2 एक औद्योगिक अनुसंधान से पता चला है कि 2029 तक एक ट्रिलियन डॉलर अर्थात खुदरा और SME का 60% कर्ज डिजिटल तरीके से भुगतान किया जाएगा।

4.3 भारतीय फिनटेक बाजार विश्व का तीसरा बड़ा बाजार है जिसने 2014 से लगभग 6 बिलियन डॉलर के निवेश को आकर्षित किया है।

4.4 फिनटेक अथवा वित्तीय तकनीक वाली कंपनियाँ विभिन्न वित्तीय सेवाओं के लिए तकनीक का प्रयोग करती हैं, जैसे- भुगतान, पियर टू पियर उधारी, क्लाउड फंडिंग आदि।

4.5 अत: ग्राहकों की सुरक्षा तथा सभी हितधारकों के हितों की रक्षा के लिए आज फिनटेक प्रतिष्ठानों के नियंत्रण हेतु नियामक और पर्यवेक्षणात्मक तन्त्र की आवश्यकता है।

फिनटेक

5.1 फिनटेक वित्तीय प्रौद्योगिकी का एक बंदरगाह है, जो 21वीं सदी में उभरती हुई वित्तीय सेवा क्षेत्र का वर्णन करता है। मूल रूप से, इस शब्द को स्थापित उपभोक्ता और व्यापार वित्तीय संस्थानों के बैक-एंड पर लागू किया गया है।

5.2 21वीं सदी के पहले दशक के अंत से इसका विस्तार वित्तीय क्षेत्र में किसी भी तकनीकी नवाचार को शामिल करने के लिए किया गया है, जिसमें वित्तीय साक्षरता और शिक्षा, रिटेल, बैंकिंग निवेश और क्रिप्टो-मुद्रा जैसे बिटकॉइन शामिल हैं।

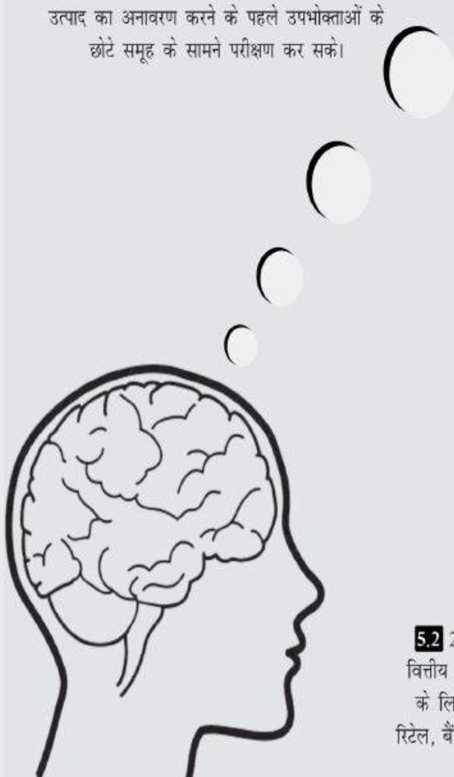

भारत-इंडोनेशिया समझौता

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मादक पदार्थों की अवैध तस्करी और आवाजाही से निपटने के लिए भारत और इंडोनेशिया के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को अपनी मंजूरी दे दी है।

1.2 इस समझौते से मादक पदार्थों और नशीले पदार्थों के नियमन तथा मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए परस्पर सहयोग में मदद मिलेगी।

1.3 यह समझौता हस्ताक्षर की तिथि से प्रभावी होगा और 5 वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगा। गौरतलब है कि भारत ने 37 देशों के साथ ऐसी संधियों/सहमति-पत्रों/समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।

सहमति पत्र की मुख्य विशेषताएँ

2.1 इस समझौते से दोनों देशों के बीच संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नियंत्रण संधियों के अनुसार मादक पदार्थों की तस्करी और इसकी आवाजाही से निपटने में सहयोग बढ़ेगा।

2.2 इस सहमति पत्र के तहत सहयोग में मादक पदार्थों की अवैध तस्करी और इसकी आवाजाही से निपटने में दोनों देशों के राष्ट्रीय विधान के मौजूदा वैधानिक औजारों पर आधारित विवरण का आदान-प्रदान करना, मादक पदार्थों, नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी और इसकी आवाजाही तथा अनिवार्य रसायनों, धनशोधन (मनी लॉंडरिंग) के काम में शामिल लोगों की पहचान करने की दृष्टि से नियंत्रित वितरण संचालन के इस्तेमाल में एक दूसरे को अनुमति देना और सहायता देना शामिल हैं।

2.3 इस सहमति पत्र के अनुसार प्राप्त सूचना और दस्तावेजों की गोपनीयता कायम रखने का प्रावधान किया गया है।

भारत-इंडोनेशिया संबंध

3.1 इंडोनेशिया से कच्चे पाम ऑयल का आयात करने वाला भारत सबसे बड़ा देश है तथा वहाँ से कोयला, खनिज, रबड़, लुग्दी एवं कागज का आयात करता है।

3.2 भारत परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों, मक्का, वाणिज्यिक वाहनों, दूर संचार के उपकरणों, तिलहनों, पशु आहार, कपास, स्टील के उत्पादों तथा प्लास्टिक आदि का इंडोनेशिया को निर्यात करता है।

3.3 इंडोनेशिया में निवेश करने वाली भारत की प्रख्यात कंपनियाँ हैं: टाटा पावर, रिलायंस, अदानी, एल. एंड टी., जी.एम.आर., जी.वी.के., वीडियोकॉन, पुंज लॉयड, आदित्य बिरला, जिंदल स्टेनलेस स्टील, एस्सार, टी.वी.एस., बजाज, बी.ई.एम.एल., गोदरेज, बामन एंड लॉरी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया आदि।

3.4 जहाँ तक व्यापार एवं आर्थिक संबंधों का प्रश्न है, इंडोनेशिया की अवसंरचना, विद्युत, कपड़ा, इस्पात, आटोमोटिव, खनन, बैंकिंग तथा एफ.एम.जी.सी. क्षेत्रों में भारतीय कंपनियों ने काफी निवेश किया है। इंडोनेशिया की भी अनेक कंपनियों ने भारत की अवसंरचना परियोजनाओं में निवेश किया है।

3.5 पिछले साल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इंडोनेशिया का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने इंडोनेशिया के नागरिकों के लिए 30 दिन के लिए भारत यात्रा के लिए निःशुल्क वीजा की व्यवस्था किए जाने का ऐलान किया था।

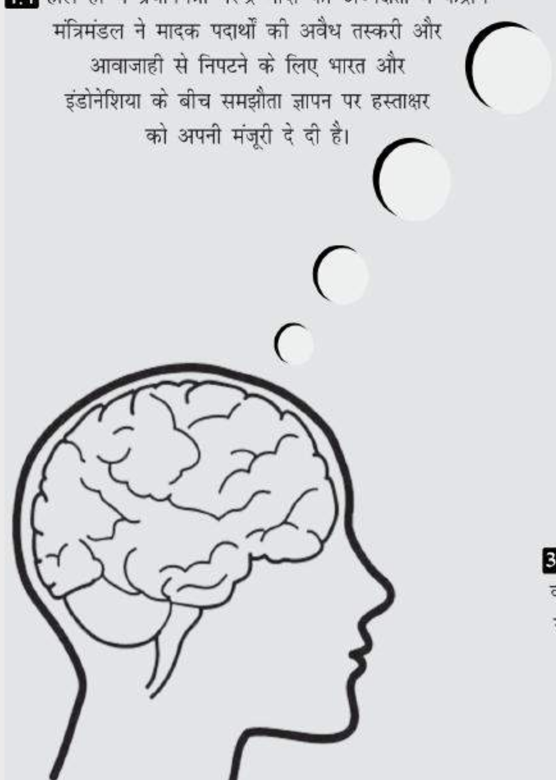

वैश्विक ऊर्जा एवं CO_2 स्टेटस रिपोर्ट

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा आयोग ने वैश्विक ऊर्जा एवं कार्बन डाइऑक्साइड स्टेटस रिपोर्ट जारी की है।

मुख्य तथ्य

2.1 भारत ने 2018 में 2299 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित किया था जो पिछले वर्ष की तुलना में 8% अधिक है।

2.2 उल्लेखनीय है कि ऊर्जा की माँग में वृद्धि का 70% सिर्फ तीन देशों क्रमशः चीन, अमेरिका और भारत में हुआ है।

2.3 यदि भारत की बात करें तो इसका योगदान विश्व के कार्बन डाइऑक्साइड के कुल उत्सर्जन का 7% है।

2.4 प्रति व्यक्ति उत्सर्जन के मामले में वैश्विक औसत उत्सर्जन का 90% भारत के हिस्से में रहा।

2.5 अमेरिका और चीन कार्बन डाइऑक्साइड के विश्व में सबसे बड़े उत्सर्जक देश हैं। किन्तु वर्ष 2018 में इस विषय में भारत की वृद्धि दर इन देशों से अधिक रही। ऐसा इसलिए हुआ कि यहाँ पर कोयले की खपत में तेजी से बढ़ोतरी हुई है।

2.6 ज्ञातव्य है कि अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक देश है और यह उत्सर्जन के 14% का उत्तरदायी है।

आईईए क्या है?

3.1 आईईए एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जिसकी स्थापना 1974 में इसलिए की गई थी कि उन दिनों खनिज तेल की आपूर्ति में जो बाधाएँ आई थीं, उनका निराकरण किया जा सके।

3.2 आईईए का मुख्य उद्देश्य विश्व में परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना है।

प्रमुख कार्य

4.1 आईईए ऊर्जा से संबंधित सभी विषयों की पड़ताल करता है, जैसे- तेल, गैस और कोयला आपूर्ति एवं माँग, नवीकरणीय ऊर्जा तकनीकी, बिजली बाजार, ऊर्जा क्षमता, ऊर्जा की उपलब्धता, माँग का प्रबंधन आदि।

4.2 आईईए उन नीतियों का पक्षधर है जिनसे इसके सदस्य देशों और अन्य देशों में ऊर्जा की विश्वसनीयता, सुलभता एवं सतत्ता में वृद्धि हो सकती है।

4.3 आईईए प्रशिक्षण एवं क्षमता वृद्धि के लिए कार्यशालाओं, भाषणों एवं संसाधनों के कई कार्यक्रम चलाता ही है, इसके अतिरिक्त इसने कुछ प्रतिवेदन आदि भी प्रकाशित किये हैं, जैसे- विश्व ऊर्जा दृष्टिकोण (World Energy Outlook), आईईए बाजार प्रतिवेदन (IEA Market Reports) तथा मासिक खनिज तेल डाटा सेवा।

चिंताएँ

5.1 जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं के अनुसार भारत ने 2005 के स्तर की तुलना में 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था की उत्सर्जन तीव्रता को कम करने का वादा किया है।

5.2 इसने 2030 तक अपनी कुल ऊर्जा का 40% नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्ति का लक्ष्य रखा है। साथ ही 2022 तक 100 गीगावॉट सौर ऊर्जा उत्पादन का भी लक्ष्य रखा है।

5.3 हालाँकि रिपोर्ट से पता चला है कि भारत की ऊर्जा तीव्रता में सुधार पिछले साल की तुलना में 3% कम हो गया है क्योंकि पिछले वर्ष की तुलना अक्षय ऊर्जा में 10.6% की बढ़ोतरी हुई है।

रक्षा उपग्रह एमिसैट

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो ने अंतरिक्ष में भारतीय रॉकेट पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (PSLV) सी-45 द्वारा उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया।

1.2 इस प्रक्षेपण में इलेक्ट्रॉनिक इंटेलीजेंस उपग्रह, एमिसैट (EMISAT) का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है।

एमिसैट की विशेषताएँ

2.1 यह उपग्रह पृथ्वी से 749 किलोमीटर (465 मील) की दूरी से भारत की सीमाओं पर होने वाली गतिविधियों की जानकारी देगा।

2.2 इस उपग्रह से न केवल मानवीय बल्कि संचार से जुड़ी किसी भी तरह की गतिविधि पर नजर रखी जा सकेगी।

2.3 एमिसैट सुरक्षा निगरानी के उद्देश्य से भी भारत के लिए एक महत्वपूर्ण उपग्रह है, क्योंकि इसे इसरो और डीआरडीओ ने मिलकर बनाया है।

2.4 इसका विशेष उद्देश्य पाकिस्तान और चीन की सीमा पर इलेक्ट्रॉनिक गतिविधियों पर नजर रखना है। यह भारत की सीमाओं पर उपग्रह राडार और सेंसर पर निगाह रखेगा।

2.5 एमिसैट मुख्य रूप से प्रसिद्ध इजरायली जासूसी उपग्रह SARAL (Satellite with Argos and Altika) पर आधारित है।

2.6 यह बर्फ, बारिश, तटीय क्षेत्रों, जमीन एवं जंगलों को बिना किसी मुश्किल के स्कैन कर सकेगा।

2.7 उल्लेखनीय है कि एमिसैट का सबसे पहली बार जिक्र रक्षा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2013-14 में किया गया था।

पीएसएलवी सी-45 प्रक्षेपण की विशेषताएँ

3.1 पीएसएलवी सी-45 द्वारा जिन उपग्रहों को प्रक्षेपित किया गया है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण एमिसैट अर्थात इलेक्ट्रॉमैग्नेटिक इंटेलिजेंस सैटेलाइट है।

3.2 इससे डीआरडीओ के डिफेंस रिसर्च में मदद मिलेगी। यह इसरो का 47वाँ पीएसएलवी प्रोग्राम है।

3.3 एमिसैट के साथ यह रॉकेट 28 अन्य विदेशी नैनो उपग्रहों को भी लेकर गया है। इसरो द्वारा छोड़ा गया रॉकेट पहले 436 किलोग्राम के एमिसैट को 749 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थापित करेगा।

3.4 एमिसैट के साथ अमेरिका के 24, लिथुआनिया का 2, स्पेन का 1 और स्विट्जरलैण्ड का 1 सैटेलाइट शामिल है।

3.5 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) का यह पहला ऐसा मिशन है, जिसे आम लोगों की मौजूदगी में लॉन्च किया गया है।

3.6 इसके लिए इसरो ने एक गैलरी तैयार की थी, जिसमें 5000 लोगों के बैठने की क्षमता थी।

पीएसएलवी

4.1 ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचन वाहन (पीएसएलवी), विश्व के सर्वाधिक विश्वसनीय प्रमोचन वाहनों में से एक है।

4.2 पीएसएलवी चार चरणीय तकनीकी प्रणाली पर आधारित है। इसके पहले चरण के दौरान प्रणोद को बढ़ाने के लिए 6 ठोस रॉकेट स्ट्रैपऑन मोटरों का प्रयोग किया जाता है।

4.3 पीएसएलवी के दूसरे चरण में तरल नोदन प्रणाली केन्द्र (LPSC) द्वारा विकसित पृथ्वी संग्रहणीय तरल रॉकेट इंजन लगा होता है। इसके तीसरे चरण में ठोस रॉकेट मोटर लगी होती है, जो प्रमोचन के वायुमंडलीय चरण के पश्चात दूसरी चरणों को प्रणोद उपलब्ध कराती है। इसके ऊपरी चरण पीएस-4 है, इसमें दो पृथ्वी संग्रहणीय तरल इंजन लगते हैं।

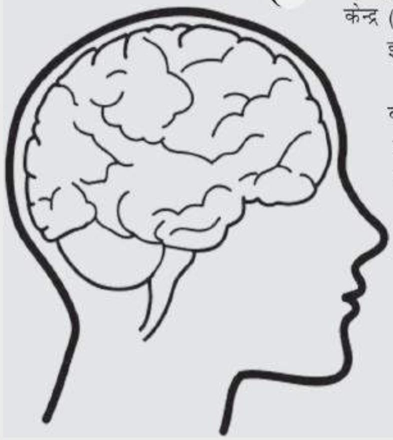

जीआई टैग

चर्चा का कारण

1.1 केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने हाल ही में भारतीय कॉफी की पाँच किस्मों को भौगोलिक संकेतक (जीआई टैग) प्रदान किया है।

1.2 इससे पहले भारत की एक अनोखी विशिष्ट कॉफी 'मानसूनी मालाबार रोबस्टा कॉफी' को जीआई प्रमाणन दिया गया था।

1.3 भारत में 3.66 लाख टन कॉफी किसानों द्वारा तकरीबन 4.54 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कॉफी उगायी जाती है। इनमें से 98 प्रतिशत छोटे किसान हैं।

1.4 कॉफी की खेती मुख्यत: भारत के दक्षिणी राज्यों में की जाती है। कॉफी गैर-परंपरागत क्षेत्रों जैसे कि आंध्र प्रदेश, ओडिशा (17.2 प्रतिशत) और पूर्वोत्तर राज्यों (1.8 प्रतिशत) में भी उगायी जाती है।

कॉफी के प्रकार

2.1 **वायनाड रोबस्टात कॉफी:** यह मुख्यत: वायनाड जिले में उगायी जाती है जो केरल के पूर्वी हिस्से में अवस्थित है।

2.2 **कूर्ग अराबिका कॉफी:** यह मुख्यत: कर्नाटक के कोडागू जिले में उगायी जाती है।

2.3 **बाबाबुदनगिरीज अराबिका कॉफी:** यह भारत में कॉफी के उद्गम स्थल में उगायी जाती है और यह क्षेत्र चिकमंगलूर जिले के मध्य क्षेत्र में अवस्थित है। इसे हाथ से चुना जाता है और प्राकृतिक किण्वन द्वारा संसाधित किया जाता है। इसमें चॉकलेट सहित विशिष्ट फ्लैवर होता है। कॉफी की यह किस्म सुहावना मौसम में तैयार होती है। यही कारण है कि इसमें विशेष स्वाद और खुशबू होती है।

2.4 **चिकमंगलूर अराबिका कॉफी:** यह विशेष रूप से चिकमंगलूर जिले में उगायी जाती है। यह दक्कन के पठार में अवस्थित है जो कर्नाटक के मलनाड क्षेत्र से संबद्ध है।

2.5 **अराकू वैली अराबिका कॉफी:** इसे आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम जिले और ओडिशा क्षेत्र की पहाड़ियों से प्राप्त कॉफी के रूप में वर्णित किया जाता है। जनजातियों द्वारा तैयार की जाने वाली अराकू कॉफी के लिए जैव अवधारणा अपनायी जाती है जिसके तहत जैविक खाद एवं हरित खाद का व्यापक उपयोग किया जाता है और जैव कीटनाशक प्रबंधन से जुड़े तौर-तरीके अपनाये जाते हैं।

भौगोलिक संकेत (जीआई टैग) के बारे में

3.1 जीआई टैग अथवा भौगोलिक चिह्न किसी भी उत्पाद के लिए एक चिह्न होता है जो उसकी विशेष भौगोलिक उत्पत्ति, विशेष गुणवत्ता और पहचान के लिए दिया जाता है और यह सिर्फ उसकी उत्पत्ति के आधार पर होता है।

3.2 ऐसा नाम उस उत्पाद की गुणवत्ता और उसकी विशेषता को दर्शाता है।

3.3 दार्जिलिंग चाय, महाबलेश्वर स्ट्रॉबेरी, जयपुर की ब्लूपोटेरी, बनारसी साड़ी और तिरूपति के लड्डू कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिन्हें जीआई टैग मिला हुआ है।

3.4 जीआई उत्पाद दूरदराज के क्षेत्रों में किसानों, बुनकरों शिल्पों और कलाकारों की आय को बढ़ाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को फायदा पहुँचा सकते हैं।

जीआई टैग के फायदे

4.1 जीआई प्रमाण से जो विशिष्ट मान्यता एवं संरक्षण मिलता है, उससे भारत के कॉफी उत्पादक विशिष्ट क्षेत्रों में उगायी जाने वाली कॉफी की अनूठी खूबियों को बनाये रखने में आवश्यक खर्च करने के लिए प्रोत्साहित होंगे।

4.2 यही नहीं, इससे विश्व भर में भारतीय कॉफी की मौजूदगी भी बढ़ जायेगी और इसके साथ ही देश के कॉफी उत्पादकों को अपनी प्रीमियम कॉफी की अधिकतम कीमत प्राप्त करने में भी मदद मिलेगी।

भारत में कॉफी

5.1 भारत पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जहाँ कॉफी की समूची खेती छाया वाले माहौल में की जाती है, इसे हाथ से चुना जाता है और फिर धूप में सुखाया जाता है।

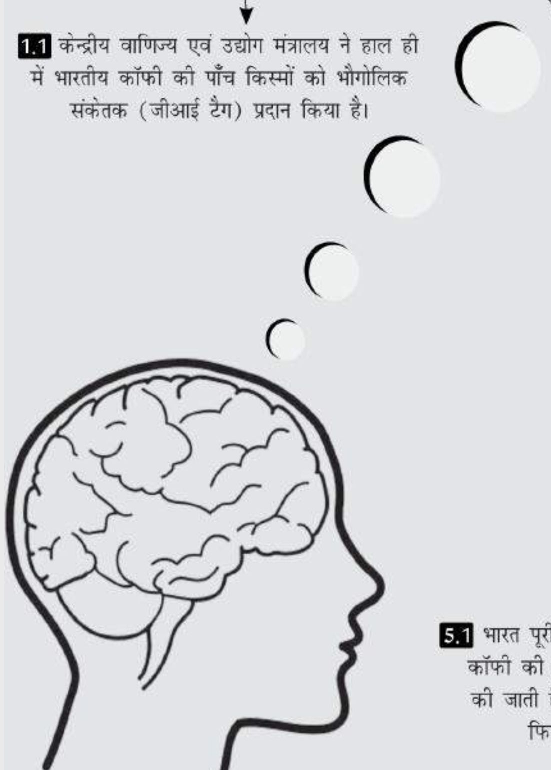

वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक

चर्चा का कारण

1.1 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम तथा ऑक्सफोर्ड गरीबी उन्मूलन एवं मानव विकास पहल द्वारा हाल ही में वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक (Global Multidimensional Poverty Index) 2018 जारी किया गया।

1.2 इस सूचकांक में बताया गया है कि भारत में पिछले दस वर्षों में निर्धनता दर 55 प्रतिशत से कम होकर 28 प्रतिशत पर आ गयी है।

MPI क्या है

2.1 MPI का पूरा नाम है – Multi-dimensional Poverty Index अर्थात् बहु-आयामी गरीबी सूचकांक।

2.2 प्रतिवेदन में बताया गया है कि इसमें गरीब कौन होता है और गरीबी की तीव्रता क्या होती है, इन दोनों पहलुओं पर विचार किया गया है।

2.3 प्रतिवेदन में गरीबी दर जनसंख्या के प्रतिशत के रूप में वर्णित है तथा गरीबी की तीव्रता गरीब लोगों के द्वारा झेली जा रही औसत वंचनाओं के आधार पर आकलित की गई है। इन दोनों पहलुओं को मिलाकर MPI बना है।

2.4 गरीबी के लिए अलग-अलग वेट सहित दस संकेतक बनाये गये हैं। यदि कोई व्यक्ति इन संकेतकों के एक तिहाई अथवा अधिक संकेतकों से वंचित है तो उसको MPI गरीब कहा गया है।

भारत के संदर्भ में आँकड़े

3.1 आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2005-06 और 2015-16 के दौरान लगभग 271 मिलियन लोग गरीबी से बाहर आये।

3.2 वर्ष 2015-16 में भारत में 364 मिलियन निर्धन लोग थे जबकि इससे पहले 2005-06 में 635 मिलियन लोग गरीब थे।

3.3 सूचकांक द्वारा जारी जानकारी के अनुसार कुल निर्धन लोगों में 156 मिलियन बच्चे हैं।

3.4 अनुसूचित जनजाति समुदाय के 80 प्रतिशत लोग 2005-06 में निर्धन थे, जबकि 2015-16 के दौरान यह आँकड़ा कम होकर 50 प्रतिशत हो गया।

3.5 इस सूचकांक के अध्ययन के दौरान एकत्रित आँकड़ों में कहा गया है कि बिहार में 2015-16 में निर्धनता की दर सबसे अधिक थी।

मुख्य तथ्य

4.1 भारत में सबसे तीव्र दर से जिनकी गरीबी घटी है, वे हैं- बच्चे, दरिद्रतम राज्य, अनुसूचित जनजातियाँ और मुसलमान।

4.2 मुसलमान और अनुसूचित जनजातियों में पिछले दस वर्षों में गरीबी सबसे अधिक कम हुई है।

4.3 2015-16 में बिहार सबसे गरीब राज्य था। वस्तुत: यहाँ की आधी से ज्यादा जनसंख्या गरीब थी।

4.4 बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे दरिद्रतम राज्यों में अभी भी 196 मिलियन MPI गरीब लोग रहते हैं। यह संख्या पूरे भारत में रहने वाले MPI गरीबों की आधी से अधिक संख्या है।

4.5 सबसे अधिक सुधार झारखण्ड में हुआ है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और नागालैंड का स्थान आता है।

वैश्विक परिदृश्य

5.1 उप-सहारा अफ्रीका तथा दक्षिण एशिया में बहुआयामी निर्धनता की दर काफी अधिक है। यदि इन दोनों इलाकों को मिला दिया जाये तो यहाँ विश्व के 83 प्रतिशत निर्धन लोग निवास करते हैं।

5.2 विकासशील देशों में तीन अरब लोग बहुआयामी निर्धनता में निवास करते हैं, यह लोग स्वास्थ्य, शिक्षा तथा जीवन स्तर इत्यादि से वंचित हैं।

5.3 दो तिहाई बहुआयामी निर्धन लोग मध्यम-आय वाले देशों में निवास करते हैं। लगभग 889 मिलियन लोगों को पोषण, शिक्षा तथा स्वच्छता जैसी मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित रहना पड़ता है।

5.4 दक्षिण सूडान तथा नाइजर में 93 प्रतिशत बच्चे निर्धनता में रहते हैं, जबकि 35 देशों में लगभग बच्चों की आधी आबादी निर्धनता से पीड़ित है।

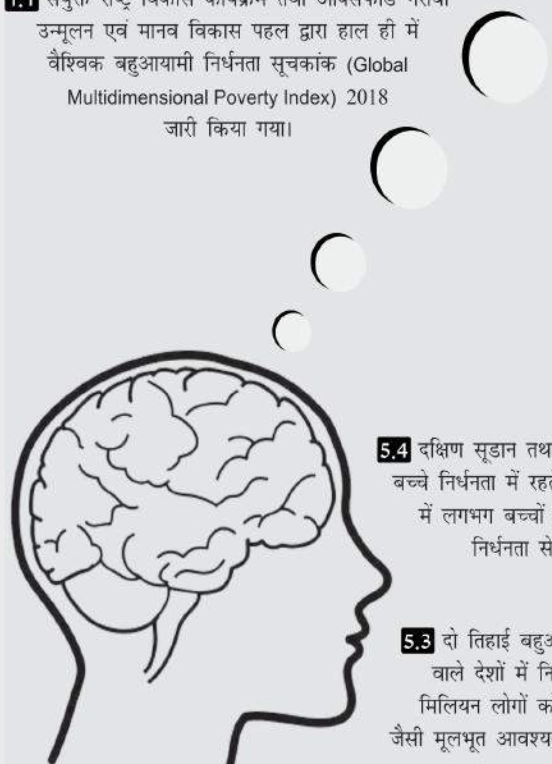

सामुदायिक रेडियो स्टेशन

चर्चा का कारण

1.1 हाल ही में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने मतदाताओं को जागरूक और शिक्षित करने के लिए सामुदायिक रेडियो स्टेशन के रूप में एक नई पहल शुरू की है।

1.2 इसकी शुरूआत देश भर के 150 सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के माध्यम से की गई। इस कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली के द्वारका स्थित इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल मैनेजमेंट में सीकिंग मॉडर्न एप्लीकेशन फॉर रियल ट्रांसफॉर्मेशन (एसएमएआरटी) के सहयोग से किया गया।

क्या है?

2.1 सामुदायिक रेडियो एक प्रकार की रेडियो सेवा है जो एक निश्चित क्षेत्र के हितों को पूरा करती है।

2.2 यह रेडियो स्टेशन एक छोटे-से भौगोलिक क्षेत्र तक ही सीमित है। यह वैसे समुदाय के लिए लाभकारी है, जो आजीविका के लिए सामान्य संसाधनों का उपयोग करते हैं।

2.3 वर्तमान में पूरे भारत में 180 से अधिक सामुदायिक रेडियो स्टेशन हैं, जो बुंदेलखंडी, गढ़वाली, अवधी और संथाली जैसी भाषाओं में प्रसारित होते हैं, जो आमतौर पर टेलीविजन पर बहुत कम या न के बराबर स्थान बना पाते हैं।

लाभ

3.1 सामुदायिक रेडियो देश के सभी मतदाताओं तक पहुँचने के लिए एक अच्छा माध्यम है।

3.2 सामुदायिक रेडियो स्थानीय भाषा में जानकारी विकसित कर मतदाता जागरूकता की प्रक्रिया को तथा लोकतंत्र को और मजबूत करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है।

SVEEP क्या है?

4.1 व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी (SVEEP), विभिन्न तरीकों और मीडिया के माध्यम से नागरिकों, निर्वाचकों और मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया के बारे में शिक्षित करने और चुनावी प्रक्रिया में उनकी जागरूकता और भागीदारी बढ़ाने के लिए डिजाइन किए गए बहु-हस्तक्षेपों का एक कार्यक्रम है।

4.2 SVEEP को राज्य के सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक और जनसांख्यिकीय प्रोफाइल के साथ-साथ चुनावों के पिछले दौरों में चुनावी भागीदारी के इतिहास और उसके बाद सीखने के अनुसार डिजाइन किया गया है।

आवेदन करने की पात्रता

5.1 सरकार की 2006 की नीति के अनुसार, सामुदायिक रेडियो स्टेशन के संचालन के इच्छुक संगठन को निम्नलिखित सिद्धांतों को पूरा करना होगा-

5.1.1 इसे स्पष्ट रूप से गैर-लाभकारी संगठन के रूप में गठित होना चाहिए तथा स्थानीय समुदाय के लिए कम से कम तीन साल की सेवा का एक प्रमाणित रिकॉर्ड होना चाहिए।

5.1.2 इसकी स्थायित्व और प्रबंधन संरचना ऐसी होनी चाहिए कि यह उस समुदाय को प्रतिबिंबित करे जो यह कार्य करता है।

5.1.3 इस पर केवल उन कार्यक्रमों को प्रसारित किया जाना चाहिए, जो समुदाय की शैक्षिक, विकासात्मक, सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूरा करता है।

5.1.4 कम से कम 50% सामग्री स्थानीय समुदाय की भागीदारी से उत्पन्न होनी चाहिए जिसके लिए स्टेशन स्थापित किया गया है।

5.1.5 कार्यक्रम स्थानीय भाषा और बोली में होनी चाहिए।

चुनौतियाँ

6.1 पत्रकारिता और तकनीकी कौशल की कमी तथा इससे संबंधित प्रशिक्षण का अभाव।

6.2 सामुदायिक रेडियो सामुदायिक भागीदारी से अपनी ताकत और लोकप्रियता प्राप्त करता है। व्यावहारिक रूप से ऐसा लगता है कि यह कठिन है क्योंकि यह श्रम प्रधान कार्य है। इसके लिए सही दृष्टिकोण, कौशल और उन्नत मोबाइल उपकरणों की आवश्यकता होगी।

6.3 उचित कौशल प्रबंधन के साथ-साथ वित्तीय प्रबंधन का कुशलतम रूप में न होना भी एक चुनौती है।

6.4 मूलभूत बुनियादी सुविधाओं का अभाव जैसे कि बिजली का सभी जगह नहीं पहुंच पाना, स्पष्ट नियामक ढाँचे की अनुपस्थिति आदि भी एक चिंता का विषय है।

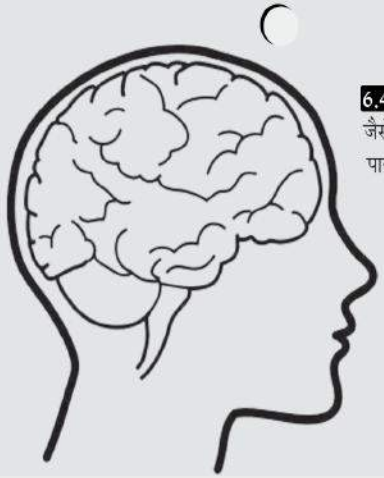

सात वस्तुनिष्ठ प्रश्न तथा उनके व्याख्या सहित उत्तर
(ब्रेन बूस्टर्स पर आधारित)

1. नियामक सैंडबॉक्स

प्र. नियामक सैंडबॉक्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. सैंडबॉक्स व्यवस्था के तहत फिनटेक कंपनियाँ अपने नये उत्पादों और सेवाओं का परीक्षण प्रत्यक्ष रूप से कर सकती हैं।
2. कंपनियों को अपने नवाचारी उत्पादों को कम लागत पर और कम समय में अनावरण करने में सहायता मिलेगी।
3. इस व्यवस्था को वित्त मंत्रालय के मार्गनिर्देशन में लागू किया जाएगा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 1 और 2
(c) केवल 2 (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर: (b)

व्याख्या: सैंडबॉक्स व्यवस्था को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के दिशा-निर्देश में लागू किया जाएगा। अत: कथन 3 गलत है। भारतीय रिजर्व बैंक दो महीने के अंदर फिनटेक कंपनियों अर्थात् वित्तीय तकनीक वाली कंपनियों के लिए दिशा-निर्देश निर्गत करने वाला है जिससे कि वे अपने नये उत्पादों का अनावरण करने के पहले उपभोक्ताओं के छोटे समूह के सामने परीक्षण कर सकें। ■

2. भारत-इंडोनेशिया समझौता

प्र. भारत-इंडोनेशिया समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. इस समझौते से दोनों देशों के बीच मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने में सहयोग मिलेगा।
2. यह समझौता हस्ताक्षर की तिथि से प्रभावी होगा और 10 वर्षों की अवधि के लिए लागू रहेगा।
3. सहमति पत्र के तहत सूचनाओं और दस्तावेजों की गोपनीयता कायम रखने का प्रावधान किया गया है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2
(c) केवल 2 और 3 (d) उपरोक्त सभी

उत्तर: (a)

व्याख्या: यह समझौता हस्ताक्षर की तिथि से प्रभावी होगा और 5 वर्षों की अवधि के लिए लागू रहेगा अत: कथन 2 गलत है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने नशीले पदार्थों की अवैध तस्करी से निपटने पर भारत और इंडोनेशिया के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर को अपनी मंजूरी दे दी है। ■

3. वैश्विक ऊर्जा एवं CO_2 स्टेटस रिपोर्ट

प्र. वैश्विक ऊर्जा एवं CO_2 स्टेटस रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए-

1. चीन विश्व का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक देश है।
2. अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा आयोग के अनुसार भारत ने 2018 में 2299 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित किया था जो पिछले वर्ष की तुलना में 8% अधिक है।
3. आईईए की स्थापना 1970 में हुयी था, इस संस्था का मुख्य उद्देश्य सौर ऊर्जा को प्रोत्साहन देना है।

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 2 और 3
(c) केवल 2 (d) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर: (a)

व्याख्या: अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक देश है और वह उत्सर्जन के 14% का उत्तरदायी है। आईईए की स्थापना 1974 में हुयी थी, इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य विश्व में परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना है। ■

4. रक्षा उपग्रह एमिसैट

प्र. रक्षा उपग्रह एमिसैट के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए-

(a) रक्षा उपग्रह एमिसैट को इसरो और डीआरडीओ ने मिलकर बनाया है।
(b) इस उपग्रह को पीएसएलवी सी-45 द्वारा प्रक्षेपित किया गया है।
(c) एमिसैट के साथ यह रॉकेट 20 अन्य विदेशी नैनो उपग्रहों को भी लेकर गया है जिसमें अमेरिका के 15 उपग्रह शामिल हैं।
(d) यह इसरो का 47वाँ पीएसएलवी प्रोग्राम है।

उत्तर: (c)

व्याख्या: कथन (c) गलत है चूंकि रक्षा उपग्रह एमिसैट के साथ यह रॉकेट 28 अन्य विदेशी नैनो उपग्रहों को लेकर गया था जिसमें अमेरिका के 24 उपग्रह शामिल थे। गौरतलब है कि इसरो द्वारा छोड़ा गया रॉकेट 436 किलोग्राम के एमिसैट को 749 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा में स्थापित किया गया। ■

5. जीआई टैग

प्र. जीआई टैग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा भारतीय कॉफी की पाँच किस्मों को भौगोलिक संकेत (GI) प्रदान किया गया है।
2. कूर्ग अराबिका कॉफी और चिकमंगलूर अराबिका कॉफी मुख्यत: कर्नाटक में उगायी जाती है।
3. जनजातियों द्वारा तैयार की जाने वाली अराकु वैली अराबिका कॉफी आंध्र प्रदेश और ओडिशा के पहाड़ियों में उगायी जाती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही नहीं है/हैं?

(a) केवल 1 और 3 (b) केवल 1 और 2

(c) केवल 1 (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (c)

व्याख्या: हाल ही में केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने भारतीय कॉफी की पाँच किस्मों को भौगोलिक संकेत (GI) प्रदान किया है। गौरतलब है कि भारत में 3.66 लाख टन कॉफी किसानों द्वारा लगभग 4.54 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में उगायी जाती है। इनमें से 98 प्रतिशत छोटे किसान हैं। अत: कथन 1 सही नहीं है। ■

6. वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक

प्र. वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के संदर्भ में गलत कथन का चयन कीजिए-

(a) भारत में पिछले दस वर्षों में निर्धनता दर 50 प्रतिशत से कम होकर 20 प्रतिशत पर आ गयी है।

(b) यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम तथा ऑक्सफोर्ड गरीबी उन्मूलन एवं मानव विकास पहल द्वारा हाल ही में जारी की गयी है।

(c) उप-सहारा अफ्रीका तथा दक्षिण एशिया में बहुआयामी निर्धनता की दर काफी अधिक है। यहाँ विश्व के 83 प्रतिशत निर्धन लोग निवास करते हैं।

(d) इस सूचकांक के अनुसार कुल निर्धन लोगों में 156 मिलियन बच्चे हैं।

उत्तर: (a)

व्याख्या: भारत में पिछले दस वर्षों में निर्धनता दर 55 प्रतिशत से कम होकर 28 प्रतिशत पर आ गयी है। गौरतलब है कि 2015-16 में बिहार सबसे गरीब राज्य था। वस्तुत: यहाँ की आधी से ज्यादा जनसंख्या गरीब थी इस सूचकांक के अनुसार सबसे अधिक सुधार झारखण्ड में हुआ है उसके बाद अरूणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और नागालैंड का स्थान आता है। ■

7. सामुदायिक रेडियो स्टेशन

प्र. सामुदायिक रेडियो स्टेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. इसकी शुरूआत देशभर के 200 सामुदायिक रेडियो स्टेशनों के माध्यम से की गई है।
2. सामुदायिक रेडियो स्टेशन के संचालन के इच्छुक संगठन 2006 की नीति के अनुसार आवेदन कर सकते हैं।
3. लोकसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने मतदाताओं को जागरूक और शिक्षित करने के लिए यह पहल की है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से कथन सही नहीं है/हैं?

(a) केवल 1 और 2 (b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 (d) इनमें से कोई नहीं

उत्तर: (c)

व्याख्या: इसकी शुरूआत देशभर के 150 सामुदायिक रेडिया स्टेशनों के माध्यम से किया गया है। अत: कथन 1 गलत है जबकि 2 और 3 सही है। गौरतलब है कि यह रेडियो स्टेशन एक छोटे से भौगोलिक क्षेत्र तक ही सीमित हैं। यह वैसे समुदाय के लिए लाभकारी है, जो आजीविका के लिए सामान्य संसाधनों का उपयोग करते हैं। ■

सात महत्वपूर्ण तथ्य

1. कौन-से देश भारत के साथ श्रीलंका स्थित हंबनटोटा बंदरगाह (Hambantota Port) पर ऑयल रिफाइनरी के निर्माण का काम शुरू किया है?

-ओमान

2. किस IIT संस्थान ने विप्रो के साथ 5G तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एडवांस्ड शोध के लिए समझौता किया है?

-IIT खड़गपुर

3. हाल ही में किस बैंक में देना बैंक और विजया बैंक का विलय कर दिया गया है?

-बैंक ऑफ बड़ौदा

4. स्लोवाकिया की पहली महिला राष्ट्रपति किसे चुना गया है?

-जुजाना कापुतोवा

5. सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में किस टीम ने भारत को फाइनल में 4-2 से पराजित किया है?

-दक्षिण कोरिया

6. हाल ही में चर्चित "गाँधी : द राइटर" नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं?

-भवानी भट्टाचार्य

7. हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने "द स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट" रिपोर्ट जारी की है?

-विश्व मौसम विज्ञान संगठन

सात महत्वपूर्ण बिंदु : साभार पीआईबी

1. ओशनिया यूरोप और भारत

- हाल ही में वाणिज्य सचिव ने यूरोपीय और ओशनिया देशों के राजदूतों और उच्चायुक्तों के साथ व्यापार और आर्थिक सहयोग पर चर्चा की है।
- यूरोपीय और ओशनिया देश भारत के व्यापारिक साझेदार हैं। इन देशों में व्यापार की प्रचुर संभावनाएँ मौजूद हैं जिनका लाभ उठाया जा सकता है। इन देशों के साथ भारत ने हाल के दिनों में आर्थिक संबंधों को अगले स्तर तक ले जाने के प्रयासों के तहत कुछ व्यापारिक समझौते किए हैं।
- ओशनियाई देश प्रशांत महासागर और उसके आसपास के क्षेत्र के द्वीपीय देश हैं जिन्हें उनकी भौगोलिक समानता के कारण ओशनियाई देशों के रूप में जाना जाता है।
- भारत एक विकासशील देश है जबकि यूरोपीय संघ और ओशनिया देश मुख्य रूप से विकसित हैं और इस वजह से हमारी महत्वाकांक्षाएँ, आकांक्षाएँ और संवेदनाएँ कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में इन देशों के साथ मेल नहीं खाती हैं। गौरतलब है कि भारत, यूरोपीय संघ और ओशनिया देश इन मुद्दों को सुलझाने में सक्षम होंगे और निकट भविष्य में आपसी समझ विकसित कर किसी प्रकार के औपचारिक समझौते तक पहुँच पाएंगे।
- भारत को यूरोपीय संघ और ओशनिया में उपलब्ध अवसरों को समझने के लिए सरकार, निर्यात, व्यापार और निवेश से संबंधित संस्थानों, निर्यातकों और व्यवसायों आदि के हर स्तर पर संपर्क बनाए रखना जरूरी है।
- वर्ष 2011-12 में भारत और यूरोप के बीच द्विपक्षीय व्यापार 150 अरब डॉलर से ज्यादा का रहा। हालांकि वैश्विक मंदी और कमोडिटी की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव के कारण व्यापार प्रभावित हुआ, लेकिन हाल के समय में इसमें सुधार के संकेत मिल रहे हैं। वर्ष 2017-18 के दौरान भारत और यूरोपीय देशों के बीच 130.1 अरब डॉलर का व्यापार हुआ। निर्यात और आयात दोनों ही मोर्चे पर दहाई अंक की वृद्धि दर्ज की गई है।
- ऑस्ट्रेलिया के लिए भारत पाँचवां बड़ा निर्यातक बाजार है। भारत में ऑस्ट्रेलिया से कोयला, सब्जियों और सोने के अलावा पर्यटन क्षेत्र से जुड़ी चीजों का आयात होता है। वहीं दूसरी ओर भारत से ऑस्ट्रेलिया को मुख्य रूप से परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पादों, बिजनेस सेवाओं और दवाओं का निर्यात किया जाता है।
- ओशनियाई क्षेत्र में न्यूजीलैंड भी भारत के लिए निर्यात का एक प्रमख बाजार है। भारत से न्यूजीलैंड को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में दवाएँ, कीमती पत्थर और जेवरात, मशीनी उपकरण, कपड़े तथा तैयार वस्त्र प्रमुख हैं।
- भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का एक चौथाई हिस्सा यूरोपीय देशों से आता है। इसी तरह भारत की ओर से विदेशों में किए जाने वाले निवेश का करीब 29.8 फीसदी हिस्सा यूरोप में जाता है।
- भारत की विदेशी निवेश का करीब 1.7 फीसदी हिस्सा ओशनियाई देशों में जाता है। इन देशों में ऑस्ट्रेलिया, फिजी, न्यूजीलैंड और वनातू प्रमुख हैं।

2. एफिन्डेक्स – 2019

- हाल ही में पुणे में आयोजित अफ्रीका-भारत फील्ड प्रशिक्षण अभ्यास-2019 (एफिन्डेक्स-2019) का समारोह संपन्न हुआ।
- भारतीय दल का प्रतिनिधित्व मराठा लाइट इन्फैंट्री (जंगी पलटन) द्वारा किया गया था। इस दौरान विभिन्न सामरिक अभ्यासों को दिखाया गया, जिसमें नागरिकों की सुरक्षा, युद्धक तैनाती, काफिले की सुरक्षा,गश्त के पहलुओं और अभ्यास के दौरान काम में आए विस्फोटक उपकरणों के निष्प्रभावीकरण आदि शामिल थे।
- एफिन्डेक्स-2019 में संयुक्त राष्ट्र अधिदेश के तहत मानवीय बंकर सहायता और शांति रक्षक ऑपरेशन में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने में लगे राष्ट्रों की प्रतिबद्धता और क्षमताओं को दर्शाया गया।

- इस अभ्यास में तीन अफ्रीकी देशों- डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, रवांडा और मोजांबिक के पर्यवेक्षकों ने भी भाग लिया।
- अभ्यास के बाद औंध सैन्य स्टेशन पर फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) के तत्वावधान में आयोजित सैन्य उपकरण प्रदर्शित किया गया था।
- इसमें रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ), प्रमुख निजी क्षेत्र की कंपनियों और स्टार्टअप उद्योगों सहित विभिन्न एजेंसियों द्वारा विकसित रक्षा संबंधी 11 से अधिक श्रेणियों के उपकरण, सिस्टम और वाहन, कुछ नवीनतम हथियार आदि शामिल थे।
- भाग लेने वाले देशों के बीच शांति, समृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे और विश्वास के मूल्यों को बढ़ावा देने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण आयोजन रहा है।

3. ऑसीईंडैक्स –19

- हाल ही में भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नौसेना के बीच द्विपक्षीय सामुद्रिक अभ्यास के तीसरे संस्करण 'ऑसीइंडैक्स-19' का आरंभ विशाखापत्तनम में हुआ है।
- ऑसीइंडैक्स-19 का प्रमुख उद्देश्य है- भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नौसेना के बीच सम्पर्क और व्यावसायिक विचारों के आदान-प्रदान के अवसर उपलब्ध कराना। इस अभ्यास के माध्यम से दोनों नौसेनाओं के बीच परस्पर सहयोग और अंतर-संचालन को मजबूती देना और उसमें वृद्धि करना है।
- भारत के प्रधानमंत्री और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री द्वारा 2014 में घोषित सुरक्षा सहयोग के लिए फ्रेमवर्क (एफएससी) की परिकल्पना के अनुरूप विशाखापत्तनम में (2015) अभ्यास का पहला संस्करण आयोजित किया गया था। अभ्यास के दूसरे संस्करण की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया ने जून 2017 में फ्रीमैंटल में की थी, जिसमें भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े के जहाजों ने रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के जहाजों और पनडुब्बियों के साथ अभ्यास किया।
- पहले विश्व युद्ध के दौरान गैलीपोली की खाइयों और पश्चिमी मोर्चे के साथ साझा अनुभवों सहित सहयोग के लंबे इतिहास पर आधारित भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सकारात्मक रक्षा संबंध रहे हैं, जिन्हें 2006 के रक्षा सहयोग के ज्ञापन तथा 2009 के सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा-पत्र के माध्यम से नया आधार प्रदान किया गया। हालांकि 2014 में द्विपक्षीय सहयोग के बाद दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा के मामलों में महत्त्वपूर्ण प्रगति हुयी है।
- कुल मिलाकर यह अभ्यास भारत के विजन सागर (क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और प्रगति) और सामुद्रिक क्षेत्र में अच्छी व्यवस्था सुनिश्चित करने के प्रति दोनों देशों के साझा उद्देश्यों को रेखांकित करता है तथा मित्र एवं सामंजस्यपूर्ण देशों के साथ एकजुटता प्रकट करता है।

4. ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा

- हाल ही में उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने कहा है कि ग्रामीण उद्यमशीलता को बढ़ाने के लिये इको-प्रणाली तैयार करना जरूरी है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे रोजगार खोजने के बजाय रोजगार का सृजन करने वाला बनें।
- भुवनेश्वर में भारतीय युवा शक्ति न्यास द्वारा आयोजित 'ग्रामीण युवा उद्यमियों को रोजगार सृजित करने के लिए शक्ति सम्पन्न बनाना' नामक एक सम्मेलन हुआ।
- आज न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में बेरोजगारी प्रमुख चिंता का विषय है। इसके लिए जरूरी है कि युवाओं के लिए एक इको-प्रणाली विकसित की जाये, ताकि वे अपना व्यापार स्थापित करके बेरोजगारी का मुकाबला कर सकें।
- भारत में जन-सांख्यिकीय लाभ की अपार संभावना मौजूद हैं, जिसके तहत युवाओं की क्षमता का भरपूर उपयोग होना चाहिए।
- आवश्यकता इस बात की है कि समुचित संरचना का विकास किया जाये, ताकि प्रौद्योगिकी-आश्रित विश्व की चुनौतियों पर सफलतापूवर्क विजय प्राप्त की जा सके।
- बढ़ते हुए शहरी-ग्रामीण अंतराल के सन्दर्भ में कृषि को लाभकारी पेशा बनाने की जरूरत है। इसके अलावा ग्रामीण शिल्पकारों के लिए बाजार भी तैयार किया जाना चाहिए।
- महिला उद्यमियों को अधिकार सम्पन्न बनाया जाना चाहिए, ताकि वे अपने उत्पादों को ऑन-लाइन प्लेटफॉर्म पर बेच सकें। महिलाओं और ग्रामीण दस्तकारों को सस्ती शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएँ भी प्रदान की जानी चाहिए।
- युवा उद्यमी भारत की अनोखी और पारम्परिक कलाओं तथा शिल्पों को प्रोत्साहित करने के लिए अपना व्यापार शुरू करें। चूँकि आर्थिक विकास में छोटे और मझौले उद्योग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस सिलसिले में छोटे और मझौले उद्योगों तथा कुटीर उद्योगों की सफलता के लिए इको-प्रणाली का विकास करना जरूरी है।
- गौरतलब है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग निर्माण सकल घरेलू उत्पाद में 6.11 प्रतिशत और सेवा सकल घरेलू उत्पाद में 24.6 प्रतिशत योगदान करते हैं। ये उद्योग अधिकतर ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं और भारत के पारम्परिक दस्तकारी और हथकरघा उत्पादों से संबंधित हैं।
- भारत में कुल उद्यमियों में केवल 14 प्रतिशत महिलाएँ हैं, यानी कुल 58.5 मिलियन उद्यमियों में महिलाएँ केवल 8.05

मिलियन हैं। इस समय जरूरी है कि महिलाओं को उद्यमों के लिए प्रोत्साहित किया जाये।

5. मतदाता जागरूक अभियान

- हाल ही में चुनाव आयोग और भारतीय रेलवे ने मिलकर लोक सभा चुनाव 2019 के लिए मतदाता जागरूकता अभियान आरंभ किया हैं।
- मतदाता जागरूकता अभियान और प्रेरक संदेशों के लिए लंबी दूरी की चार रेलगाड़ियों का प्रयोग किया जा रहा है।
- इन ट्रेनों पर मतदाता हेल्पलाइन नंबर और राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल सहित नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण नंबरों का विवरण भी है। इसके अलावा प्रेरक संदेश भी है जो मतदाताओं को वोट देने के लिए प्रेरित करेंगे।
- इन ट्रेनों के माध्यम से संदेश को फैलाने के लिए नागरिकों को ट्रेन के साथ एक तस्वीर क्लिक करने और इसे सोशल मीडिया पर अपलोड करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा।
- भारतीय रेलवे के पास दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। रेल मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय रेलवे में औसतन प्रति दिन 22.24 मिलियन यात्री यात्रा करते हैं और 3.04 मिलियन टन माल ढोया जाता है।
- यह व्यापक नेटवर्क शहरों के साथ-साथ गाँवों में भी संदेश को फैलाने का कार्य सुनिश्चित करता है।
- इसके लिए सबसे लंबे उत्तर-दक्षिण मार्ग और पूर्व-पश्चिम मार्ग वाली ट्रेनों का चयन किया गया है जो कुल 19 राज्यों को कवर करेंगी।

6. भारत और अर्जेंटीना के बीच अंटार्कटिक सहयोग

- हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने अंटार्कटिक सहयोग पर अर्जेंटीना के साथ किये गये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।
- इस समझौता ज्ञापन से पृथ्वी विज्ञान के क्षेत्रों से जुड़ी परियोजनाओं के साथ-साथ अंटार्कटिका और दक्षिणी महासागर के प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करने और उसके संरक्षण के लिए वैज्ञानिक सहयोग स्थापित करने में मदद मिलेगी।
- अंटार्कटिका और उससे जुड़ी पर्यावरण प्रणालियों के अध्ययन से जुड़ी वैज्ञानिक जानकारी का आदान-प्रदान सुलभ हो सकेगा।
- आवश्यकता पड़ने पर देश के राष्ट्रीय अंटार्कटिक कार्यक्रम के वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञ अन्य देश के राष्ट्रीय अंटार्कटिक कार्यक्रम में भाग ले सकेंगे।
- दोनों देशों द्वारा इस बात पर बल दिया गया है कि आपस में संयुक्त वैज्ञानिक सम्मेलन और कार्यशालाएँ तथा वैज्ञानिक कर्मियों के प्रशिक्षण आयोजित किए जाएँ।

7. भारत-यूक्रेन के बीच व्यापार एवं आर्थिक सहयोग

- हाल ही में व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, औद्योगिक और सांस्कृतिक सहयोग पर गठित भारत-यूक्रेन अंतर-सरकारी आयोग की चौथी बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है।
- गौरतलब है कि भारत के बाजार में यूक्रेन के खाद्य उत्पादों की पहुंच को सुविधाजनक बनाने, ऊर्जा क्षेत्र, वित्त, एंटी-डम्पिंग, बैंकिंग और पर्यटन क्षेत्र में एक-दूसरे को सहयोग (Mutual Cooperation) देने की आवश्यकता है।
- दोनों देशों के मध्य द्विपक्षीय व्यापार का स्तर वास्तविक क्षमता से काफी कम है, अतः व्यापार बास्केट के साथ-साथ द्विपक्षीय व्यापार एवं निवेश में भी वृद्धि करने के लिए आपसी सहयोग बढ़ाने की जरूरत है।
- वर्तमान में दोनों पक्षों के बीच व्यापार का स्तर शेष विश्व के साथ हो रहे कुल व्यापार की तुलना में अत्यंत कम है।
- दोनों देशों के बीच छोटी एवं मझोली उद्यमिता का विकास निम्नलिखित पारस्परिक सहमति के आधार पर किया जा सकता है।
  - सूक्ष्म एवं छोटे उद्यमों के विकास के लिए यूक्रेन में टेक्नोलॉजी इन्क्यूबेशन सेन्टर स्थापित करना।
  - उद्यम संबंधी सहयोग बढ़ाने के लिए उद्यमों के सृजन को सुविधाजनक बनाना।
  - कारोबारी प्रतिनिधिमंडलों का आदान-प्रदान करना।
- यूक्रेन द्वारा किए जा रहे चमड़े की वस्तुओं एवं फुटवियर के कुल आयात में भारत की बाजार हिस्सेदारी 1 प्रतिशत से भी कम है और यूक्रेन में मुख्यतः आयात शुल्क ज्यादा रहने के कारण ही यह स्थिति देखने को मिल रही है। अतः फुटवियर के लिए चमड़े की वस्तुओं हेतु आयात शुल्क को घटाकर 5 प्रतिशत करने की आवश्यकता है।

सात महत्वपूर्ण संकल्पनाएँ : ग्राफिक्स के माध्यम से

1. रुपये का आना-जाना

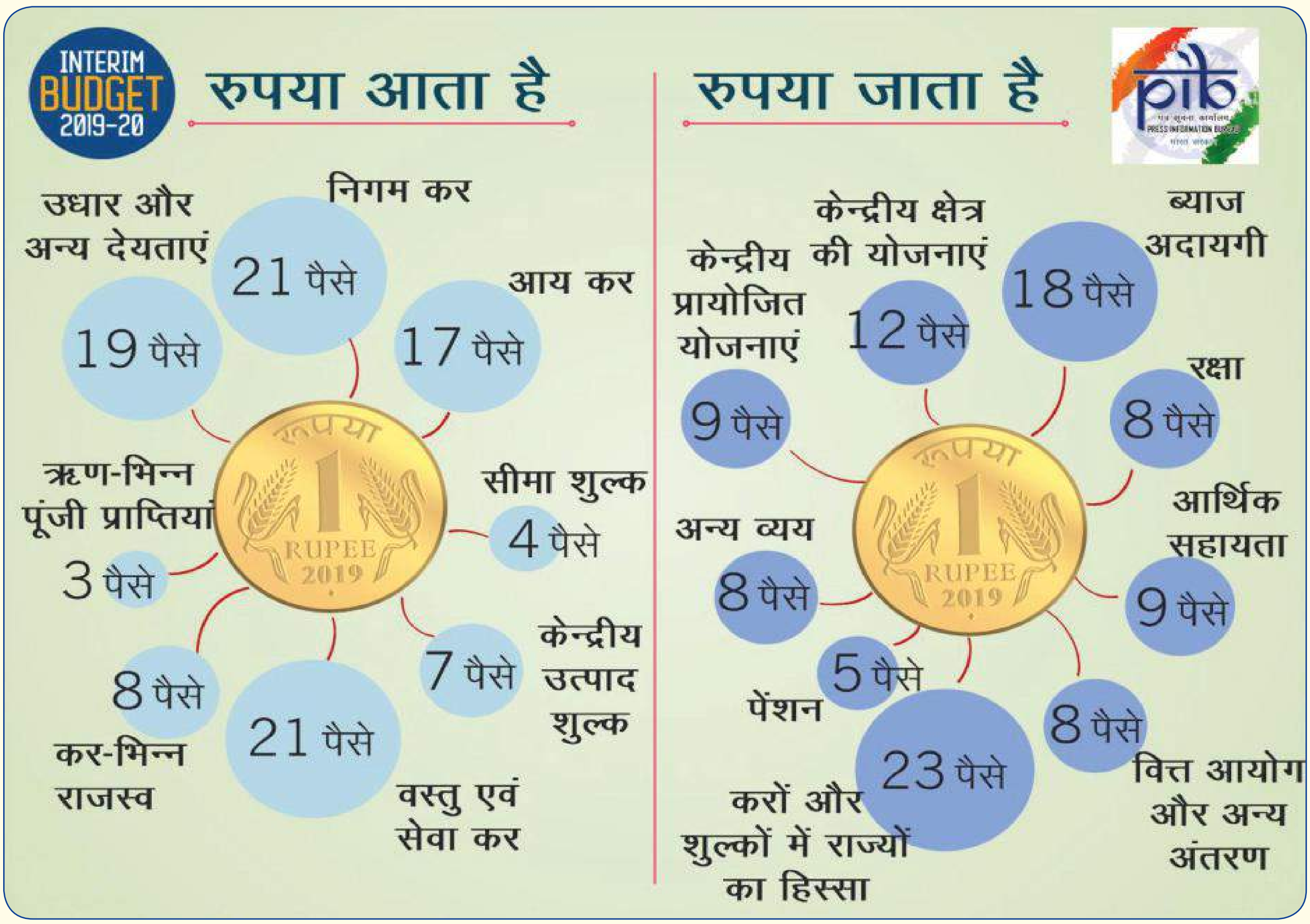

महत्वपूर्ण तथ्य

- भारत सरकार को 1 रुपये की प्राप्ति में, 70 पैसे प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त होना अनुमानित है, जिसमें से वह 23 पैसे राज्य सरकारों के करों एवं शुल्कों के अदायगी के रूप में खर्च करेगी।
- इसी तरह निगम कर से संग्रह राशि 21 पैसे आंकी गई है, जबकि आयकर की राशि 17 पैसे अनुमानित की गई है। सरकार को उधार और अन्य देनदारियों से संग्रह 19 पैसे का होगा और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क से 7 पैसे जुटाया जाएगा।
- सरकार का लक्ष्य गैर-कर राजस्व जैसे विनिवेश (Disinvestment) से 8 पैसे कमाने का है, जबकि 3 पैसे गैर-ऋण पूँजी प्राप्तियों से।
- अंतरिम बजट 2019-20 के अनुसार 8 पैसा रक्षा में, 9 पैसा केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं में जबकि 12 पैसा अन्य केन्द्रीय योजनाओं में व्यय किया जाएगा।

2. कर प्राप्तियों में रुझान

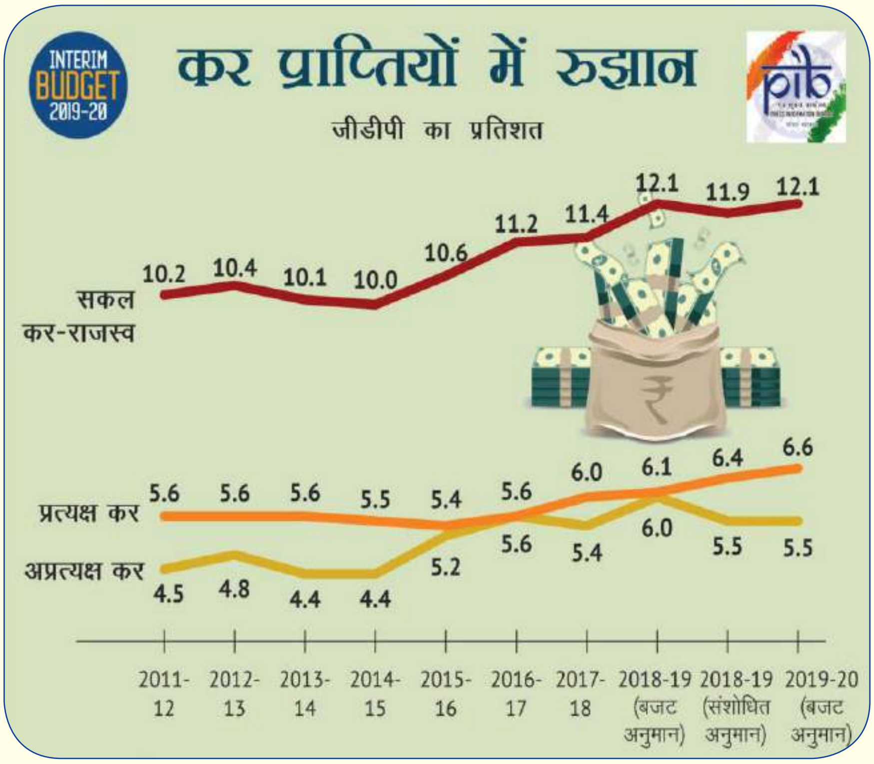

महत्वपूर्ण तथ्य

- सरकार को उम्मीद है कि वर्ष 2019-20 में सकल कर संग्रह 11.9 प्रतिशत से बढ़कर 12.1 प्रतिशत तक पहुँच जाएगा।
- अधिकांश कर राशि का प्रत्यक्ष करों से आने की उम्मीद है। प्रत्यक्ष कर का 6.9 प्रतिशत तक पहुँचने का अनुमान है जो वित्त वर्ष 2018 में 6 प्रतिशत था।
- सरकार को उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2021-22 से जीएसटी का पूरा लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
- प्रत्यक्ष करों में सबसे ज्यादा योगदान निगम कर का है, इसके बाद आयकर और प्रतिभूति लेन-देन कर का स्थान है।
- अप्रत्यक्ष करों की प्रवृत्ति इस प्रकार है- सीजीएसटी > केन्द्रीय उत्पाद शुल्क > सीमा शुल्क > जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर > आईजीएसटी।
- ज्ञातव्य है कि जीएसटी 1 जुलाई, 2017 को पूरे देश में प्रभावी हुआ।

3. घाटे की प्रवृत्तियां

महत्वपूर्ण तथ्य

- **राजकोषीय घाटा:** राजकोषीय घाटा से आशय उस स्थिति से है जब सरकार का कुल खर्च, कुल प्राप्तियों से अधिक होता है। इन प्राप्तियों में ऋण से प्राप्त आय को शामिल नहीं किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो सरकार द्वारा अपने खर्चों को पूरा करने के लिए जो ऋण लिया जाता है, उसे राजकोषीय घाटा कहते हैं।
- **राजस्व घाटा:** राजस्व घाटा सरकार की राजस्व प्राप्तियों के ऊपर राजस्व व्यय के अधिशेष को बताता है। राजस्व घाटे में केवल उन्हीं लेन-देनों को शामिल किया जाता है, जिनसे सरकार के वर्तमान आय और व्यय पर प्रभाव पड़ता है।
- **प्रभावी राजस्व घाटा:** राजस्व व्यय के रूप में सरकार कुछ धनराशि पूंजीगत परिसंपत्तियाँ सृजित करने के लिए अनुदान के रूप में खर्च करती है, जब इस राशि को राजस्व घाटे से घटा दिया जाता है तो उसे प्रभावी राजस्व घाटा कहते हैं।
- **प्राथमिक घाटा:** जब राजकोषीय घाटे में से ब्याज आदायगी को निकाल दिया जाता है तो प्राथमिक घाटा प्राप्त होता है। प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटा तथा ब्याज अदायगी के अंतर को व्यक्त करता है।

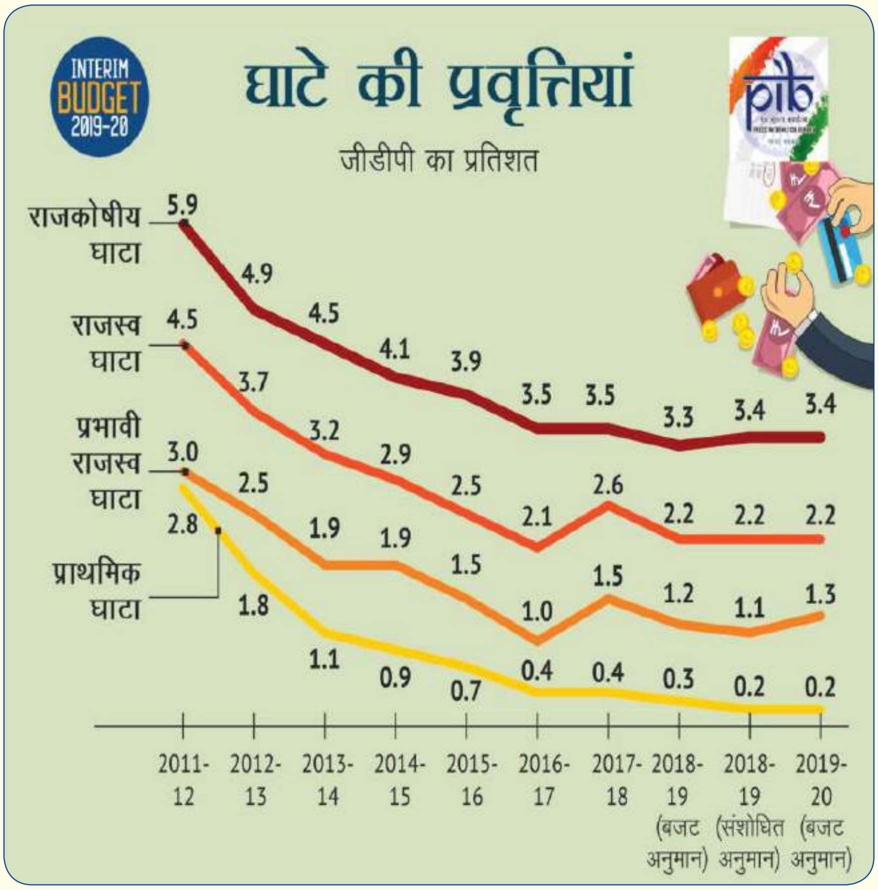

4. राजकोषीय घाटा वित्तपोषण के स्रोत

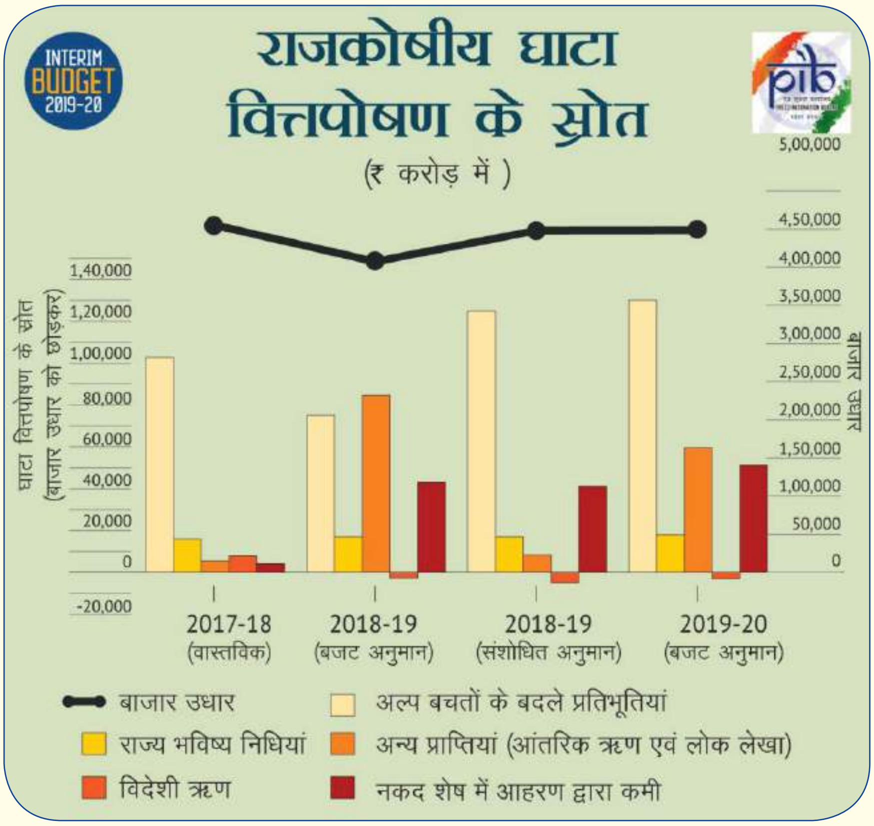

महत्वपूर्ण तथ्य

- जब सरकार का राजस्व अपने खर्च से कम होता है तो सार्वजनिक और विदेशी संस्थान से अधिक मुद्रा खरीदकर, इस स्थिति से निपटा जाता है। धन की इस अस्थायी व्यवस्था को घाटे के वित्तपोषण के रूप में जाना जाता है।
- भारत का विदेशी ऋण भण्डार, मार्च 2019 के अंत में बढ़कर 519.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया जो कि मार्च 2014 के अंत में 446.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
- वर्ष 2019-20 में राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण में 'अन्य प्राप्तियों' का योगदान, 'अल्प बचतों के बदले प्रतिभूतियों' के योगदान के बाद दूसरे स्थान पर अनुमानित है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष (2018-19) के संशोधित अनुमान के अनुसार दूसरा स्थान 'नकद शेष में आहरण द्वारा कमी' का था।
- यह भी उल्लेखनीय है कि पिछले वित्तीय वर्ष में 'अन्य प्राप्तियों' का योगदान 'राज्य भविष्य निधियों' से कम था जो इस वर्ष उससे कहीं अधिक अनुमानित है।

5. सब्सिडी

महत्वपूर्ण तथ्य

- सरकार का खाद्य, उर्वरक और पेट्रोलियम सब्सिडी का खर्च वित्त वर्ष 2019-20 में 11.44 प्रतिशत बढ़कर 2,96,684 करोड़ रुपये तक पहुंच जाने का अनुमान है।
- चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान के अनुसार खाद्य, उर्वरक और पेट्रोलियम सब्सिडी 2,66,206 करोड़ रुपये रही है। सरकार के राजस्व खर्च में सब्सिडी दूसरा प्रमुख मद है।
- बजट दस्तावेज में कहा गया है कि 2019-20 में सब्सिडी व्यय के लिए आवंटन 2,96,684 करोड़ रुपये रखा गया है जो सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 1.4 प्रतिशत के बराबर है।
- बजटीय अनुमान के अनुसार 2020-21 और 2021-22 में सब्सिडी घटकर जीडीपी के 1.3 प्रतिशत पर आ जाएगी।
- पेट्रोलियम सब्सिडी का अगले वित्त वर्ष में 37,478 करोड़ रुपये पर पहुंचने का अनुमान है। चालू वित्त वर्ष के लिए इसका संशोधित अनुमान 24,833 करोड़ रुपये है।

6. रेलवे

महत्वपूर्ण तथ्य

- सरकार ने अंतरिम बजट 2019-20 में रेलवे के लिए 64,587 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं।
- ज्ञातव्य है कि रेलवे का समग्र पूंजीगत व्यय कार्यक्रम 1,58,658 करोड़ रुपये का है।
- ऑपरेटिंग अनुपात: ऑपरेटिंग अनुपात यह इंगित करता है कि एक रुपया कमाने के लिए रेलवे को कितना खर्च करना पड़ रहा है। 90 प्रतिशत के ऑपरेटिंग अनुपात का अर्थ है कि रेलवे 100 पैसा कमाने के लिए 90 पैसा व्यय कर रहा है।
- वर्ष 2019-20 में यात्री परिवहन से होने वाली आय 56 हजार करोड़ रुपये अनुमानित है जो वर्ष 2018-19 के संशोधित आँकड़ों के अनुसार 52 हजार करोड़ रुपये थी।
- वहीं 2019-20 में माल ढुलाई से होने वाली आय 143000 करोड़ रुपये अनुमानित है, जो वर्ष 2018-19 के संशोधित आँकड़ों के अनुसार 129750 करोड़ रुपये थी।
- ज्ञातव्य है कि एकवर्थ समिति की सिफारिशों के आधार पर रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था।

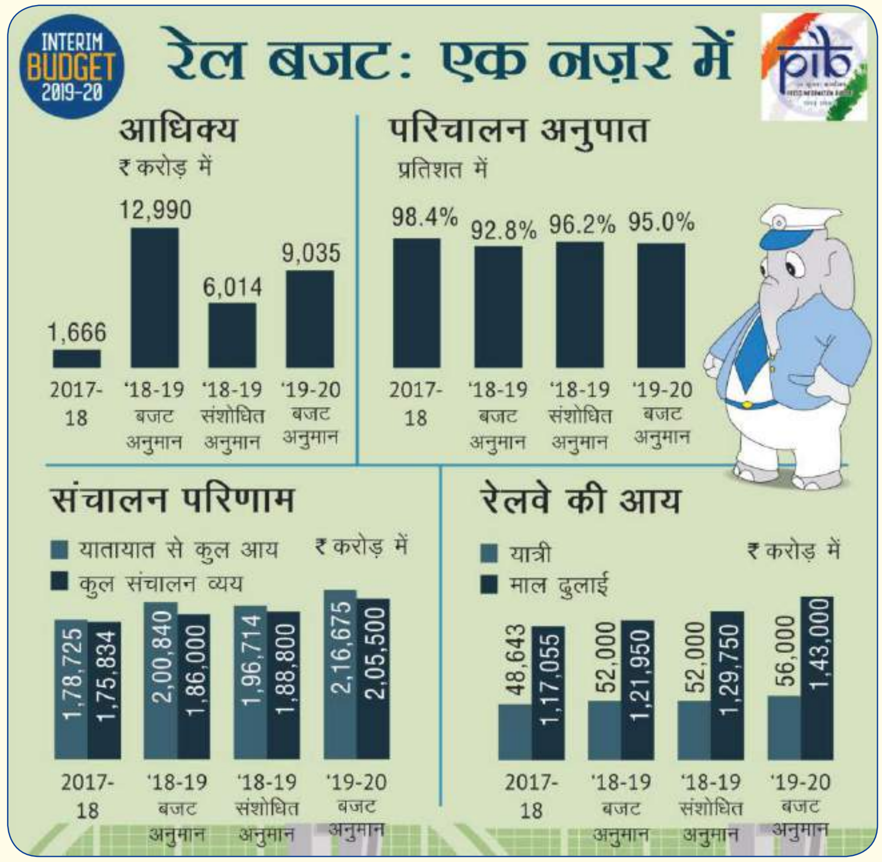

7. बजट एक नजर में

महत्वपूर्ण तथ्य

- वर्ष 2019-20 में कुल व्यय को 13 प्रतिशत से अधिक तक बढ़ाकर 27,84,200 करोड़ रुपये पर लाया जाएगा।
- वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल राजस्व (जिसमें ऋण से प्राप्त आय शामिल नहीं) 20.80 लाख करोड़ रुपये है। इस प्रकार कुल व्यय, प्राप्तियों की तुलना में अधिक है।
- बजट के खर्च और प्रप्तियों को संतुलित करने के लिए, सरकार को धन उधार लेने की आवश्यकता पड़ती है।
- वित्त वर्ष 2019-20 में भारत सरकार को अपने व्यय को पूरा करने के लिए 7 लाख करोड़ रुपये उधार लेने की जरूरत है।
- ज्ञातव्य है कि उधार और अन्य देनदारियों को राजकोषीय घाटे के रूप में जाना जाता है। वर्ष 2019-20 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.4 प्रतिशत है।
- सरकार का उद्देश्य है कि राजकोषीय घाटे को कम करके वर्ष 2020-21 तक इसे 3 प्रतिशत तक लाया जाए।

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

DOOR TO DOOR
DHYEYA BOOKS

IAS & PCS (Prelims-cum-Mains) Study Material
Available at

rankerssite.com

TRUEWORD PUBLICATION
Quest for Wisdom

011-49274400

ध्येय IAS®
most trusted since 2003

AN INTRODUCTION

Dhyeya IAS, a decade old institution, was founded by Mr. Vinay Singh and Mr. Q.H. Khan. Ever since its emergence it has unparallel track record of success. Today, it stands tall among the reputed institutes providing coaching for Civil Services Examination (CSE). The institute has been very successful in making potential realize their dreams which is evidents from success stories of the previous years.

Quite a large number of students desirous of building a career fro themselves are absolutely less equipped for the fairly tough competitive tests they have to appear in. Several others, who have a brilliant academic career, do not know that competitive exams are vartly different from academic examination and call for a systematic and scientifically planned guidance by a team of experts. Here one single move my invariably put one ahead of many others who lag behind. Dhyeya IAS is manned with qualified & experrienced faculties besides especially designed study material that helps the students in achieving the desired goal.

Civil Services Exam requires knowledge base of specified subjects. These subjects though taught in schools and colleges are not necessarily oriented towards the exam approach. Coaching classes at Dhyeya IAS are different from classes conducted in schools and colleges with respect to their orientation. Classes are targeted towards the particular exam. classroom guidance at Dhyeya IAS is about improving the individuals capacity to focus, learn and innovate as we are comfortably aware of the fact that you can't teach a person anything you can only help him find it within himself.

DSDL Prepare yourself from distance

Distance learning Programme, DSDL, primarily caters the need for those who are unable to come to metros fro economic or family reason but have ardent desire to become a civil servant. Simultaneously, it also suits to the need of working professionals, who are unable to join regular classes due to increase in work load or places of their posting. The principal characteristic of our distance learning is that the student does not need to be present in a classroom in order to participate in the instruction. It aims to create and provide access to learning when the source of information and the learners are separated by time and distance. Realizing the difficulties faced by aspirants of distant areas, especially working candidates, in making use of the institute's classroom guidance programme, distance learning system is being provided in General Studies.The distance learning material is comprehensive, concise and examoriented in nature. Its aim is to make available almost all the relevant material on a subject at one place. Materials on all topics of General Studies have been prepared in such a way that, not even a single point will be missing. In other words, you will get all points, which are otherwise to be taken from 6-10 books available in the market / library. That means, DSDL study material is undoubtedly the most comprehensive and that will definitely give you added advantage in your Preliminary as well as Main Examination. These materials are not available in any book store or library. These materials have been prepared exclusively for the use of our students. We believe in our quality and commitment towards making these notes indispensable for any student preparing for Civil Services Examination. We adhere all pillars of Distance education.

Face to Face Centres

DELHI (MUKHERJEE NAGAR) : 011-49274400 | 9205274741, **DELHI (RAJENDRA NAGAR)** : 011-41251555 | 9205274743, **DELHI (LAXMI NAGAR)** : 011-43012556 | 9205212500, **ALLAHABAD** : 0532-2260189 | 8853467068, **LUCKNOW (ALIGANJ)** 0522-4025825 | 7570009014, **LUCKNOW (GOMTINAGAR)** 7234000501 | 7234000502, **GREATER NOIDA RESIDENTIAL ACADEMY** : 9205336037 | 9205336038, **BHUBANESWAR** : 8599071555, **SRINAGAR (J&K)** : 9205962002 | 9988085811

Live Streaming Centres

BIHAR – PATNA, **CHANDIGARH, DELHI & NCR** – FARIDABAD, **GUJRAT** – AHMEDABAD, **HARYANA** – HISAR, KURUKSHETRA , **MADHYA PRADESH** – GWALIOR , JABALPUR , REWA , **MAHARASHTRA** – MUMBAI, PUNJAB – JALANDHAR, PATIALA, LUDHIANA, **RAJASTHAN** – JODHPUR, **UTTARAKHAND** – HALDWANI, **UTTAR PRADESH** – ALIGARH, AZAMGARH, BAHRAICH, BARELLY, GORAKHPUR, KANPUR, LUCKNOW (ALAMBAGH , LUCKNOW (GOMTI NAGAR), MORADABAD, VARANASI

YouTube dhyeyaias | dhyeyaias.com | /dhyeya1 | STUDENT PORTAL

TRUEWORD
Quest for Wisdom

Price ₹ 40

ध्येय IAS अब व्हाट्सएप पर
Dhyeya IAS Now on Whatsapp

ध्येय IAS **के व्हाट्सएप ग्रुप से जुडने के लिए 9205336069 पर "Hi Dhyeya IAS" लिख कर मैसेज करें**

आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी जुड सकते हैं

www.dhyeyaias.com
www.dhyeyaias.in

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 011-47354625/ 26 , 9205274741/42, 011-49274400